विषयसूची

	अध्याय	पृष्ठ संख्या
	2015-16 – एक परिप्रेक्ष्य	1
I	कार्यकारी सारांश	5
II	बोर्ड का गठन एवं प्रकार्य	17
III	प्रशासन एवं स्थापना	19
III (क)	अपंग कार्मिकों का विवरण	30
IV	कॉफ़ी अनुसंधान	31
V	विस्तारण तथा विकास	46
VI	बाज़ार विकास तथा संसादन हेतु समर्थन	58
VII	निर्यात संवर्धन	65
VIII	बाज़ार अनुसंधान एवं आसूचना	82
IX	लेखा एवं वित्त	84

2015–16 एक परिप्रेक्ष्य

वर्ष 2015–16 के कॉफ़ी बोर्ड की 76 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

वैश्विक आपूर्ति तथा माँग संतुलन

वर्ष के दौरान, कॉफ़ी का वैश्विक उत्पाद 144.7 मिलियन बैग्स था जो विगत वर्ष के उत्पादन 142.5 मिलियन बैग्स की तुलना करें तो 1.54% वृद्धि हुई है।

वर्ष के दौरान, कॉफ़ी का वैश्विक उपभोग 152.2 मिलियन बैग्स था जो विगत वर्ष के उपभोग 150.2 मिलियन बैग्स की तुलना करें तो 1.33 % वृद्धि हुई है।

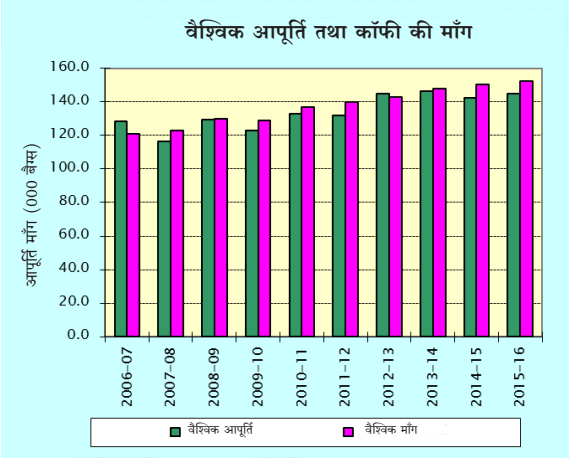

अंतरराष्ट्रीय मूल्य

यद्यपि आपूर्ति से अधिक माँग थी, मई 2015 से वैश्विक स्तर पर कॉफ़ी मूल्य उतार–चढाव के साथ निम्न मूल्य दर्शाया है फिर भी मार्च 2016 से ही पुनरुत्थान की प्रवृत्ति दिखाने लगी है। वर्ष के दौरान अन्य मृदु अरेबिका (अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में भारतीय अरेबिका की वर्गीकृत श्रेणी) का मूल्य 153.32 यू एस सेंट्स /एलबी के औसत के साथ 145.03 यू एस सेंट्स /एलबी एवं 164.00 यू एस सेंट्स /एलबी की श्रेणी में रहा था जो विगत वर्ष की तुलना में 24% कम था। समानत: रोबस्टा का मूल्य 82.70 यू एस सेंट्स / एलबी के औसत के साथ 74.04 यू एस सेंट्स /एलबी एवं 92.06 यू एस सेंट्स /एलबी की श्रेणी में रहा था जो विगत वर्ष की तुलना में 18 % कम था।

वित्तीय वर्ष 2015–16 का औसत आईसीओ संयोजित सूचकांक मूल्य 118.35 यू एस सेंट्स/एलबी पर था जो 2014–15 के 155.47 से 24% कम था।

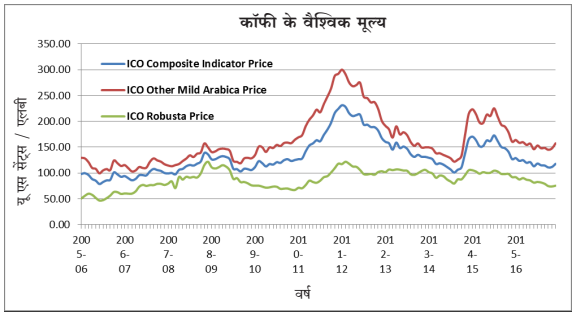

भारतीय परिदृश्य

मार्च–अप्रैल 2015 के दौरान अधिकांश कॉफ़ी उपजाने वाले क्षेत्रों में सटीक समय पर पर्याप्त पुष्पण एवं समर्थन वर्षा प्राप्त होने से 2015–16 मौसम का पुष्पण तथा फसल बैठाव उत्तम था। तत्पश्चात दक्षिण–पश्चिम मानसून के दौरान प्राप्त वर्षा कॉफ़ी एवं अन्य संबद्ध फसलों के लिए अनुकूल थी। पूर्वोत्तर मानसून के दौरान नवंबर में बंगाल की खाड़ी में रूपायित निम्न दबाव के परिणामस्वरूप मेघाच्छादित दिन व आंतरायिक बौच्छारों के अनुवर्ती दुर्लभ धूप दिन जो कुछ हद तक अरेबिका की फसल कटाई व संसाधन के लिए बाधक था। सामान्यतया कीटों एवं रोगों का प्रकोप कम था। हालाँकि

अगस्त/सितंबर 2015 के दौरान कोडगु, तथा चिक्कमगलुरु के कुछ कॉफ़ी बागानों में कॉफ़ी, काली मिर्च एवं संबद्ध फसलों पर नव भीमाकार आफ्रिकी स्नैल का खतरा दिखाई दिया। भीमाकार आफ्रिकी स्नैलों के फैलाव नियंत्रण के लिए अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा उपजकर्ताओं को आवश्यक नियंत्रण उपायों की सलाह देते हुए यथावश्यक कार्रवाई के लिए यह मामला संबंधित जिला प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया तथा इस नाशिकीट का प्रकोप प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सके । सामान्य रूप से वर्ष के दौरान मौसम परिस्थिति फसल विकसन के लिए अनुकूल थी जिससे सर्वोत्तम एवं कीर्तिमान फसल प्राप्त हुए।

उत्पादन तथा निर्यात

यह अत्यंत खुशी की बात है कि वर्ष के दौरान कॉफ़ी उत्पादकता 1,03,500 मे.ट अरेबिका व 2,44,500 मे.ट रोबस्टा को सम्मिलित करते हुए 3,48,000 मे.ट की सर्वोच्च शिखर तक पहुँच गई है जो विगत वर्ष (2014-15) के तुलना में 6.42% अधिक थी। वर्ष के दौरान, बोर्ड ने 108 देशों पर 3,18,238 मे.ट कॉफ़ी (67,305 मे.ट के पुनर्निर्यात सहित) का निर्यात किया। वर्ष के दौरान 46,795 मे.ट अरेबिका, 1,75,359 मे.ट रोबस्टा तथा 96,084 मे.ट इंस्टेंट एवं आर व जी कॉफ़ी परिमाण के निर्यात से यूएस $ 792.21 मिलियन अर्जित हुए जो विगत वर्ष की तुलना करें तो ये यूएस $ 787.87 मिलियन थे । यह अर्जन ₹ 5,178.93 करोड के समतुल्य है जो विगत वर्ष की तुलना करें तो ₹ 4,797.58 करोड था। इटली, जर्मनी, रूसी संघ, बेलजियम तथा तुर्की पाँच प्रमुख आयातक देश थे।

स्वदेशी मूल्य

अंतरराष्ट्रीय मूल्य के समान, रोबस्टा कॉफ़ी का स्वदेशी मूल्य भी उतार-चढाव के साथ निम्न स्तर पर प्रचलित था तथा अरेबिका ने मिश्रित रुझान दर्शाया है। अरेबिका (प्लांटेशन 'ए') का मूल्य 261.80/किलो के औसत के साथ ₹ 231/किलो एवं ₹ 283/किलो की श्रेणी में रहा था जो विगत वर्ष प्राप्त मूल्य की तुलना में 6% कम था तथा रोबस्टा (चेरी-एबी) का मूल्य ₹ 119/किलो के औसत के साथ ₹ 112/किलो एवं ₹ 130/किलो की श्रेणी में रहा था जो विगत वर्ष प्राप्त मूल्य की तुलना में 18 % कम था।

नीलामी मूल्य- आईसीटीए बेंगलुरु में प्राप्त औसत मूल्य

वित्तीय वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
प्लांट .ए	115.36	136.16	183.00	203.94	270.37	192.02	194.14	278.97	261.80
रोब.(चेरी-एबी)	79.02	98.54	80.39	84.20	113.51	144.78	122.16	144.96	119.01

बोर्ड की पहल

वर्ष के दौरान बोर्ड ने निम्न घटकों के साथ 'एकीकृत कॉफ़ी विकास परियोजना' नामक XII वीं योजना स्कीम का कार्यान्वयन जारी रखा है यथा, धारणीय कॉफ़ी उत्पादन हेतु अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी का अंतरण एवं क्षमता निर्धारण कार्यक्रम, परंपरागत क्षेत्रों में विकास समर्थन, गैर-परंपरागत क्षेत्रों में कॉफ़ी विकास कार्यक्रम, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफ़ी विकास कार्यक्रम,

कॉफ़ी के लिए वर्षापात बीमा योजना (आर आई एस सी), कॉफ़ी एस्टेट प्रचालनों के यंत्रीकरण हेतु समर्थन, निर्यात प्रोन्नयन, बाज़ार विकास तथा मूल्य संवर्धन हेतु समर्थन।

सफेद तना छेदक (डब्ल्यू एस बी) संयोधन के लिए प्रभावी समाधान प्राप्त करने के लिए आई आई एस सी तथा एन सी बी एस, बेंगलूरु को प्रायोजित दो अल्पकालीन आर व डी परियोजनाएँ (कॉफ़ी वुड स्टेम बोरर तथा सफेद तना छेदक) तथा डब्ल्यू एस बी नियंत्रण पर संस्थागत विस्तारित परीक्षण प्रगति के पथ पर हैं।

आई एस आर ओ के सहयोग से परंपरागत कॉफ़ी उपजाने वाले क्षेत्रों के छह तालुकों में प्रारंभिक रूप से भू-स्थानिक तकनीकों द्वारा कॉफ़ी बागानों के अन्वेषण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है तथा जनवरी 2016 के दौरान ''राष्ट्रीय स्तर पर कॉफ़ी बागानों के भूस्थानिक अन्वेषण'' (जियो-सीयूपी) पर द्वि-वार्षिक राष्ट्रीय स्तरीय परियोजना का कार्यान्वयन किया गया। कॉफ़ी उद्योग के क्षेत्र में 90 वर्ष की दीर्घकालीन सेवा के संस्मरणार्थ दिनांक 07.12.2015 को केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान (सी सी आर आई) में 'क्षेत्र दिवस' (फ़ील्ड डे) का आयोजन किया गया जिसमें विगत नौ दशकों के दौरान अनुसंधान विभाग के महत्वपूर्ण योगदान का प्रदर्शन किया गया तथा धारणीय कॉफ़ी उत्पादन प्रौद्योगिकी के विशेष उल्लेख के साथ वर्तमान अनुसंधान गतिविधियों की झाँकी भी प्रस्तुत की गई।

परंपरागत क्षेत्रों में पुन:रोपण./विस्तारण के अधीन 3163 हे. का क्षेत्र कार्याधीन किया गया तथा गैर-परंपरागत व पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुन:रोपण./विस्तारण के अधीन कॉफ़ी कृषि के लिए क्रमश: 4,449.44 हे. तथा 405 हे. का क्षेत्र कार्याधीन किया गया।

स्वदेशी उपभोग में 5 से 6% की सशक्त वृद्धि पाई गई है। उपभोग में वृद्धि प्राप्त करने के लिए बोर्ड द्वारा किए गए प्रयास, व्ययन आय वृद्धि, केफ़े संस्कार के प्रसार के लिए आभार प्रकट किया जाता है। वर्तमान में 1,15,000 मे.ट के स्वदेशी उपभोग का अनुमान किया गया है। कॉफ़ी उद्योग की दीर्घकालीन धारणीयता बनाए रखने के लिए उपभोग का ग्राफ़ उत्तर भारत की ओर खिंचना चाहिए। इससे उतार-चढाव भरे स्वदेशी बाज़ार से उपजकर्ताओं को सहारा प्राप्त होगा। स्वदेशी उपभोग में वृद्धि से अत्यधिक रोज़गार के अवसर, उद्यमों के लिए प्रोत्साहन तथा मूल्य शृंखला में समग्र विकास प्राप्त होंगे। विकासशील बाज़ार के समर्थन के लिए बोर्ड ने अनेक पहलुओं का प्रारंभ किया है जिसमें बारिस्ता निपुणता एवं कॉफ़ी से संबंधित प्रशिक्षण के साथ-साथ रोस्टिंग के लिए समर्थन, ग्राइंडिंग व पैकैजिंग क्षेत्र के लिए प्रत्येक एकक, 'मूल्य संवर्धन के समर्थन' के अधीन सहयोगी संस्थाएं, स्वयं सहायक समूह/ उपजकर्ता समूह/ सहकारी सामितियाँ व निगम सम्मिलित हैं। वर्ष के दौरान, बोर्ड ने नई दिल्ली के जवहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के आरवल्ली अतिथि गृह में एक नया इंडिया कॉफ़ी हाउस खोला है।

निर्यात के क्षेत्र में, कॉफी बोर्ड ने वैश्विक बाज़ार में बाज़ार संपर्क का विस्तारण तथा उत्तम गुणता व उन्नत मूल्य की कॉफ़ी के अजेय निर्यातक के रूप में देश का प्रतिनिधित्व स्थापित करने के उद्देश्य से 'निर्यात प्रोन्नयन' घटक के अधीन दूरवर्ती बाज़ारों में मूल्य संवर्धित कॉफ़ी एवं उच्च मूल्य कॉफ़ी के निर्यात के समर्थन विस्तारण का कार्य जारी रखा है। 'निर्यात परमिट' तथा 'मूल प्रमाण पत्र' जारी करने

के लिए हस्त प्रणाली के स्थान पर ऑनलाइन मोड्यूल का प्रतिस्थापन किया है।

समुद्रपारीय बाज़ारों में 'भारत में निर्मित' लेबल के प्रोन्नयन एवं अंतरराष्ट्रीय जागरूकता के सृजन तथा भारतीय उत्पाद तथा सेवाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए बोर्ड ने ब्रांडिंग व संचार सहयोगी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संस्थापित ट्रस्ट इंडिया ब्रांड इक्विटी संगठन (आई बी ई एफ़) के साथ समन्वय किया है।

गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में जनजातीय कॉफ़ी उपजकर्ताओं के लिए संरचित विपणन नेटवर्क सृजन के लिए बोर्ड के बाज़ार विकास घटक की सहायता से गिरिजन सहकारी निगम (जी सी सी) मध्यस्थ व्यक्ति को हटाते हुए जनजातीय उपजकर्ताओं को बेहत्तर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा उपजित कॉफ़ी के विपणन के लिए तैयार हुए हैं।

गोथनबर्ग, स्वीडन में 15 जून 2015 को अंतरराष्ट्रीय निर्णायकों के एक पैनल द्वारा फ़्लैवर ऑफ़ इंडिया- फ़ाइन कप पुरस्कार 2015 के अंतिम चरण के लिए चयनित कॉफ़ी प्रतिमानों का मूल्यांकन किया गया ।

19 से 23 जनवरी 2016 तक बोर्ड ने इंडिया कॉफ़ी ट्रस्ट के सहयोग से मुंबई में अंतरराष्ट्रीय कॉफ़ी फेस्टिवल-2016 के छठे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस महा व्यापार मेला के दौरान देश व विदेश से 3500 व्यापारी आगंतुकों तथा 270 से अधिक कॉफ़ी शौकीन के पदार्पण हुए। बोर्ड द्वारा सृजित नई कॉफ़ी टेबल पुस्तिका ''कॉफ़ी ब्रेक' का विमोचन किया गया ।

कार्यालयीन कार्यविधि एवं संचालान में पारदर्शिता लाने हेतु प्रधान कार्यालय, बेंगलुरु में एन आई सी के सहयोग से संपूर्ण कागज़रहित कार्यालय पद्धति ई-ऑफ़ीस परीक्षणाधीन है।

अक्तूबर 2016 **शन्मुग सुंदरम**
बेंगलुरु **अध्यक्ष, कॉफ़ी बोर्ड**

****

अध्याय I

कार्यकारी सारांश

उत्पादन

- 2015-16 फसल मौसम के दौरान अंतिम फसल प्राक्कलन 3,48,000 मेट्रिक टन था जिसमें 1,03,500 मेट्रिक टन अरेबिका (कुल का 29.7%) तथा 2,44,500 मेट्रिक टन रोबस्टा (कुल का 70.3%) सम्मिलित हैं। यह अभी तक देश के सर्वोत्तम कीर्तिमान उत्पाद है जो 6.42% वृद्धि प्रदर्शित करते हुए विगत वर्ष के 3,27,000 मे.ट को भी पार कर दिया है।
- कॉफ़ी की समग्र फार्म उत्पादकता 876 कि.ग्रा./हे. था।
- कॉफ़ी के कुल रोपित क्षेत्र लगभग 4.34 लाख हेक्टर था जिसमें से कुल फलन क्षेत्र लगभग 3.97 लाख हेक्टर था।
- देश में लगभग 3,33,527 कॉफ़ी जोत थे जिसमें से 10 हेक्टर से भी कम के छोटे जोत लगभग 3,30,853 थे तथा यह कुल जोत का लगभग 99.2% है।

निर्यात

- वर्ष के दौरान निर्मोचित निर्यात परमिट के अनुसार, ₹ 5,178.93 करोड एवं यूएस $ 792.21 मिलियन के मूल्य पर 46,795 मे.ट अरेबिका, 1,75,359 मे.ट. रोबस्टा तथा 96,084 मे.ट. इंस्टेंट एवं रोस्टड व ग्राइंडड कॉफ़ी को सम्मिलित करते हुए कुल 3,18,238 मे.ट कॉफ़ी (67,305 मे.ट. के पुन:निर्यात सहित) 108 देशों पर निर्यात की गई है।
- इटली, जर्मनी, रुस संघ, बेलजियम तथा तुर्कि पाँच प्रमुख आयातक देश थे।
- एकक मूल्य में निर्यातित सभी प्रकार की कॉफ़ी का समष्टिक मूल्य ₹ 1,62,737/- प्रति मेट्रिक टन था जो विगत वर्ष ₹ 1,76,800/- प्रति मेट्रिक टन था।
- कॉफ़ी बोर्ड के पंजीकृत निर्यातकों की कुल संख्या 686 हैं (वर्ष 2015-16 के दौरान 79 नए पंजीकरण सहित) जो पिछले वर्ष 607 थे।
- कुल 11,051 निर्यात परमिट (भारतीय मूल की कॉफ़ी के 9361 तथा पुन:निर्यातित-1690) एवं 177 पंजीकृत कॉफ़ी निर्यातकों को आई सी ओ मूल प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं जो विगत वर्ष 9,695 परमिट थे।

XII वीं योजना

'एकीकृत कॉफ़ी विकास परियोजना' शीर्षक की XII वीं योजना स्कीम (2012-17) में 10 घटक सम्मिलित हैं यथा, (1) धारणीय कॉफ़ी उत्पादन हेतु अनुसंधान एवं विकास, (2) प्रौद्योगिकी का अंतरण एवं क्षमता निर्धारण कार्यक्रम, (3) परंपरागत क्षेत्रों में विकास समर्थन, (4) गैर-परंपरागत क्षेत्रों में कॉफ़ी विकास कार्यक्रम, (5) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफ़ी विकास कार्यक्रम (6) कॉफ़ी के लिए वर्षापात बीमा योजना

(आर आई एस सी), (7) कॉफ़ी एस्टेट प्रचालनों के यंत्रीकरण हेतु समर्थन, (8) निर्यात प्रोन्नयन, (9) बाज़ार विकास तथा (10) मूल्य संवर्धन हेतु समर्थन।

अनुसंधान

- वर्ष 2014 में विकसित ग्यारह एफ, के संकर सृजित किए गए तथा उन्हें सीज़न 2015 के दौरान सी सी आर आई के क्षेत्रों में उगाया गया। एफ$_1$ संकर के एस.2651 एवं एस.2660 में बेहतर अंकुर क्षमता पाई गई।
- सी सी आर आई में मूल्यांकित किए गए कोलंबियन काटीमोर संकरों के तीन एफ2 पौधों में से दो पौधे यथा, एस.5039 (एस.4817 2/9) तथा एस.5040 (एस.4817 4/8), पत्ता किट्ट के प्रति (क्रमश:3% व 4% के मृदु संवेदनशीलता प्रकटीकरण) उन्नत क्षेत्र प्रतिरोध के साथ-साथ, क्रमश: 1629 कि.ग्रा./हे. तथा 1288 कि.ग्रा./हे. के उत्तम उपज रिकार्ड भी पाया गया है।
- वर्ष 2015 के दौरान, सुधारित उत्पादन, किट्ट प्रतिरोध तथा दाना गुणवत्ता लक्षण के साथ प्रबल अर्ध बौना जीन प्रारुपों के सृजन के लिए सार्चिमोर, एस.5149, एस.4903 तथा एस.5043 (3/19) के बीच संकरण किया गया है तथा सीज़न 2016 के दौरान क्षेत्र में रोपण हेतु संकर पौदों को नर्सरी में अनुरक्षित किया गया है।
- सी आर एस एस, चेट्टल्ली में अंतर-प्रजातीय संकरों के क्षेत्र मूल्यांकन से यह स्पष्ट हो गया है कि एस.5146 (एस एल एन.5बी × एच डी टी) से 912 कि.ग्रा./हे. के अधिकतम फसल रिकार्ड प्राप्त किया गया है।
- आर सी आर एस, थांडीगुडी में,एस.5149 (काविमोर) किट्ट की ओर उत्तम क्षेत्र प्रतिरोध के साथ-साथ 1136 कि.ग्रा/हे. के सुस्थिर औसत उपज निष्पादन रिकॉर्ड प्राप्त करते आ रहा है। सीज़न 2016 के दौरान, एस.5149 के स्व-बीज एवं एस.4889, एस.4890 तथा एस.4891 के तीन एफ$_3$ पौधे परंपरागत कॉफ़ी क्षेत्रों के 15 स्थानों में परीक्षणार्थ रोपित किए गए हैं।
- विभिन्न अर्ध-बौना जीन प्रारुप के पौधों के एस$_{एच}$ 3 जीन के समयुग्मज पौधों के साथ एस एल एन.10 (एस$_{एच}$3 जीन की दाता के रुप में प्रयुक्त) के अनुवीक्षण करने हेतु किट्ट प्रतिरोध के लिए एस$_{एच}$3 जीन से संयोजन के साथ अनुक्रमिक संप्रतीक प्रवर्धित संकेतक क्षेत्र (एस सी ए आर) में परीक्षण किया गया है।
- एस.4595 (एस एल एन.11 × एच डी टी) पर सफेद तना छेदक प्रतिरोध का जैव परीक्षण कीट विज्ञान प्रभाग के साथ संयुक्त रुप से किया गया हैं। परीक्षित नौ पौधों में से, पाँच पौधों में यह देखा गया है कि उनके क्षतिग्रस्त भागों में जहाँ लार्वा अपने प्रारंभिक आहार लेने के बाद, मर गया है, वहाँ शीघ्र ही किण का सृजन हुआ तथा इससे जीवित लार्वों का बने रहना असंभव बन गया था। शेष चार पौधों में, अंडे सेजे नहीं थे।
- बोर्ड के अनुसंधान स्टेशन/प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केंद्रों (सी सी आर आई, चेट्टल्ली एवं प्रौ मू कें,एरकाड़) के तीन क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए कुल 19 स्थानों (कर्नाटक में 15 एवं शेवरॉय

में 4) में तीन प्रगतिशील जीन प्रारुप यथा, एस. 4814 (काटीमोर लाइन × एस एल एन.5बी) तथा एस.4817 (काटीमोर लाइन × एस.1934) और एस.5146 (एस एल एन.5बी × एच डी टी) को विस्तारित परीक्षण क्षेत्रों में रोपित किए गए।

- अनावृष्टि प्रतिरोधी रोबस्टा क्लोन की क्षमता के मूल्यांकन के उद्देश्य से, वर्ष 2014 के दौरान निरंतर अनावृष्टि की आशंका वाले वायनाड जिले के पुल्पल्ली क्षेत्र के पेरिकल्लूर प्रदेश तथा मानंतवाडी क्षेत्र में 34 प्रतिरूपी पौधों का रोपण किया गया है। पारप्पलिल एस्टेट में रोपित पौधों में से प्राप्त सी × आर क्लोन से यह पाया गया कि इस क्लोन में अन्य क्लोन-संग्रह की तुलना में अधिक संवृद्धि पाई गई है।

- रोबस्टा के अंतर-प्रजातीय संकर के विभिन्न पौधों में से, सी × आर × एस.3657 के पौधों में बेहतर विकास मापदंड पाए गए हैं।

- वर्ष 2015-16 के दौरान, विभिन्न अनुसंधान केंद्र तथा प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केंद्रों (टी ई सी) में उत्पादित अरेबिका के 5,627 कि.ग्रा. तथा रोबस्टा के 3,793 कि.ग्रा को सम्मिलित करते हुए विभिन्न केंद्रों में चयनित कुल 9,420 कि.ग्रा. के बीज कॉफ़ी परंपरागत उत्पादक क्षेत्रों के उपजकर्ताओं को वितरित किए गए। गैर-परंपरागत क्षेत्रों में, अरेबिका के 8,004 कि.ग्रा. एवं रोबस्टा का 2.5 कि.ग्रा. सहित कुल 8,006.5 कि.ग्रा. के बीज कॉफ़ी की आपूर्ति की गई। इसके अलावा, 1,887.5 कि.ग्रा. के अरेबिका बीज पूर्वोत्तर क्षेत्र में वितरित किए गए।

- 2015-16 के सीजन के दौरान सी सी आर आई, सी आर एस एस, चेट्टल्ली, आर सी आर एस, चुंडेल तथा छः प्रौ मू केंद्रों में रोपित सी × आर के लगभग 56,449 जड़ सहित क्लोन 2016 के रोपण के मौसम में उगाने के लिए 191 उपजकर्ताओं को वितरित किए गए।

- सी × आर के जड़ सहित क्लोन का ऑन-फ़ार्म उत्पादन प्रोत्साहित करने के लिए, कर्नाटक के चिक्कमगलूरु, हासन, कोडगु तथा केरल के मानंतवाडी संपर्क आंचल को समनुयोजित करते हुए 14 प्रशिक्षण कार्यक्रमों (प्रत्येक स्टेशन पर 4 एवं उपज क्षेत्रों पर 10) का आयोजन किया गया। सी सी आर आई के तकनीकी सहयोग से चिक्कम गलूरु के सात स्थानों में उपज-क्षेत्रों पर क्लोन का उत्पादन शुरू किया गया था।

- टेक्सास के विश्व कॉफ़ी अनुसंधान (डब्लू सी आर) से "इंटरनेशनल मल्टी लोकेशन वेराइटी ट्रायल (आई एम एल वी टी)" कार्यक्रम के अधीन, कृत्रिम वातावरण में उगाए गए 18 अरेबिका विभेद प्राप्त किए गए थे। ये पौधे सी सी आर आई में क्षेत्र रोपण के लिए अनुयोज्य बनाया गया है। सीज़न 2016 के लिए कोलंबिया 1, कोलंबिया 2 और ईसी 16 आदि तीन विभेद पंक्तिबद्ध क्षेत्र रोपण के लिए तैयार हैं।

- एस सी ए आर संकेतक (बीए-124) के उपयोग द्वारा डी एन ए के एस$_{एच}$3 जीन के लिए सार्चिमोर × एस एल एन.10 संकर लाइनों के 23 पौधों का परीक्षण किया गया तथा 3 संकर पौधों में किट्ट प्रतिरोध जीन की उपस्थिति पाई गई है।

- ''परंपरागत कॉफ़ी के उपज क्षेत्रों में से मिट्टी की उर्वरता के मूल्यांकन एवं गुणता तथा मिट्टी की सशक्तता के अनुवीक्षण पर'' एन बी एस एस व एल यू पी, बेंगलूरु के साथ अंतर-संस्थागत सहयोगी परियोजना के अधीन मिट्टी की उर्वरता के मूल्यांकन के लिए कुल 6,556 मिट्टी के प्रतिमानों का संग्रहण किया गया था।

- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, केरल (आई आई आई टी एम-के) के सहयोग से मृदा स्वास्थ्य कार्ड के तैयारीकरण के लिए आईटी आधारित उपकरण का विकास प्रगति के पथ पर है।

- चयनित अनुसंधान स्टेशनों में अरेबिका एवं रोबस्टा कॉफियों में ''एकीकृत पोषण प्रबंधन'' पर बहु-स्थानीय परीक्षण दूसरे वर्ष में भी जारी रखा गया है। सी आर एस एस, चेट्टल्ली में 1.5 टन/हे. की दर से एफवाईएम तथा जैव-टीका के संयोजन में अकार्बनिक उर्वरकों के माध्यम से 50% पोषक तत्वों की मात्रा की संस्तुति स्वीकार करने पर अरेबिका में सांख्यिकीय रूप से अधिक फसल प्राप्त किए गए। आर सी आर एस, चुंडेल में अकार्बनिक उर्वरकों के माध्यम से 100% पोषक तत्वों की मात्रा की संस्तुति स्वीकार करने पर रोबस्टा में सांख्यिकीय रूप से अधिक फसल प्राप्त किए गए।

- मृदा पत्ता एवं जैव- रासायनिक विश्लेषण तथा सलाहकारी सेवा के अधीन कुल 8,557 मिट्टी प्रतिमान,73 पत्ता प्रतिमान तथा 758 जैव-रासायनिकों का विश्लेषण किया गया तथा संबंधित रिपोर्ट उपजकर्ताओं को भेजा गया।

- विभिन्न रोपण अभिकल्प एवं सृजन पद्धतियों के साथ चंद्रगिरि (सी सी आर आई में) तथा एस एल एन. 5बी (सी आर एस एस, चेट्टल्ली में) अरेबिका के निष्पादन के मूल्यांकन के उद्देश्य से क्षेत्र परीक्षणों का आयोजन किया गया। इसका अध्ययन प्रगति के पथ पर है।

- यंत्रीकरण द्वारा श्रमिक सक्षमता के सुधारण कार्यक्रम के अधीन सी आर एस एस, चेट्टल्ली में फुहारण एवं अन्य फार्म प्रचालनों के लिए विविधोपयोगी ट्रैक्टर वाहन (एम यू टी वी) का मूल्यांकन किया गया।

- सी आर एस एस, चेट्टल्ली में एस.4877 व एच डी टी × 5बी के जैविक व अजैविक तत्वों के विकास, उपज तथा अनावृष्टि के प्रतिरोध से संबंधित संकर परीक्षण किया गया।

- विभिन्न कॉफ़ी क्षेत्रों में किट्ट रेस फ़्लोरा के प्रभाव के अनुवीक्षण के लिए कर्नाटक तथा तमिल नाडु में कॉफ़ी किट्ट विभेदक तथा 'ए' टाइप पौधे लगाए गए हैं तथा उनके किट्ट रोगजनक प्रतिरोध एवं संभाव्यता का सावधिक निरीक्षण किया गया है।

- सी सी आर आई तथा अन्य क्षेत्रीय केंद्रों के फ़ार्मों में रोपित नए अरेबिका संकरों (F_1 और F_2) के पत्ती किट्ट रोग के क्षेत्रीय प्रभाव की संभाव्यता के अध्ययन द्वारा मूल्यांकन किया गया।

- कॉफ़ी पत्ती किट्ट के विरुद्ध नई फफूँदी नेटीवो 75% डब्ल्यूजी (टेब्यूकॉनज़ोल 50% + ट्राइफ़्लोक्सीस्ट्रोबिन 25%) का व्यवस्थित व फफूँदी संपर्क के साथ विभिन्न मिश्रणों (0.005, 0.075, 0.01, 0.015

व 0.02% ए.आई) पर मूल्यांकन किया। इसका अध्ययन प्रगति के पथ पर है।

- वर्ष 2015-16 के दौरान कॉफ़ी सफेद तना छेदक के विरुद्ध प्रभावी प्रबंधन के लिए उपजकर्ताओं को कुल 28,157 फेरोमोन ट्रेप्स वितरित किए गए।

  कॉफ़ी बेरी बोरर के प्रबंधन हेतु कर्नाटक और केरल के कॉफ़ी उपजकर्ताओं को चुग्गे के साथ 52,505 ब्रोका ट्रेप्स वितरित किए गए। इसके अलावा, वितरित ब्रोका ट्रेप्स के साथ 1,94,765 बोतल चुग्गे सामग्रियाँ वितरित की गई हैं।

- केरल के उपजकर्ताओं को मीली बग्स नियंत्रण के लिए कुल 18,000 पैरासिटोइड्स वितरित किए गए।

- सफेद तना छेदक के प्रबंधन के लिए जागरूकता सृजन हेतु सितंबर 2014 में पुन:स्थापित ''मिशन मॉड कार्यक्रम'' इस वर्ष भी कर्नाटक तथा तमिलनाडु में क्रमश: 3 व 1 के साथ कुल 4 टीमों के गठन द्वारा जारी रखा है।

- ''मादा फेरोमोन के निर्धारण एवं सफेद तना छेदक द्वारा होस्ट पौधा चयन के लिए उत्तरदाई केरोमोन की पहचान के लिए उसकी भूमिका'' पर मेसर्स भारतीय कीटनाशक नियंत्रण के जैव-नियंत्रण अनुसंधान प्रयोगशाला लिमिटेड, बेंगलूरु द्वारा प्रायोजित परियोजना के अधीन प्रयोगशाला एवं क्षेत्र दोनों स्तर पर नए चुग्गों का परीक्षण किया गया। सी सी आर आई के मेसर्स बी आर सी एल से प्राप्त फेरोमोन ब्लेंड्स के क्षेत्र मूल्यांकन से यह संकेत मिलता है कि उत्पाद कोड सं 1 के कीटों के प्रति ट्राप कैच अधिक था, उसके बाद 45, 59, 58 व 44 में भी अधिक पाया गया। सी आर एस एस, चेट्टल्ली पर उत्पाद कोड सं.58 में अधिक मादा कीट तथा अधिकतम संख्या में वयस्क कीट पाए गए।

- सफेद तना छेदक व कॉफ़ी बेरी बोरर पर प्रभाव की जाँच के लिए नए कीटनाशक अणुओं का परीक्षण किया गया।

- सफेद तना छेदक के प्रतिरोध के स्रोत के निर्धारण के लिए अंडों व नव लार्वों के निर्मोचन के बाद प्राकृतिक अरेबिका × कॉफ़ी पेड संकर के संभाव्य तना काटकर तने की जांच की है। अनुवीक्षण से यह पता चला कि लार्वे की प्रारंभिक अवस्था में जीवनक्षमता अधिक है। इस संबंध में प्रगामी अध्ययन जारी है।

- कर्नाटक के कुछ बागानों में पाए गए भीमाकार आफ्रिकी स्नैल के प्रकोप के प्रभावी नियंत्रण के लिए तकनीकी सलाहकार समिति की सेवा प्रदान की गई है तथा उसके नियंत्रण के लिए जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया।

- कर्नाटक के 48 कॉफ़ी एस्टेटों में इकालॉजिकल कॉफ़ी वेट मिल (इको-पल्पर) के निष्पादन का मूल्यांकन किया गया। इससे एक किलो फल के पल्पिंग तथा उनकी लासा निकालने के लिए, अरेबिका फल को 0.5 से 1 लिटर तक तथा रोबस्टा को 0.6 से 1.3 लिटर तक का पानी ही चाहिए जबकि परंपरागत पल्पर के लिए 3 से 5 लिटर तक का पानी आवश्यक है। स्वदेशी इको-पल्पर का निष्पादन आयातित इको-पल्पर के बराबर पाया गया।

- ''कॉफ़ी में प्रदूषण निर्मूलन'' पर किए गए अध्ययनों से यह संकेत प्राप्त हुआ है कि जैविक एजेंट (यीस्ट) तथा वाणिज्यिक पेक्टिन के अवक्रमण करने वाले किण्वक, कॉफ़ी निस्सारित प्रदूषण को 80-85% तक कम करने में प्रभावी पाए गए।

कॉफ़ी गुणता प्रभाग, बेंगलूरु

- कायिक व कप गुणता मापदंडों के निर्धारण लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र से प्राप्त 250 वाणिज्यिक प्रतिमान (शेयरधारकों से) तथा 3 अ एवं वि के नमूनों का मूल्यांकन किया गया।
- वैश्लेषिक प्रयोगशाला में कॉफ़ी में उपस्थित ओक्राटॉक्सिन-ए (ओटी-ए) की उपस्थिति की जाँच के लिए उसके 3 कॉफ़ी प्रतिमान, कैफीन के लिए 3 प्रतिमान तथा बी आई एस/एफ एस एस ए आई मापदंडों के निर्धारण के लिए 3 प्रतिमानों का परीक्षण किया गया। इसके अलावा, शेयरधारकों से प्राप्त 123 नमी-मापनों की जांच की गई ।
- 2015-16 में कॉफ़ी गुणता प्रभाग, बेंगलूरु में कॉफ़ी की रोस्टिंग एवं ब्रूइंग पर 'कापी शास्त्र' प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 53 प्रतिभागी उपस्थित थे।
- कर्नाटक, केरल, तमिल नाडु तथा महाराष्ट्र में कॉफ़ी उद्यमों के लिए पाँच अल्पकालीन कार्यकारी कार्यक्रम (एस टी आई पी) आयोजित किए गए, जिनमें 89 प्रशिक्षार्थियों को रोस्टिंग व फुटकर व्यापार संबंधी प्रशिक्षण दिया गया।
- कॉफ़ी गुणता प्रभाग, कॉफ़ी बोर्ड, बेंगलूरु द्वारा आयोजित बारिस्ता निपुणता (एस्प्रेस्सो कॉफ़ी ब्रूइंग तकनीक) पर अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में चौदह प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।
- कॉफ़ी गुणता प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के 2014-15 बैच के दस विद्यार्थियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर दिया है। 2015-16 के दौरान कुल ग्यारह विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं तथा सी सी आर आई में इसका प्रथम तिमाही सत्र पूरा किया गया है और दूसरा तिमाही सत्र कॉफ़ी बोर्ड के मुख्य कार्यालय, बेंगलूरु में चल रहा है।
- गोथनबर्ग, स्वीडन में 15 जून 2015 को अंतरराष्ट्रीय निर्णायकों के एक पैनल द्वारा फ़्लैवर ऑफ़ इंडिया-फ़ाइन कप पुरस्कार 2015 के अंतिम चरण के लिए चयनित कॉफ़ी प्रतिमानों का मूल्यांकन किया गया ।
- मार्च 2016 के दौरान विभिन्न कॉफ़ी उपजाने वाले क्षेत्रों से 142 अरेबिका एवं 90 रोबस्टा को सम्मिलित करते हुए कुल 232 कॉफ़ी प्रतिमान कायिक मूल्यांकन एवं कप्पिंग पूर्व मूल्यांकन सत्र के लिए चुन लिए गए।
- ''मूल्य संवर्धन हेतु समर्थन'' के अधीन उपदान प्रदान करने के लिए उद्योग/शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन अट्ठारह रोस्टिंग एककों का निरीक्षण किया गया। लाइसेंस नवीकरण के लिए दो क्यूरिंग वर्क्स का भी निरीक्षण किया गया।

- कॉफ़ी बोर्ड ने अक्तूबर 2015 के दौरान राष्ट्रीय निर्णायकों के प्रशिक्षण तथा विश्व बारिस्ता प्रतियोगिता के नियम व विनियम समझने के लिए कॉफ़ी बोर्ड के मुख्य कार्यालय में दो दिवसीय ''निर्णायक प्रशिक्षण कार्यशाला'' का आयोजन किया था जिसमें 22 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- राष्ट्रीय बारिस्ता प्रतियोगिता-2016, दो चरणों में आयोजित की गई। इसका प्रथम चरण 06 से 08 दिसंबर 2015 तक नई दिल्ली में तथा प्रथम चरण का दूसरा राउंड 20 से 22 दिसंबर 2015 तक कॉफ़ी बोर्ड, बेंगलूरु में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय बारिस्ता प्रतियोगिता के सेमी-फ़ाइनल व फ़ाइनल 25 से 27 फरवरी 2016 तक कॉफ़ी बोर्ड, बेंगलूरु में आयोजित किए गए।

विस्तारण एवं विकास

क. परंपरागत क्षेत्र

- कॉफ़ी कृषि की विभिन्न पहलुओं पर किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए विस्तारण कार्मिकों ने लगभग 28,358 एस्टेट दौरा, 7,754 क्षेत्र निदर्शन, 99 ग्राम स्तरीय समूह बैठकें/संगोष्ठियाँ 21 समूह संचार/संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया तथा 2,913 सलाहकारी पत्र जारी किया ।

- 'परंपरागत क्षेत्रों में कॉफ़ी के लिए विकास समर्थन' घटक के अधीन 3,163 हे.का क्षेत्र पुनर्रोपण/ विस्तारण, 4,109 एकक जल आवर्धन, 2,198 एकक गुणता प्रोन्नयन तथा 22 एकक प्रदूषण उपशमन कार्यक्रम के अधीन लाने के लिए समर्थन विस्तारित किया गया ।

- 'कॉफ़ी एस्टेट प्रचालनों के यंत्रीकरण हेतु समर्थन' घटक के अंतर्गत 7,539 मशीनरियों के लिए समर्थन विस्तारित किया गया जिससे 6,876 उपजकर्ता लाभान्वित हुए।

- क्षमता निर्धारण कार्यक्रम के अधीन भारतीय बागान प्रबंधन संस्थान,बेंगलुरु के सहयोग से बोर्ड ने विभिन्न कॉफ़ी उपजाने वाले क्षेत्रों में स्थित बोर्ड के कार्मिकों के साथ 148 कॉफ़ी उपजकर्ताओं के लिए 7 संपर्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

- आईआईपीएम, बेंगलुरु में बोर्ड के 42 अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए दो अल्पकालीन कार्यकारी कार्यक्रम आयोजित किए गए।

- कृषि विश्वविद्यालय/आई सी ए आर के के वी के के सहयोग से 901 महिला उपजकर्ताओं/ कामगारों के लिए 41 व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

- श्रम कल्याण उपाय के अंतर्गत 5,839 विद्यार्थियों को ₹ 1.61 करोड की राशि की सहायता प्रदान की गई।

ख. गैर-परंपरागत क्षेत्र (आंध्र प्रदेश एवं उडिशा)

- कॉफ़ी उपजकर्ताओं के हित के लिए विस्तारण कार्मिकों ने 3,322 काफ़ी एस्टेटों का दौरा, 1,394 क्षेत्र निदर्शनों तथा 248 समूह बैठकों का आयोजन किया।

- कॉफ़ी कृषि की विभिन्न पहलुओं की सूचना प्रदान करवाने के लिए 36 लाभार्थियों को परंपरागत कॉफ़ी उपजाने वाले क्षेत्रों के अध्ययन दौरे का

अवसर प्रदान किया तथा 484 जनजातीय कॉफ़ी उपजकर्ताओं को गुणता जागरूकता अभियान का लाभ प्राप्त हुआ।

- आई टी डी ए के समर्थन द्वारा कुल 4,449.44 हे. कॉफ़ी कृषि के अधीन लाया गया। 1,622 ड्राइंग यार्ड के निर्माण तथा 937 बेबी पल्पर्स के प्रापण हेतु समर्थन दिया गया।
- श्रम कल्याण उपाय के अंतर्गत 793 जनजातीय विद्यार्थियों को ₹ 16.83 लाख की सहायता प्रदान की गई।

ग. पूर्वोत्तर क्षेत्र

- कॉफ़ी कृषि के विभिन्न पहलुओं पर कॉफ़ी उपजकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए बोर्ड के विस्तारण कार्मिकों ने 2,707 कॉफ़ी एस्टेटों का दौरा किया, 1,385 क्षेत्र निदर्शनों, 234 सामूहिक बैठकें, 73 गुणता जागरुकता अभियानों का आयोजन किया।
- कॉफ़ी विस्तारण के अधीन 405 हे., समेकन के अधीन 81.2 हे., 66 ड्राइंग यार्ड के निर्माण लिए तथा 38 जल प्रवर्धन एककों के लिए समर्थन विस्तारित किया गया।
- श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत 85 विद्यार्थियों को ₹ 1.61 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

प्रोन्नयन

- बोर्ड ने 12 समुद्रपारीय प्रदर्शनियों में भाग लिया तथा भारतीय कॉफ़ी निर्यातकों की सक्रिय सहभागितायुक्त कार्यक्रमों के साथ 5 विशेष कार्यक्रमों/कप्पिंग सत्रों का आयोजन किया।
- बोर्ड ने देश में कॉफ़ी सेवन के प्रोन्नयन के संभावित क्षेत्रों के निर्धारण के बाद 44 प्रतिष्ठित स्वदेशी प्रदर्शनियों में भाग लिया।
- कॉफ़ी के स्वदेशी प्रोन्नयन के भाग के रूप में कॉफ़ी बोर्ड ने जे एन यू परिसर, नई दिल्ली में विशेष इंडिया कॉफ़ी हाउस आउटलेट खोला।
- मेक्सिको के स्वतंत्र कॉफ़ी पत्रकार मज़ा वेल्लेंग्रन ने कॉफ़ी बोर्ड तथा कॉफ़ी बागानों का दौरा किया। उन्होंने चाय व कॉफ़ी व्यापार पत्रिका के साथ-साथ वैश्विक कॉफ़ी रिपोर्ट में भारतीय कॉफ़ी के बारे में 4 लेख लिखे।
- 2015-16 में कॉफ़ी बोर्ड ने आईबीईएफ़ वेबसाइट पर 15 ब्लॉग्स प्रकाशित किए हैं।

बाज़ार अनुसंधान एवं आसूचना

- वार्षिक फसल प्राक्कलन, बाज़ार रुझानों का विश्लेषण, कॉफ़ी पर डेटाबेस का अनुरक्षण तथा सावधिक अनुसंधान रिपोर्ट के कार्य किए गए।
- डब्ल्यू टी ओ एवं कॉफ़ी की व्यापार-नीति से संबंधित मामलों पर आर्थिक तथा विश्लेषणात्मक समर्थन प्रदान किया।
- 246 दैनिक बाज़ार रिपोर्ट सृजित करते हुए प्रसारित किए गए।
- जून 2015, दिसंबर 2015 तथा मार्च 2016 के विस्तृत 'कॉफ़ी डाटाबेस' के तीन संस्करण प्रकाशित किए गए।

- 2015-16 के दौरान विभिन्न विपणन संस्थाओं को सम्मिलित करते हुए भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के द्वारा कर्नाटक, केरल तथा तमिल नाडू में कॉफ़ी के लिए वर्षापात बीमा योजना (आर आई एस सी) का कार्यान्वयन किया गया। 2015-16 के दौरान 751 हे. को समनुयोजित करवाते हुए 236 कॉफ़ी उपजकर्ताओं ने इय योजना में भाग लिया।

- एकक ने भारतीय कॉफ़ी पर लघु फ़िल्म के निर्माण व टी वी सी से संबंधित गतिविधियों का समन्वय किया तथा यह परियोजना मेसर्स एन डी टी वी को प्रदान की गई। फ़िल्म की शूटिंग व टी वी सी का निर्माण अंतिम चरण पर है।

प्रशासन

- यथा 31.03.2016 को बोर्ड की स्टाफ संख्या 823 थी जिसमें 89 'क' श्रेणी के अधिकारी, 135 'ख' श्रेणी के अधिकारी तथा 599 'ग' श्रेणी के कर्मचारी सम्मिलित थे।

- वर्ष के दौरान कॉफ़ी बोर्ड (संवर्ग एवं भर्ती) नियमावली 2014 की अधिसूचना के बाद बोर्ड ने 38 अधिकारियों/ कर्मचारियों की नियुक्ति की तथा 74 अधिकारियों/ कर्मचारियों की पदोन्नति की है।

सतर्कता एवं कानूनी

- वर्ष के दौरान सतर्कता प्रभाग ने 28 मामलों में से 5 मामलों को निटाया ।

- संपूर्ण देश में स्थित बोर्ड के समस्त कार्यालयों में 26 अक्तूबर से 31 अक्तूबर 2015 तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया गया।

- वर्ष के दौरान लंबित 61 न्यायालयीन मामलों में से 7 मामलों का निपटान किया गया।

- मंत्रालय ने वर्तमान कॉफ़ी अधिनियम के संशोधन द्वारा वास्तविकता एवं प्रयोजनों को प्रकट कराते हुए नई विधाई क्रियान्वित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

- कर्नाटक उच्च न्यायालय के निदेशानुसार मेसर्स कोडगु कॉफ़ी उपजकर्ता समिति, मडिकेरी ने दिनांक 22.12.2015 को न्यायिक रकम ₹ 1,55,28,034/- का भुगतान किया।

सूचना का अधिकार

- प्राप्त 113 आवेदनों में से 102 आवेदन निपटाए गए। वर्ष के दौरान प्राप्त नौ अपीलों से आठ अपीलों का निपटान किया गया ।

इंजीनियरिंग एकक

- बोर्ड के इंजीनियरिंग प्रभाग ने ₹ 2.75 करोड के व्यय के विभिन्न अंतरसंरचनात्मक विकास एवं अनुरक्षण कार्य किए हैं ।

राजभाषा कार्यान्वयन

- राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अनुपालन सुनिश्चित किया गया

- हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित समेकित ऑन-लाइन तिमाही प्रगति रिपोर्ट राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।

- वाणिज्य विभाग की हिंदी सलाहकार समिति तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बेंगलूरु की बैठकों में नियमित सहभागिता सुनिश्चित की गई।

- वर्ष के दौरान 69 अधिकारियों/कर्मचारियों को यूनिकोड पर प्रशिक्षण दिया गया तथा मुख्य कार्यालय के 89 कंप्यूटर्स तथा 5 लापटॉप्स में यूनिकोड का संस्थापन किया। सी सी आर आई, बालेहोन्नूर, चिक्कमगलूरु, चेट्टल्ली, मडिकेरी, कल्पट्टा, चुंडेल तथा अन्य उप-कार्यालयों में भी यूनिकोड एनेबल किया गया।
- भारतीय स्वतंत्रता की स्वर्णजयंती के उपलक्ष्य में एक चल वैजयंती की स्थापना की गई थी जिसके अधीन बेंगलूर शहर के 30 विभिन्न सरकारी कार्यालयों/ सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया तथा एच पी सी एल ने चल वैजयंती जीती।
- 01.09.2015 से 13.0.2015 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया तथा 14.09.2015 को आयोजित हिंदी दिवस के अवसर पर विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया।
- घर/कार्यालयों में अग्नि दुर्घटना तथा अग्नि सुरक्षा उपायों पर हिंदी में विशेष वक्तव्य दिलवाया गया।

ई-पहल

- निर्यात परमिट तथा मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए हस्त प्रणाली को ऑन लाइन मोड्यूल से प्रतिस्थापित किया गया तथा उसे सशक्त बनाया जा रहा है ।
- 'एकीकृत कॉफ़ी विकास परियोजना' के अधीन परंपरागत क्षेत्रों में कॉफ़ी विकास कार्यक्रम घटक के विभिन्न उप-घटकों के लिए उपदान आवेदन प्राप्त करने, संसाधन एवं अनुमोदन के लिए ऑन लाइन मोड्यूल उपयोग में लाया गया तथा उसे सशक्त बनाया जा रहा है ।
- एन आई सी के सहयोग से एक संपूर्ण कागज-रहित कार्यालय मोड्यूल, ई-ऑफिस मुख्य कार्यालय, बेंगलुरु में परीक्षणाधीन है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- 2015-16 के दौरान कॉफ़ी उत्पादन में 3,48,000 मे.ट. का सर्वोत्तम कीर्तिमान उपलब्ध किया गया है।
- 2015-16 के दौरान ₹ 5,178 करोड़ (792 मिलियन) मूल्य की 3,18,238 मे.ट. कॉफ़ी का निर्यात किया गया । 2015-16 के दौरान कुल निर्यातित कॉफ़ी के अंतर्गत दौरान ₹ 2,063 करोड़ ($ 315 मिलियन) मूल्य की 1,12,349 मे.ट. मूल्य संवर्धित एवं विशिष्ट कॉफ़ी सम्मिलित हैं।
- शिखर समिति द्वारा आई आई एस सी तथा एन सी बी एस, बेंगलूरु से प्राप्त दो अल्पकालीन प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा दोनों अक्तूबर 2015 में प्रवर्तित किए गए।
- आई आई एस सी द्वारा कॉफ़ी वुड स्टेम बोरर छेदन का जैव-मैकानिक्स तथा निम्न आक्रामक संसूचन तकनीकों का विकास
- एन सी बी एस द्वारा सफेद तना छेदक पारिस्थितिकी एवं आचार विज्ञान का निर्धारण
- जनवरी 2015 में डब्ल्यू एस बी नियंत्रण के अधीन सफेद तना छेदक प्रभावित तने में वयस्क बोरर कीटों को प्रवेश के पूर्व हे उसे मारने के लिए

महत्वपूर्ण उपाय प्राप्त हुआ है जिससे प्रभावित पौधों के निष्कासन से बचाव एवं समीपस्थ सशक्त पौधों में संक्रमण निरोधन में सहायता प्राप्त होती है। विस्तारित परीक्षण जारी रखी है। इसके अलावा सफेद तना छेदक के विरुद्ध नए रासायनिक अणुओं के परीक्षण के लिए अक्तूबर 2015 के दौरान मेसर्स टाटा कैमिकल्स नवाचार केंद्र, पुणे के सहयोग से क्षेत्र परीक्षण प्रारंभ किए गए हैं।

- 2015 में बहु-स्थानिक परीक्षण के लिए उच्चतम कॉफ़ी पत्ती कीट प्रतिरोध, उन्नत उपज तथा उत्तम गुणता के तीन प्रगतिशील अरेबिका श्रेणियों (एस.4841,एस.4817 व एस.5146) का निर्मोचन किया गया।

- जनवरी 2016 के दौरान द्वि-वार्षिक राष्ट्रीय परियोजना राष्ट्रीय स्तर पर कॉफ़ी बागानों के भूस्थानिक आविष्कार का क्रियान्वयन किया गया है।

- वर्ष 2015-16 के दौरान परंपरागत क्षेत्रों में कॉफ़ी कृषि एवं पुन:रोपण के अधीन 3,163 हे. के क्षेत्र कार्याधीन किया गया ।

- वर्ष 2015-16 के दौरान गैर-परंपरागत क्षेत्रों (आंध्र प्रदेश एवं उडिशा) में कॉफ़ी कृषि के विस्तारण/समेकन के अधीन 4,449 हे. के क्षेत्र काम में लाया गया।

- वर्ष 2015-16 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफ़ी कृषि के विस्तारण/समेकन के अधीन 481 हे. के क्षेत्र काम में लाया गया।

- कॉफ़ी कृषि के लिए नए क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। परंपरागत क्षेत्रों में कॉफ़ी कृषि के विस्तारण के लिए लगभग 19,000 हे. क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। गैर-परंपरागत क्षेत्रों में लगभग 45,000 हे. कॉफ़ी के विस्तारण के संभावित क्षेत्र हैं।

- हासन के संयुक्त निदेशक (वि) तथा उप निदेशक (वि) के कार्यालय के संचलन के लिए नए भवन परिसर की स्थापना की गई है।

- कॉफ़ी उद्योग के क्षेत्र में 90 वर्ष की दीर्घकालीन सेवा के संस्मरणार्थ दिनांक 07.12.2015 को केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान (सी सी आर आई) में 'क्षेत्र दिवस'(फ़ील्ड डे) का आयोजन किया गया जिसमें विगत नौ दशकों के दौरान अनुसंधान विभाग के महत्वपूर्ण योगदान का प्रदर्शन किया गया तथा धारणीय कॉफ़ी उत्पादन प्रौद्योगिकी के विशेष उल्लेख के साथ वर्तमान अनुसंधान गतिविधियों की झाँकी भी प्रस्तुत की गई।

- रोबस्टा की उपादकता बढाने के लिए क्लोनल विकास पर महत्व दिया गया है। रोबस्टा के क्लोनल विकास के प्रचार-प्रसार के लिए कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

- अंकीकरण प्रकार्य व सेवाओं के अधीन (क) कॉफ़ी बोर्ड वेबसाइट का पुनरभिकल्प करते हुए आई बी ई एफ़ टेम्पलेट पर होस्ट किया गया। (ख) निर्यात परमिट के लिए विकसित ऑनलाइन सिस्टम (ग) उपदान कार्यक्रमों के लिए विकसित ऑनलाइन

सिस्टम (घ) ई-ऑफ़ीस कार्यान्वयन (ङ) पी एफ़ एम एस एवं डी बी टी का कार्यान्वयन

- निम्न कार्यक्रमों द्वारा कॉफ़ी क्षेत्र में कुशल श्रम-शक्ति विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं (क) कॉफ़ी गुणता प्रबंधन एवं कापी शास्त्र कार्यक्रम में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (ख)कॉफ़ी गुणता पर एक दिवसीय/ द्वि-दिवसीय कार्यशाला (ग) बारिस्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम(घ) कॉफ़ी उद्यमता पर व्यावसायिक प्रमाणन कार्यक्रम (सी आई ई-आई आई पी एम के सहयोग से) (ङ) कॉफ़ी उद्यमता पर संपर्काधीन कार्यक्रम (सी आई ई-आई आई पी एम के सहयोग से)
- जे एन यू परिसर, नई दिल्ली में एक नया इंडिया कॉफ़ी हाउस खोला गया ।
- 1 अक्तूबर 2015 को देश में स्थित बोर्ड के समस्त कार्यालयों में 'अंतरराष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस' मनाया गया।
- जनवरी 2016 के दौरान बोर्ड ने विश्व कॉफ़ी ट्रस्ट के सहयोग से मुंबई में अंतरराष्ट्रीय कॉफ़ी फेस्टीवल-2016 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस महा व्यापार मेला के दौरान देश व विदेश से 3,500 व्यापारी आगंतुकों तथा 270 से अधिक कॉफ़ी शौकीन के पदार्पण हुए।
- बोर्ड द्वारा सृजित नई कॉफी टेबल पुस्तिका ''कॉफ़ी ब्रेक'' का विमोचन किया गया।
- 'धारणीय भारतीय कॉफ़ी क्षेत्र के लिए समर्थित कॉफ़ी व्यापार' पर विवरणिका का विमोचन किया गया ।

****

अध्याय II

बोर्ड का गठन एवं प्रकार्य

कॉफ़ी बोर्ड, संसद द्वारा अधिनियमित कॉफ़ी अधिनियम 1942 के अधीन संस्थापित वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण अधीन एक सांविधिक संगठन है।

बोर्ड में, मुख्य कार्यपालक अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए 33 सदस्य हैं तथा सांसदों, कॉफ़ी उद्योग के विभिन्न हितैषी सदस्यों से सम्मिलित 32 सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

वर्तमान बोर्ड को 07.01.2014 से 06.01.2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया है। हालाँकि 15 दिसंबर 2015 के राजपत्र की अधिसूचना के माध्यम से कॉफ़ी अधिनियम 1942 (1942 का VII) की धारा 4 की उप-धारा (2) एवं कॉफ़ी नियमावली 1955 के नियम 3 व 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग तथा भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. एसओ 44(ई) दिनांक 06 जनवरी 2014 एवं एसओ 2369(ई) दिनांक 15 सितंबर 2014 का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार ने अधिसूचना की तारीख से अर्थात् 15.12.2015 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड का पुनर्गठन किया।

हालाँकि, दिनांक 06.01.2014 की पूर्व अधिसूचना द्वारा नियुक्त 12 सदस्यों ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में प्रत्येक रिट याचिका प्रस्तुत की तथा तदनुसार याचिकाकर्ताओं ने 15.12.2015 की अधिसूचना पर स्थगन आदेश प्राप्त किया। यह मामला निपटान के लिए लंबित है।

01.04.2015 से 09.05.2015 तक की अवधि के दौरान श्री जावेद अख्तर, आई ए एस, बोर्ड के अध्यक्ष एवं बोर्ड के विभिन्न समितियों के भी पदेन अध्यक्ष थे।

श्रीमती लीना नायर, आई.ए.एस, दिनांक 12.05.2015 से 31.03.2016 तक की रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान बोर्ड के अध्यक्ष तथा बोर्ड के विभिन्न समितियों के भी पदेन अध्यक्ष रहीं।

बोर्ड के प्रकार्य

बोर्ड को सौंपे गए प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं :

I) कॉफ़ी उद्योग के हित में कृषि एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान का संवर्धन

II) कॉफ़ी एस्टेटों की अभिवृद्धि हेतु सहायता

III) भारत में उत्पादित कॉफ़ी की भारत में तथा अन्यत्र बिक्रय एवं उपभोग का संवर्धन

IV) कॉफ़ी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अन्य सभी प्रचालनों का प्रबंधन

इसके अलावा, बोर्ड कॉफ़ी उद्योग से संबंधित सांख्यिकीय और अन्य संगत आंकडे संग्रहीत करते हुए उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में सूचना प्रसारित भी करता है; बोर्ड, कॉफ़ी उद्योग की तरफ से सरकार, माध्यम, व्यापार तथा जनसाधारण के लिए मान्यताप्राप्त प्रवक्ता के रुप में कार्य करता है और देश में कॉफ़ी उद्योग के संपूर्ण प्रवर्धन तथा विकास के लिए मार्गदर्शन देता है।

कॉफ़ी बोर्ड, अंतरराष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन, अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठनों, विशिष्ट कॉफ़ी संघों जैसे अंतरराष्ट्रीय फोरम में भारतीय कॉफ़ी उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है तथा कॉफ़ी उद्योग के लाभ के लिए उनके साथ कार्यरत है।

सांविधिक समितियाँ

बोर्ड अपनी छ: सांविधिक समितियों के माध्यम से काम करता है। एक वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक समिति नियुक्त की जाती है। कॉफ़ी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक समिति के कार्य निम्नानुसार हैं :

क्र.सं	समिति का नाम	प्रकार्य
1.	कार्यकारी समिति	कॉफ़ी नियमवाली के अधीन विशेषतया सौंपे गए कार्य निपटाती है। इसके अतिरिक्त प्रचार, विपणन, अनुसंधान या बोर्ड द्वारा गठित किसी अन्य समिति को विशेषतया सौंपे गए कार्य निपटाती है।
2.	प्रचार समिति	भारत में तथा अन्यत्र उत्पादित कॉफ़ी के बिक्रय का प्रोन्नयन तथा उपभोग के प्रवर्धन से संबंधित मामले निपटाती है।
3.	विपणन समिति	अधिनियम तथा नियमावली में निर्धारित कॉफ़ी विपणन योजना के अनुसार कार्य करती है।
4.	अनुसंधान समिति	भारत में कॉफ़ी उद्योग के हित में कृषि एवं प्रौद्योगिकीय अनुसंधान के प्रोन्नयन से संबंधित कार्य करती है।
5.	विकास समिति	कॉफ़ी एस्टेटों के विकास हेतु क्रियान्वित उपायों से संबंधित कार्य करती है।
6.	गुणवत्ता समिति	भारत में उत्पादित कॉफ़ी की गुणता में सुधारण से संबंधित सभी कार्य निपटाती है।

गैर–सांविधिक समितियाँ

बोर्ड में लेखा परीक्षा समिति के नाम से एक गैर सांविधिक समिति भी है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं	समिति का नाम	प्रकार्य
1.	लेखा परीक्षा समिति	यह वार्षिक लेखा से संबंधित सभी कार्य करती है तथा लेखा संबंधी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की स्थिति का अध्ययन भी करती है।

01.04.2015 से 31.03.2016 तक की अवधि के दौरान बोर्ड, सांविधिक समितियों तथा गैर–सांविधिक समितियों की बैठकों का विवरण

बोर्ड की बैठक

1. दिनांक 02.05.2015 को बोर्ड की 201 वीं बैठक आयोजित की गई थी।

2. **सांविधिक समितियों की बैठकें**

   रिपोर्टाधीन अवधि में कोई बैठक नहीं हुई थी।

3. **गैर–सांविधिक समितियों की बैठकें**

   दिनांक 13.07.2015 को लेखा परीक्षा समिति की 26 वीं बैठक हुई थी।

****

अध्याय III

प्रशासन एवं स्थापना

कॉफ़ी बोर्ड, कॉफ़ी अधिनियम, 1942 (1942 का VII) के अंतर्गत संस्थापित एक सांविधिक निकाय है जिसका निरंतर उत्तराधिकार तथा सामान्य मोहर है एवं अपनी संपत्ति के ग्रहण तथा उसका स्वामित्व, संविदाकरण, मुकदमा चलाने एवं चलवाने का अधिकार प्राप्त है।

अध्यक्ष

1. श्री जावेद अख्तर, आई ए एस - 09.05.2015 तक

2. श्रीमती लीना नायर, आई ए एस -12.05.2015 से

विभागों के प्रधान

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, निम्नलिखित विभागों के प्रधान उनके नामों के सामने दर्शाए गए पदों पर कार्यरत थे।

1. श्री एम.चन्द्रशेखर, आई टी एस - सचिव

2. डॉ.आरती दीवान गुप्ता, आई डी ए एस - वित्त निदेशक

3. डॉ.वाई.रघुरामुलु - अनुसंधान निदेशक

विभिन्न विभागों को सौंपे गए उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं :

1. सचिवालय विभाग

सचिवालय विभाग सभी प्रशासनिक (स्टाफ और कार्यालय स्थापना) तथा सतर्कता मामले, बोर्ड के विभिन्न प्रभागों/एककों में कार्य आबंटन और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्रस्तुत करने के अनुपालन के अनुवीक्षण के लिए उत्तरदाई है। यह विभाग श्रम कल्याण उपाय संबंधी योजना के अनुवीक्षण के अलावा बोर्ड तथा सांविधिक समितियों की बैठकें आयोजित करने का कार्य भी करता है।

सचिवालय विभाग के अधीन निम्न 6 एकक कार्यरत हैं :-

i) प्रशासन एकक

ii) राजभाषा एकक

iii) सतर्कता एकक

iv) कानूनी एकक

v) इंजीनियरिंग एकक तथा

vi) सूचना का अधिकार एकक

2. अनुसंधान विभाग

पौधा प्रजनन व प्रबंधन, रोग एवं नाशिकीट प्रबंधन, पौधा संरक्षण, फार्म संबंधी संसाधन की फसलोत्तर कार्य-प्रणाली, प्रदूषण उपशमन आदि विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनुसंधान क्रियाकलापों के कार्यान्वयन का दायित्व अनुसंधान विभाग को सौंपा गया है । अनुसंधान विभाग रोपण समुदाय को सलाहकारी सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ विभिन्न शेयरधारकों के हित के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। विश्लेषिक प्रयोगशाला तथा

गुणता प्रभाग, अनुसंधान विभाग के अन्य एकक हैं जिनके द्वारा कॉफ़ी उद्योग के गुणता मूल्यांकन के लिए सहयोग प्रदान किया जाता है।

3. विस्तारण तथा विकास विभाग

बोर्ड के विस्तारण विभाग ने कॉफ़ी की उत्तम उत्पादकता तथा गुणता स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से निरंतर प्रौद्योगिकी के अंतरण हेतु अनुसंधान समुदाय तथा कॉफ़ी उपजकर्ताओं के बीच आपसी संबंध स्थापित किया है । यह विभाग कॉफ़ी कृषि, उत्पादन एवं गुणता सुधारण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों पर कॉफ़ी उपजकर्ताओं को विकास समर्थन भी प्रदान करता है।

4. बाज़ार विकास एवं प्रोन्नयन विभाग

निर्यातकों के पंजीकरण, पंजीकरण का नवीकरण, निर्यात परमिट का निर्मोचन, भारत से कॉफ़ी के निर्यात के लिए आई सी ओ मूल प्रमाणपत्र, मंत्रालय को आवधिक रिपोर्ट की प्रस्तुति तथा भारत से निर्यातित कॉफ़ी पर आई सी ओ प्रमाणपत्र जारी करने आदि का दायित्व विभाग के निर्यात एकक को सौंपा गया है। इसके साथ ही दूरस्थ बाज़ारों को उत्तम मूल्य कॉफ़ी के निर्यात हेतु प्रोत्साहन व समर्थन देने तथा इंडियन ब्रैंड के माध्यम से मूल्य संवर्धित कॉफ़ी के निर्यात का प्रवर्धन एवं कॉफ़ी निर्यातों में सर्वोत्तम निष्पादन का निर्धारण करते हुए निर्यात पुरस्कार प्रदान करने का काम भी करता है। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, कार्यक्रम, अंतरराष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन के विचार-विमर्श में सहभागिता तथा ब्रैंड प्रोन्नयन क्रियाकलाप बाह्य प्रोन्नयन के लिए आवश्यक है।

स्वदेशी प्रोन्नयन के अंतर्गत संवर्धनीय गतिविधियों में स्वदेशी कार्यक्रमों में सहभागिता, माध्यम अभियान तथा कॉफ़ी रोस्टिंग, ग्राइंडिंग, तथा पैकेजिंग एकक स्थापित करने के लिए प्रगामी उद्यमियों का प्रशिक्षण सम्मिलित हैं। इस प्रशिक्षण से प्रसंस्करण एककों की स्थापना की योजना का समर्थन प्राप्त होता है।

बाज़ार अनुसंधान तथा आसूचना एकक ने कॉफ़ी निर्यात के संबंध में उद्योग के सुविधाकारक के रुप में बोर्ड की भूमिका निभाते हुए अपनी बाज़ार सूचना तथा आसूचना गतिविधियाँ जारी रखी हैं। यह एकक फसल की परिस्थिति, फसल अनुमान तथा बाज़ार आँकडे/सूचना, उद्योग से संबंधित निर्यात एवं उपयोगी व्यापार संबधी आँकडे का दैनिक आधार पर अनुवीक्षण करते हुए उनकी इनपुट देता है।

5. लेखा व वित्त विभाग

बोर्ड का लेखा एवं वित्त विभाग, बोर्ड की निधियों का आबंटन/प्रशासन, बोर्ड की लेखा का प्रबंधन तथा वित्त प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों को निपटाता है। बोर्ड की आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टी (आई ए पी) इस विभाग का एक अंश है जो कार्यालय के कार्यों और रिकार्डों के अनुरक्षण में सुगमता सुनिश्चित करने हेतु मुख्य कार्यालय तथा उप-कार्यालयों के वित्त एवं लेखा की आंतरिक जाँच करती है।

सचिवालय विभाग

प्रशासन एकक

(क) भर्ती

वर्ष के दौरान बोर्ड की सेवाओं के लिए विभिन्न संवर्गों में कुल 38 अधिकारियों /कर्मचारियों की भर्ती हुई जिसका विवरण निम्नलिखित है :

क्र.सं.	भर्ती किए गए संवर्ग	भर्ती किए गए कार्मिकों की सं.	अभ्युक्तियाँ
1.	उप निदेशक (लेखा)	1	प्रतिनियुक्ति पर
2.	अनुसंधान सहायक श्रेणी-1	15	सीधी भर्ती द्वारा
3.	विस्तारण निरीक्षक	10	एक अनुकंपा के आधार पर तथा 9 सीधी भर्ती द्वारा
4.	कनिष्ठ सहायक	9	3 अनुकंपा के आधार पर तथा 6 अपंग व्यक्तियों के लिए विशेष भर्ती अभियान द्वारा
5.	बहु-कार्य कार्मिक (एम.टी. एस)	3	
कुल		**38**	

(ख) पदोन्नतियाँ

वर्ष के दौरान, कुल 74 अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	किस संवर्ग से पदोन्नत हुआ	किस संवर्ग पर पदोन्नत हुआ	पदोन्नत अधिकारियों/ कर्मचारियों की सं
1.	उप निदेशक (अनुसंधान)	संयुक्त निदेशक (अनुसंधान)	1
2.	विषय वस्तु विशेषज्ञ	प्रभागीय प्रधान	4
3.	विषय वस्तु विशेषज्ञ	उप निदेशक (अनुसंधान)	2
4.	सहायक विशेषज्ञ	विषय वस्तु विशेषज्ञ	8
5.	अनुसंधान सहायक श्रेणी-1	सहायक विशेषज्ञ	2
6.	उप निदेशक (विस्तारण)	संयुक्त निदेशक (विस्तारण)	1
7.	वरिष्ठ संपर्क अधिकारी	उप निदेशक (विस्तारण)	2
8.	कनिष्ठ संपर्क अधिकारी	वरिष्ठ संपर्क अधिकारी	2
9.	सहायक विस्ता. अधिकारी श्रेणी-1	कनिष्ठ संपर्क अधिकारी	16

क्र. सं.	किस संवर्ग से पदोन्नत हुआ	किस संवर्ग पर पदोन्नत हुआ	पदोन्नत अधिकारियों/ कर्मचारियों की सं
10.	उप सचिव (अनुसचिवीय)	संयुक्त सचिव (न्यायिक)	1
11.	सहा.सचिव (अनुसचिवीय)	उप सचिव (अनुसचिवीय)	7
12.	सहा.सचिव (आशुलिपिक)	उप सचिव (आशुलिपिक)	1
13.	उप सचिव (अनुसचिवीय)	जन संपर्क अधिकारी	1
14.	वरिष्ठ सहायक	सहा.सचिव (अनुसचिवीय)	19
15.	कनिष्ठ आशुलिपिक	सहा.सचिव (आशुलिपिक)	1
16.	ड्राइवर-श्रेणी-I	ड्राइवर विशेष श्रेणी	2
17.	ड्राइवर-श्रेणी-II	ड्राइवर-श्रेणी I	2
18.	ड्राइवर- सामान्य श्रेणी	ड्राइवर-श्रेणी-II	2
कुल			**74**

(ग) संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम ए सी पी एस)

वर्ष के दौरान संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम ए सी पी एस) के अंतर्गत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को वित्तीय प्रोन्नयन प्रदान नहीं किया गया।

(घ) संशोधित नम्य पूरक योजना (एम एफ सी एस)

वर्ष के दौरान संशोधित नम्य पूरक योजना (एम एफ सी एस) के अंतर्गत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को यथावत पदोन्नति नहीं दी गई ।

ङ) कैरियर प्रोन्नयन योजना (सी आई एस)

कैरियर प्रोन्नयन योजना (सीआईएस) के अंतर्गत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को वित्तीय प्रोन्नयन प्रदान नहीं किया गया।

च) स्थानान्तरण तथा तैनातियाँ

वर्ष 2015-16 के दौरान सामान्य मार्गदर्शनों के आधार पर कुल 105 अधिकारियों/कर्मचारियों को स्थानांतरित किया गया। इसका विवरण निम्नलिखित है :

क्र.सं.	संवर्ग/श्रेणी	स्थानांतरित/तैनात अधिकारियों/ कर्मचारियों की सं.
1.	श्रेणी 'क'	24
2.	श्रेणी 'ख'	6
3.	श्रेणी 'ग'	75
कुल		**105**

कर्मचारी कल्याण उपाय (01–04–2015 से 31–03–2016 तक)

i) रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, वाहन क्रय, वैयक्तिक कंप्यूटर या भवन निर्माण आदि संबंधी अग्रिम स्वीकृत नहीं किया गया।

ii) बोर्ड, भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से सामूहिक बचत सहबद्ध बीमा योजना संचालित करता है। मार्च 2016 तक योजना में विभिन्न श्रेणी के 763 कर्मचारी इस योजना के सदस्य के रूप में नामांकित हैं तथा वर्ष के दौरान 60 सदस्यों को ₹ 28,52,199/– की राशि का निपटान किया गया।

I. श्रम कल्याण उपाय

क) शैक्षणिक छात्रवृत्ति:– शैक्षणिक वर्ष 2014–15 में एस एस एल सी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों तथा शैक्षणिक वर्ष 2015–16 में एस एस एल सी के पश्चात प्रथम वर्ष पी यू सी, पॉलीटेकनीक/ व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे उच्च अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को क्रमश: ₹ 1500/– एवं ₹ 2250/– प्रति विद्यार्थी (सामान्य/अ.ज.जा श्रेणी के लिए) तथा (अ.जा.श्रेणी के लिए) की दर से छात्रवृत्ति दी गई।

ख) प्रोत्साहन पुरस्कार:– शैक्षणिक वर्ष 2014–15 में एस एस एल सी की परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करते हुए प्रगामी अध्ययन जारी रखने के लिए एक छात्रा एवं एक छात्र को क्रमश: ₹ 1500/– तथा ₹ 1,000/– का प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया।

ग) वित्तीय सहायता:– व्यावसायिक पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के अलावा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यान्वित योजना 2009–10 से संशोधित की गई। प्रदत्त वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का विवरण	पाठ्यक्रम के संपूर्ण अवधि के लिए प्रति वर्ष प्रति छात्र को राशि	
		अ.जा.श्रेणी	सामान्य/अ.ज.जा.
1.	व्यावसायिक पाठ्यक्रम: चिकित्सा विज्ञान	₹ 7,500.00	₹ 5,000.00
2.	कृषि एवं अनुप्रयुक्त अध्ययन/पशुपालन/ इंजिनीयरिंग / फार्मेसी / नर्सिंग तथा अन्य समस्तरीय पाठ्यक्रम	₹ 7,500.00	₹ 5,000.00
3.	स्नातकोत्तर	₹ 7,500.00	₹ 5,000.00
4.	स्नातक	₹ 3,750.00	₹ 2,500.00

वर्ष 2015–16 के दौरान बोर्ड ने श्रम कल्याण उपाय के अंतर्गत 6717 लाभार्थियों को ₹ 1,79,99,500 /– की राशि प्रदान की।

II. 31.03.2016 को यथास्थिति कॉफ़ी बोर्ड की कुल स्टाफ संख्या

यथा 31.03.2016 को कॉफ़ी बोर्ड के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति तथा महिला कार्मिकों की संख्या के साथ वर्गवार स्टाफ संख्या का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	कुल		अ.जा/अ.ज.जा				महिला	
	वर्ग	कर्मचारियों की संख्या	अ.जा (सं.)	अ ज.जा (सं.)	कुल सं. का %		महिला (सं.)	कुल सं. का %
					अ.जा	अ ज.जा		
1.	श्रेणी 'क'	89	13	7	14.61	7.87	15	16.85
2.	श्रेणी 'ख'	135	30	9	22.22	6.67	36	26.66
3.	श्रेणी 'ग'	599	104	32	17.36	5.34	130	21.70
कुल		**823**	**147**	**48**	**17.86**	**5.83**	**181**	**21.99**

राजभाषा स्कंध

राजभाषा स्कंध ने राजभाषा अधिनियम 1963 तथा राजभाषा नियम 1976 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार अपना कार्य जारी रखा और भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2015-2016 में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया।

- यथा निर्धारित नीति के अनुसार, मंत्रालय तथा क व ख क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को सभी पत्र द्विभाषी अर्थात हिंदी एव अंग्रेजी में भेजे गए। हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया गया।
- राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अनुपालन को सुनिश्चित किया गया। कॉफ़ी बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखा द्विभाषी में प्रकाशित करवाने का प्रबंध किया गया।
- राजभाषा हिंदी के प्रगतिशील कार्यान्वयन संबंधी ऑनलाइन रिपोर्ट राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार,नई दिल्ली को प्रस्तुत किया गया।
- प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित की गई। बैंगलूरु नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में नियमित रूप से भाग लिया।
- इस वर्ष भी बोर्ड में एक विशेष प्रोत्साहन योजना कार्यान्वित की गई। इस योजना के अनुसार कोई भी कर्मचारी नेमी कार्यालयीन पत्राचार अर्थात टिप्पणी व मसौदा-लेखन के दौरान हिंदी में 5,000 शब्द लिखने पर प्रति वर्ष ₹ 2,000/- की राशि पाने के पात्र होंगे। इस योजना में 12 कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान किया गया तथा बाद में इस प्रोत्साहन योजना की राशि ₹ 2,000/- से ₹ 2,500/- तक बढाई गई।
- बोर्ड मुख्य कार्यालय में प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया तथा वर्ष के दौरान 69 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। यूनिकोड पर प्रशिक्षण देने के लिए एक

विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया । इसके अलावा हिंदी के क्षेत्र में विख्यात वरिष्ठ व्यक्ति को आमंत्रित करते हुए 14.08.2015 को बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया।

- मुख्य कार्यालय के 89 कंप्यूटर्स तथा 5 लापटॉप्स में यूनिकोड का संस्थापन किया। सी सी आर आई, बालेहोन्नूर, चिक्कमगलूरु, चेट्टल्ली, मडिकेरी, कल्पट्टा, चुंडेल तथा अन्य उप-कार्यालयों में भी यूनिकोड एनेबल किया गया।

- राजभाषा विभाग के दिशा-निदेशानुसार विभिन्न उप-कार्यालय तथा मुख्य कार्यालय के अनुभागों का सावधिक निरीक्षण किया गया तथा राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी मार्गदर्शन दिया गया। वर्ष के दौरान बोर्ड के 12 उप-कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।

- भारतीय स्वतंत्रता की स्वर्णजयंती के उपलक्ष्य में एक चल वैजयंती की स्थापना की गई थी जिसके अधीन बेंगलूरु शहर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों/ सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अंतर-कार्यालयीन भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करता आ रहा है। विगत वर्ष के दौरान भी 12 अगस्त 2015 को भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई थी तथा 30 कार्यालयों से 58 प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। चल वैजयंती एचपीसीएल ने जीती थी।

- हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी समाचार वाचन, विविधा, प्रश्नोत्तरी, टिप्पण व आलेखन, तस्वीर देखें कहानी लिखें , सुलेख, तकनीकी शब्दावली जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ 01.09.2015 से 13.0.2015 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया तथा 14.09.2015 को आयोजित हिंदी दिवस के अवसर पर विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया।

- 15.10.2015 को बेंगलूरु अग्निशमन सेना के जिला अधिकारी को आमंत्रित करते हुए घर/कार्यालयों में अग्नि दुर्घटना पर हिंदी में वक्तव्य दिलवाया गया तथा सुरक्षा उपायों की एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया।

- बाल दिवस समारोह के उपलक्ष्य में बोर्ड के कर्मचारियों के बच्चों तथा सपीपस्थ स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए 08.11.2015 को बोर्ड के प्रांगण में भिन्न-भिन्न प्रतियोगिताओं(चित्र-रचना, फैंसी ड्रेस, हिंदी कविता वाचन, गायन व भाषण आदि) का आयोजन किया गया जिसमें 200 से भी अधिक बच्चों ने भाग लिया। सभी सहभागी बच्चों को स्मृति-चिह्न तथा विजेताओं को गिफ़्ट वाउचर प्रदान किए गए।

सतर्कता एकक

सतर्कता एकक को निम्नलिखित प्रकार्यों के निष्पादन का दायित्व दिया गया है:-

- शिकायतों की प्राप्ति तथा उन पर कार्रवाई का निर्धारण
- बोर्ड की सेवा के लिए नियुक्त व्यक्तियों के चरित्र तथा पूर्ववृत्त का सत्यापन
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को सावधिक विवरणी की प्रस्तुति

- कॉफ़ी बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों के विभिन्न प्रयोजनों से संबद्ध सतर्कता निकासी का निर्मोचन
- बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों के चल एवं अचल तथा संपत्ति की प्राप्त के लिए प्रस्तुत आवेदन का संसाधन और वर्ग 'क' एवं वर्ग 'ख' अधिकारियों की अचल संपत्ति विवरणी की संवीक्षा
- उप कार्यालयों/मुख्य कार्यालय के विभिन्न अनुभागों की आकस्मिक सतर्कता जाँच।
- अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित फ़ाइलों का संसाधन

सतर्कता मामलों का विवरण

1.	यथा वर्षारंभ में अर्थात् 01.04.2015 को लंबित मामले	20 मामले
2.	वर्ष के दौरान संयोजित मामले	08 मामले
3.	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या	05 मामले
4.	यथा 31.03.2016 को निपटान हेतु लंबित मामलों की संख्या	23 मामले

संपूर्ण देश के कॉफ़ी बोर्ड के सभी कार्यालयों में 26 अक्तूबर 2015 से 31 नवम्बर 2015 तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया गया।

कानूनी एकक

कानूनी प्रकोष्ठ को निम्नलिखित कार्यों का दायित्व सौंपा गया है:

- विपणन/स्टाफ/बिक्रय/क्रय/सेवा कर तथा श्रम आदि से संबंधित बोर्ड के सभी कानूनी विषयों का निपटान
- भारत के उच्चतम न्यायालय, संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय, श्रम न्यायालय, निम्न न्यायालय तथा विक्रय कर अपीलीय फोरम जैसे विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित मुकदमों का निपटान
- वाद-पत्र/प्रतिदावा तथा विवादों के तैयारीकरण के लिए बोर्ड के वकीलों को संगत अभिलेख देते हुए समन्वय एवं सहायता प्रदान करना
- कर (विक्रय कर/ क्रय कर दोनों एवं सेवा कर), सेवा संबंधी मामले, कॉफ़ी अधिनियम के संशोधन तथा कानूनी मामलों पर वाणिज्य मंत्रालय से पत्राचार
- वैट, सेवा कर, वृत्ति कर आदि के अधीन सावधिक विवरणी प्रस्तुति से संबंधित कार्यों का निपटान तथा प्रदेय करों का भुगतान
- बोर्ड के निर्यात, पेंशन, इंजीनियरिंग, प्रशासन जैसे विभिन्न अनुभागों द्वारा संदर्भित फाइलों पर अपना अभिमत प्रदान करना

न्यायालय के विचाराधीन मामलों की स्थिति

वर्षारंभ में 36 मामले लंबित तथा 25 नए मामले जोडे गए थे। इन 61 मामलों में से 36 सेवा संबंधी मामले एस एल पी मामले सहित, 12 विपणन तथा सी डी आर पी मामले, 5 श्रम मामले तथा 8 अन्य मामलों से संबंधित थे। वर्ष के दौरान 61 मामलों में से 7 मामलों को निपटाया किया गया।

कॉफ़ी अधिनियम का संशोधन

1942 के दौरान क्रियान्वित कॉफ़ी अधिनियम द्वारा कॉफ़ी बोर्ड की स्थापना की गई थी। भारत सरकार के अधीन कॉफ़ी उद्योग के विकास का प्रावधान प्रदान करना इसका उद्देश्य था। कॉफ़ी उपजकर्ताओं द्वारा कॉफ़ी बोर्ड में अपनी कॉफ़ी का अनिवार्य पूलिंग करना कॉफ़ी अधिनियम 1942 का एक उद्देश्य था। कॉफ़ी की क्यूरिंग,भंडारण व विपणन तथा निम्न पूल व्यय पर कॉफ़ी वितरण करना कॉफ़ी बोर्ड का दायित्व है। कॉफ़ी उपजकर्ताओं की निरंतर मांग के अनुसार 1933-1936 के बीच मुफ़्त विक्रय कोटा क्रियान्वित हो गया। 1996 से भारत सरकार तथा बोर्ड द्वारा कॉफ़ी बोर्ड को अपनी कॉफ़ी दिए बिना कॉफ़ी उपजकर्ताओं को बाज़ार पर कॉफ़ी के विक्रय के 100% एफ एस क्यू जारी किया है। इसके फलस्वरूप पूलिंग प्रणाली समाप्त हो गई तथा कॉफ़ी बोर्ड ने अपने सभी विपणन एकक बंद कर दिए तथा अनुसंधान, विकास एवं प्रोन्नयन पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगे। इससे कॉफ़ी अधिनियम1942 के अनेक प्रावधान अनौचित्यपूर्ण हो गए। अत: कॉफ़ी बोर्ड ने वर्तमान कॉफ़ी अधिनियम के संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसलिए वर्तमान कॉफ़ी अधिनियम के कॉफ़ी की पूलिंग व विपणन से संबंधित प्रावधान अप्रचलित/निष्क्रिय हो गए हैं तथा अन्य कई प्रावधानों के संशोधन की आवश्यकता है और मंत्रालय ने दिनांक 23.03.2016 के का.ज्ञा द्वारा वर्तमान कॉफ़ी अधिनियम के संशोधन द्वारा वास्तविकता एवं प्रयोजनों को प्रकट कराते हुए नई विधाई क्रियान्वित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

क्रय कर विवाद की स्थिति

तमिलनाडु सरकार

बोर्ड ने कर/दंड/ब्याज के बकाया के निपटान के लिए समाधान योजना बनाई है तथा 12 करोड रुपए और ब्याज/दंड की मांग से संबंधित 6.80 करोड़ रुपए का पूर्ण व अंतिम निपटान किया। बोर्ड ने मूल्यांकन वर्ष 1983/84, 1987/88 से 1996/97 तक के लिए घटाए गए कर प्रदेय के निपटान के बाद प्रदेय शेष कर तथा ब्याज की छूट पर पुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए तमिल नाडु सरकार के संबंधित प्राधिकारियों से संपर्क किया। पुष्टि प्रमाणपत्र की प्राप्ति की प्रतीक्षा की जा रही है।

केरल सरकार

केरल उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 29.8.2008 के आदेश तहत वर्ष 1984/85 से 1990/91 व 1994/95 से 1996/97 तक के लिए केंद्रीय विक्रय कर संबंधी आरोपण की पुष्टि में एस टी ए टी द्वारा जारी किए आदेश अस्वीकृत कर दिया तथा नियमानुसार मामले की पुन: जांच करने के लिए निर्धारण अधिकारी को प्रेषित कर दिया। ऐसे ही, सी एस टी के अधीन वर्ष 1991/92 से 1993/94 एवं 2000/01 तथा के जी एस टी के अधीन वर्ष 1991/92 से 1993/94, 1996/97 एवं 1997/98 से संबंधित अपीलों को एस टी ए टी ने अपने दिनांक 26.9.2012 के आदेश के अधीन आकलन अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर

दिया। बोर्ड ने मांग की छूट के लिए उपलब्ध संगत रिकार्ड प्रस्तुत किया। आकलन अधिकारी ने वर्ष 1984/85 से 1990/91, 1994/95 से 1996/97 के लिए सी एस टी के आरोपण की पुष्टि करते हुए दिनांक 11.3.2013 को सूचना जारी की । कथित सूचना के अनुक्रम में बोर्ड ने एक विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया है। तथापि, निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 1984/85 से 1990/91, 1994/95 तथा 1995/96 के लिए ₹ 34.53 करोड की सी एस टी मांग और ₹ 174.09 करोड़ का ब्याज, कुल मिलाकर ₹ 208.62 करोड़ की मांग की है। बोर्ड ने एस टी ए टी, पालक्काड, केरल के समक्ष प्रथम तथा द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की हैं। मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद एस टी ए टी ने निर्धारण अधिकारी को 180 दिनों के लिए प्रतिपूर्ति कार्यवाही स्थगित करने का निदेश देते हुए आदेश पारित कर दिया।

विशेष उपलब्धियाँ

1. बोर्ड के एक पूल एजेंट, मेसर्स हुन्सूर वर्क्स, हुन्सूर के स्वामी मेसर्स कोडगू कॉफ़ी उपजकर्ता सहकारी समिति लिमिटेड, मडिकेरी ने बोर्ड के 166 टन कॉफ़ी स्टॉक का अधिग्रहण किया। बोर्ड ने 1998 में ₹ 1.55 करोड़ के कॉफ़ी स्टॉक के मूल्य की वसूली के लिए सिविल न्यायालय, मडिकेरि के समक्ष मुकदमा दायर किया। इसके विरुद्ध, पूल एजेंट ने उनके लंबित बिलों के संबंध में बोर्ड द्वारा देय ₹ 1.10 करोड़ की कथित राशि की वसूली के लिए प्रतिदावा के रुप में बोर्ड के विरुद्ध सिविल न्यायालय, बेंगलूरु के समक्ष एक और मुकदमा दायर किया है। उच्च न्यायालय, कर्नाटक के निर्देशों पर दोनों मुकदमों को संयोजित कर मडिकेरि न्यायालय में सुनवाई हुई और पूल एजेंट को ₹ 1,55,28,034/- की न्यायिक राशि तथा 1.6.1996 से 18% की दर से ब्याज के साथ भुगतान का निदेश देते हुए 12.9.2014 को निर्णय एवं न्यायिक आदेश पारित किया गया । इस संबंध में मेसर्स कोडगू कॉफ़ी उपजकर्ता सहकारी समिति लिमिटेड, मडिकेरी ने ब्याज की राशि में छूट के लिए अनुरोध करते हुए 22.12.2015 को न्यायिक राशि ₹ 1,55,28,034/- का भुगतान किया तथा अन्य प्रदेय राशि ₹ 5,63,85.155/- की गणना की है। इस मामले में मंत्रालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

2. संवर्ग व भर्ती नियमावली, 1993 के अनुसार, बोर्ड ने जे एल ओ के पुन:संशोधित वेतनमान ₹ 6500-10500 में 50 पदों में से 37 पद भरने हेतु लंबित एस एल पी सं. 36152-154/2014 के संबध में उच्चतम न्यायालय में आईए दायर किया। उच्चतम न्यायालय ने 20.07.2015 के अंतरिम आदेश द्वारा 37 रिक्तियों को नियमानुसार भरने का आदेश दिया। बोर्ड ने उक्त अंतरिम आदेश की कार्यवाही के अनुवर्तन में 15.08.2015 को संवर्ग व भर्ती नियमावली,1993 के अनुसार, लंबित एस एल पी के अनुक्रम में जे एल ओ व ए ई ओ पदों को पुन:वर्गीकृत किया। इस कार्यवाही के अनुवर्तन में बोर्ड ने 4-9.2015 को लंबित एस एल पी के अनुसार 16 कार्मिकों को ए ई ओ श्रेणी-ई पुन:संशोधित वेतनमान ₹ 5500-9500 से जे एल ओ पद पर पुन:संशोधित वेतनमान ₹ 6500-10500 में पदोन्नत किया।

इंजीनियरिंग प्रभाग

संपूर्ण देश के बेंगलुरु, मैसूरु, चिक्कमगलूरु तथा हासन (कर्नाटक); चेन्नई, बोदिनायक्कनूर(तमिल नाडू); गुवाहाटी, सिलचर (असम); चिंतापल्ली, अरकुवैली (आ.प्र,) जैसे विभिन्न स्थानों पर कॉफ़ी बोर्ड के अपने कार्यालयीन भवन हैं तथा नई दिल्ली, बेंगलुरु, हासन (कर्नाटक); बोदिनायकनूर (तमिलनाडु); गुवाहाटी, सिलचर (असम); चिंतापल्ली, अरकुवैली (आ.प्र,) आदि में आवासीय फ्लैट्स हैं।

इसके अलावा, कर्नाटक के चिक्कमगलूरु जिले में केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान के अनुसंधान केंद्र व आवासीय क्वार्टर्स; चेट्टल्ली में (मडिकेरि के पास) कॉफ़ी अनुसंधान उप स्टेशन, केरल के चुंडेल, तमिल नाडु के थांडीगुडी, आंध्र प्रदेश के आर.वी.नगर तथा असम के डीफु में क्षेत्रीय कॉफ़ी अनुसंधान स्टेशन हैं। कर्नाटक, तमिल नाडू, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा राज्य तथा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र अर्थात असम अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा एवं मिज़ोरम, नागालैंड राज्यों में विस्तारण विभाग द्वारा अनुरक्षित प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केंद्र भी हैं। बेंगलूरु के इंडिया कॉफ़ी हाउस तथा भोपाल के इंडिया कॉफ़ी सेंटर का स्वामित्व व अनुरक्षण भी कॉफ़ी बोर्ड द्वारा किया जाता है।

इंजीनियरिंग प्रभाग, भवनों के अनुरक्षण के साथ-साथ आधारिक संरचना विकास के अधीन प्रत्यक्ष रुप से भवन निर्माण का कार्य भी कर रहा है।

व्यय संबंधी विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान पूंजीगत कार्य के लिए 1,80,82,443/- तथा अनुरक्षण कार्य के लिए ₹ 94,39,260/- की रकम का व्यय हुआ ।

सूचना का अधिकार

वर्षारंभ में सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 के अधीन भारत के नागरिकों से सूचना/दस्तावेज की मांग करते हुए 107 आवेदन प्राप्त हुए, विगत वर्ष के अधिशेष 06 मामलों को जोडकर कुल 113 अवेदनों का निपटान किया जाना है। वर्ष के दौरान 113 अवेदनों में से 102 आवेदनों का निपटान किया गया तथा 11 आवेदन लंबित हैं। 2015-16 के दौरान 09 अपीलें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 08 अपीलों का निपटान किया गया ।

ई-कार्यालय

बोर्ड कार्यालयीन कार्य में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के अलावा दक्षता सुधारण, स्थिरता व प्रभावात्मकता लाने हेतु एन आई सी के सहयोग से ई-कार्यालय के कार्यान्वयन के लिए प्रयासरत है। बेंगलूरु के मुख्य कार्यालय में यह परीक्षणाधीन है। प्रारंभतया ई-कार्यालय संपूर्ण मुख्यालय पर क्रियान्वित किया जाएगा तथा बाद में उप-कार्यालयों में भी इसे लागू किया जाएगा।

****

अध्याय III (क)

अपंग कार्मिकों का विवरण

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान किसी अपंग कार्मिक (पी डब्ल्यू डी) की भर्ती की नहीं हुई है। बोर्ड में 16 शारीरिक रुप से अपंग कर्मचारी कार्यरत हैं जिनका संवर्गवार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	संवर्ग	वर्ग	कार्यरत कार्मिक	अपंग व्यक्तियों की संख्या		श्रेणीवार अपंग कर्मचारी		
				सं	कुल %	अना	अ.जा	अ.ज.जा
1.	उप निदेशक (अनुसंधान)	क	3	1	33.33	1	--	--
2.	अनुसंधान सहायक श्रे-I	ख	32	3	9.37	3	--	--
3.	सहायक सचिव (अनु.)	ख	56	1	1.78	1	--	--
4.	क.हिन्दी अनुवादक	ख	4	1	25.00	1	--	--
5.	विस्तारण निरीक्षक	ग	130	1	0.76	1	--	--
6.	वरिष्ठ सहायक	ग	85	1	1.17	1	--	--
7.	कनिष्ठ सहायक	ग	47	7	14.89	7	--	--
8.	बहु कार्य कर्मचारी (एमटीएस)	ग	264	1	0.37	1	--	--
	कुल		**621**	**16**	**2.58**	**16**	--	--

****

अध्याय IV

कॉफ़ी अनुसंधान

वर्तमान वर्ष 2015-16 के दौरान कॉफ़ी बोर्ड के अनुसंधान विभाग ने "समेकित कॉफ़ी विकास परियोजना" योजना के अंतर्गत अनेक अनुसंधान अध्ययनों का क्रियान्वयन किया है ।

केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान (सी सी आर आई), के अधीन चेट्टल्ली (कोडगू, कर्नाटक); चुंडेल (वयनाड, केरल); थांडीगुडी (पलनीस, तमिल नाडु), आर.वी.नगर (वैज़ाग, आंध्र प्रदेश) तथा डीफु (कर्बी, आंगलांग जिला, असम) में स्थित अनुसंधान स्टेशनों के नेटवर्क के द्वारा अनुसंधान परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है। इसके अलावा, दो अनुसंधान प्रभागों अर्थात पौधा ऊतक संवर्धन व जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, मैसूरु एवं कॉफ़ी गुणता प्रभाग, बेंगलूरु द्वारा भी अनुसंधान कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया है।

वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:-

योजना : समेकित कॉफ़ी विकास परियोजना

घटक 1: धारणीय कॉफ़ी उत्पादन के लिए अनुसंधान एवं विकास

उप-घटक 1:1: परंपरागत प्रजनन एवं जैव-प्रौद्योगिकीय दृष्टिकोण के माध्यम से स्थाई प्रतिरोध तथा वर्धित उत्पादकता हेतु पौधा विकास

पौधा प्रजनन एवं आनुवंशिकी

विभिन्नजातीय एफ$_1$, संकरों के विकास के लिए नर अनुर्वर लाइन के शोषण तथा विस्तारित परीक्षण द्वारा उत्साहवर्धक जीन के बहु-स्थानीय मूल्यांकन एवं स्थिर किट प्रतिरोधक प्रजनन के साथ-साथ सफ़ेद तना बोरर प्रतिरोधी अरेबिका कॉफ़ी के सुधार पर ध्यान केंद्रित था।

विदेशी अरेबिका कॉफ़ी संग्रहणों में से निर्धारित चार अनुर्वर पौधों तथा चार विभिन्न परागण अर्थात सार्चिमोर, पेड़ कॉफ़ी संकर, एस एल एन 9 व एस 4595 के बीच संकर से 11 एफ$_1$ संकर सृजित किए गए जिसे 2014 पुष्पण मौसम में प्रभावित कर 2015 में क्षेत्र रोपण किय गया। एस.2651 व एस.2660 सहित एफ$_1$ संकर में अधिक अंकुर शक्ति पाई गई है।

पुष्पण मौसम 2015 के दौरान सी सी आर आई में उन्नत उर्वरता के मादा गेमटोफाइट के साथ दो चयनित नर अनुर्वर पौधों (एस 2660 व एस 2678) तथा चार आनुवंशिक इतर परागण अर्थात काविसारी, एस 4595, एस 2577 (एस 333 × एच डी टी-832/2) एवं एस 593 (अरेबिका-वल्लामो एच डी टी-832/2) के बीच निष्पादित संकर के बीजों से छह नए एफ$_1$ पौधों का सृजन किया तथा 2016 में रोपण के लिए नर्सरी में अनुरक्षित किया।

सी आर एस एस, चेट्टल्ली में विजातीय अरेबिका संग्रहण के विनिर्देशित नर अनुर्वर पौधों (एस.1593) की नर अनुर्वरता

का मूल्यांकन किया गया तथा परागण के लिए एस.5146 (5बी × एच डी टी) व एस.4861 (एस एल एन6 × एस.795) का संकर किया गया।

अनुसंधान केंद्रों के तीन स्थानों (सी सी आर आई, चेट्टल्ली व टी ई सी, येरकाड) के साथ 19 स्थानों (कर्नाटक में 15 तथा शेवरॉय्स में 4) पर तीन उत्तम जीन आकृति, एस 4814 (काटीमोर लाइन एस.एल.एन 5 बी), एस 4817 (काटीमोर लाइन × एस 1934) तथा एस 5146 (एस एल एन 5 बी × एच डी टी) के साथ विस्तारित परीक्षण स्थान संस्थापित किए गए। इसके अलावा वर्ष 2016 के दौरान एक वर्षीय पौधों के रोपण के उद्देश्य से सात नए स्थान (कर्नाटक में तीन व पलनीस में चार) स्थापित किए जाने हैं ।

पुष्पण मौसम 2015 के दौरान सुधारित उत्पादन, किट्ट प्रतिरोध व विशेष बीन गुणता के साथ सशक्त अर्ध बौने जीन प्रकार के प्रजनन के उद्देश्य से विभिन्न अर्ध बौने जीन प्रकार अर्थात सार्चिमोर, एस.5149, एस.4903 व एस.5043 (3/19) के प्रत्यक्ष एवं पारस्परिक संकरों का सृजन किया गया। इसके फलस्वरूप सृजित संकर अंकुर 2016 में क्षेत्र रोपण के लिए अनुपूरक नर्सरी में अनुरक्षित किए गए हैं।

2015 के दौरान कोलंबियन काटिमोर तथा एस.795, एस.1934, एस एल एन.5बी के बीच के संकरों से कुल तीन एफ़$_1$ पौधों का सृजन करके रोपित किया गया।

वर्ष 2015 के दौरान विभिन्न संकर संयोजकों के बीच अपेक्षित कृषि प्रयोगों के साथ चयनित एफ$_1$ तथा एफ$_2$ पौधों से उगाए गए इकतीस एफ$_2$ एवं बाईस एफ$_3$ पौधों को प्रगामी मूल्यांकन व अनुवीक्षण हेतु खेत में रोपित किए गए।

सी सी आर आई, सी आर एस एस, चेट्टल्ली व आर सी आर एस, थांडिगुडी में कोलंबियन काटीमोर संकर (एस.5039, एस.5040 व एस.एस.5044) के एफ$_2$ पौधों के क्षेत्र निष्पादन का अनुवीक्षण किया गया। एस.5039 व एस.5040 (कोलंबियन काटीमोर एस.1934) ने किट्ट के प्रति उच्च क्षेत्र प्रतिरोध, किशोर सशक्तता व बीन श्रेणी से संबंधित सर्वोत्तम निष्पादन दर्शाया है। इन पौधों में से एस.5039 (एस.4817 2/9) तथा एस.5040 (एस.4817 4/8) ने क्रमश: 1629 कि.ग्रा./हे. एवं 1288 कि.ग्रा./हे. के अनुमानित उपज तथा सी सी आर आई में उच्चतम पत्ती किट्ट प्रतिरोध (क्रमश: 3-4% व्यक्त क्षेत्र संवेदनशीलता) दर्शाया है। पुष्पण मौसम 2016 के दौरान एफ़$_3$ पौधों के प्रजनन के लिए उत्तम कृषि प्रकृति व पत्ती किट्ट मुक्त सात पौधे लगाए गए हैं।

सी सी आर आई में संकर कॉफ़ी पेड व चंद्रगिरि के बीच परस्पर संकरों से सृजित दो एफ़$_1$ पौधे एस.5081 व एस.5082 तथा एस.7.4 (एस 7.3 × एस एल एन.6) एवं एस.3822 के संकरों से विकसित तीन एफ़$_3$ पौधों एस.4889, एस.4890, एस.4891 का अनुवीक्षण किया गया। उच्च क्षेत्र प्रतिरोध, उपज व किशोर सशक्तता के आधार पर एस.5081 व एस.5082 के छह चयनित पौधों को उगाकर सी सी आर आई के क्षेत्र में रोपित किया गया। हालाँकि इन प्रजातियों के बीन श्रेणियों के मूल्यांकन से उच्च स्तरीय दाना प्रतिशतता (40%-53%) प्रकट हो गई है। वर्ष 2016 के दौरान इन प्रजातियों की सामान्य उर्वरता उपलब्ध कराने के लिए चयनित एफ़$_1$ का चंद्रगिरि के साथ पुन:संकरित किया गया।

एस 4889 एस 4890, एस 4891 (एस 7.4 × एस एस एन 6) पौधे किट्ट के प्रति उत्तम क्षेत्र प्रतिरोध, उत्पाद सक्षमता एवं बड़ी फलियों के साथ अत्युत्तम पाया गया। एस.4889, एस.4890, एस. 4891 में से 2 से 2.5 कि. ग्रा. तक फल प्रदान करने वाले चयनित पौधों के कुल 21 एफ$_3$ पौधे सी सी आर आई के रोपण क्षेत्रों में रोपे गए हैं।

सी आर एस एस, चेट्टल्ली में अंतर-प्रजातीय संकरों के क्षेत्र मूल्यांकन से यह पाया गया है कि एस.5146 (एस एल एन 5बी × एच डी टी) ने 912 कि.ग्रा/ हे के अधिकतम अनुमानित फसल रिकार्ड किया। फली श्रेणियों में 'क' श्रेणी की प्रतिशतता 61.8% थी तथा 100 'क' श्रेणी फली का भार 16.7 ग्रा था। एस.5146 से सृजित पौधों के अलावा एस.4861 (एस एल एन 6 × 795) तथा एस.4877 (एस.795 × एस एल एन 9) के छह एफ$_2$ पौधों को सृजित करते हुए सी आर एस एस, चेट्टल्ली में रोपे गए।

आर सी आर एस थांडीगुडी में सार्चिमोर (एस.3822)× एस एल एन 10 संकरों के एफ$_1$ संकर में तरुण प्रबलत्ता एवं पत्ती किट्ट आक्रमण पाए गए। एस.5084 (एस एल एन 10 -13 वाँ पौधा चंद्रगिरि 12 वाँ पौधा) तथा एस.5085 (एस एल एन 10 -12 वाँ पौधा × चंद्रगिरि 13 वाँ पौधा) एस.3822 में किट्ट आक्रमण का प्रतिशत शून्य था, एस.5080 में 10.6 % का अधिकतम प्रतिशत किट्ट आक्रमण रिकार्ड किया गया।

आर सी आर एस थांडीगुडी में एस.5149 (कावीमोर) ने किट्ट के प्रति उत्तम क्षेत्र प्रतिरोध के साथ संयोजित 1136 कि.ग्रा/ हे के औसत फसल के साथ स्थिर निष्पादन रिकार्ड जारी रखा है। 2016 मौसम के दौरान परंपरागत कॉफ़ी क्षेत्रों में परीक्षण के उद्देश्य से एस.5149 के स्व-बीज तथा एस. 489, एस.4890, एस.4891 के तीन एफ$_3$ पौधे 15 स्थानों पर दिए गए।

आर सी आर एस, आर.वी.नगर में एस एल एन 5ए तथा अगरो के बीच आपसी संकर से प्राप्त एफ$_1$ पौधों का मूल्यांकन किया जा रहा है। पौधों में अगरो-1× एस. 2971 ने 828.5 कि/हे. के अधिकतम फसल रिकार्ड किया, उसके बाद एस.2831 × अगरो-2 (680 कि ग्रा/हे) ने विगत तीन वर्षों के औसत फसलों की तुलना पर एस.2831× अगरो- 2 ने 673 कि.ग्रा/हे के औसत फसल का उत्तम निष्पादन उपलब्ध किया। संकरों में पैतृक औसत पर फसल की प्रतिशतता वृद्धि 11.2 से 40.7 % था। 18 चयनित एफ$_1$ पौधों से अपेक्षित विशेषताओं के साथ एफ$_2$ संकर पौधों सृजित करते हुए 2016 सीज़न के क्षेत्र रोपण हेतु नर्सरी में अनुरक्षित किए गए हैं।

आगे एस एल एन 5 ए और एस एल एन 3-4 के बीच एफ1 संकरों में से एस एल एन 3-4 × एस एल एन 5 ए (एस.2831) के संकर पौधों ने 806 कि ग्रा/हे के अधिकतम तथा उसके बाद एस एल एन 5ए (एस.2831) × एस एल एन 3-4 (796.5 कि ग्रा/हे) ने फसल रिकार्ड किया। एस एल एन 5 ए (एस.2831) × एस 3-4 पौधों में 41 % पौधे अधिक संवेदी पाए गए जबकि आपसी संकरों में पत्ती किट्ट का आक्रमण 35.71% था।

सी सी आर आई में एस एल एन10 × (एस.4808 काटुआ × एच डी टी संकरों (एस.5058 एस.5053,एस. 5057, एस.5058 एवं एस.5059) के 5 परस्पर एफ$_1$ संकर पौधों

का क्षेत्र मूल्यांकन किया जा रहा है। विभिन्न संकर पौधों में से एस.5053 ने 1196 कि.ग्रा/ हे का अधिकतम फसल रिकार्ड किया। किट्ट का प्रभाव तथा क्षेत्र प्रतिरोध के आधार पर सृजित 17 एफ$_2$ पौधों में से छह पौधे 2015 सीज़न में रोपण क्षेत्रों में रोपे गए।

विभिन्न अर्ध बौने जीन प्रकार एवं एस एल एन 10 (एस$_{एच}$3 जीन के दाता के रूप में प्रयुक्त) संकरों द्वारा सृजित पौद समूहों के विनिर्धारण के लिए एस$_{एच}$3 जीन से संबद्ध एस सी ए आर संकेतक के प्रयोग द्वारा संकेतक समर्थित चयन का नियमित रूप से प्रयुक्त किया गया है।

विभिन्न उपलब्ध विदेशज जर्मप्लाज़म संग्रहों के संरक्षण के लिए प्रत्येक संग्रह की परिवर्तिता के प्रतिनिधि के रूप में 74 जर्मप्लाज़म संग्रह सी आर एस एस, चेट्टल्ली तथा आर सी आर एस, आर.वी.नगर में संस्थापित किए गए। उसके बाद सी सी आर आई में उपलब्ध प्रत्येक संग्रह के प्रतिनिधि की परिवर्तिता से सृजित 65 विश्व संग्रहों की श्रेणी 2016 सीज़न में रोपने के लिए अनुपूरक नर्सरी में अनुरक्षित किए हैं ।

कीट विज्ञान प्रभाग के संयुक्त सहयोग से एस.4595 (एस एल एन11 × एच डी टी) के डब्ल्यू एस बी प्रतिरोध का जैव-परीक्षण किया गया। परीक्षित नौ पौधों में से 5 पौधों में प्रभावित भाग में प्रारंभिक फीडिंग के तुरंत बाद कैलस सृजन के बाद लार्वा में मृत्यु दर देखी गई तथा जीवित लार्वा की पुनरुत्थान नहीं पाया गया। शेष चार पौधों में अंडे नहीं फूटे। अन्य पौधों पर जैव-परीक्षण किया जा रहा है।

आर सी आर एस, आर.वी.नगर तथा प्रौ मू के, मिनिमुल्लुरू में एस.4595 पर विशेषकर डब्ल्यू एस बी के आक्रमण के क्षेत्र निष्पादन का अनुवीक्षण जारी रखा गया, जहाँ नाशिकीट प्रबंधन का न्यूनतम व्यवधान है। दोनों स्थानों में डब्ल्यू एस बी आक्रमण (~1%) कम देखा गया है।

रोबस्टा से संबंधित अनावृष्टि प्रतिरोध लाइन पर अधिक ध्यान दिया गया है। पुल्पल्ली संपर्क क्षेत्र के अधीन स्थित पेरिक्कल्लूर के अनावृष्टि प्रभावित क्षेत्र के एक प्राइवेट एस्टेट में रोपित अनावृष्टि प्रतिरोधी क्लॉन्स (एस.880, एस.1932, एस.3399 और जीआर5) के क्षेत्र मूल्यांकन जारी रखा गया है।

केंद्र प्रजनित प्रवरण (एस.274 सी × आर) तथा आइवरी कोस्ट के एक विदेशज रोबस्टा संग्रह एस. 3657 के बीच विकसित अंतर-प्रजातीय संकर आर सी आर एस, चुंडेल के उपज क्षेत्रों में रोपित करते हुए उपज मापदंडों के अनुसार उत्पादन क्षमता का अनुवीक्षण किया गया, विभिन्न संकर पौधों में से सी × आर × एस.3657 संकर ने उत्कृष्ट उपज मापदंड रिकार्ड किया।

प्राकृतिक जीवसंख्या में अनावृष्टि सहिष्णुता के लिए नसल परिवर्तिता की जांच के लिए पुल्पल्ली और मानंतावाडी के 11 विनिर्धारित पौधों (अनावृष्टि प्रभावित) से 31 क्लोन्स सृजित करते हुए आर सी आर एस, चुंडेल में रोपित किए गए। परिवीक्षणों से यह पाया गया कि पारपल्ली एस्टेट में रोपे गए सी × आर क्लोन्स में उच्चतम स्तर रिकार्ड किया गया है।

रोबस्टा में क्लोनल संजनन तथा जड़जैव प्रवर्धन के लिए जड़ प्रबलता की संभाव्यता के निर्धारण हेतु सी सी आर आई, और आर सी आर एस, चुंडेल में कोको पीट आधारित माध्यम के मानकीकरण द्वारा नए प्रयोग आरंभ किए गए हैं। विभिन्न उपचारों से अंकुरण एवं जड़ सृजन समान अनुपात में कोको-पीट तथा एफ वाई एम के संयोजित माध्यम में उत्तम था और उसके बाद केवल कोको-पीट में भी अधिक था।

विश्व कॉफ़ी अनुसंधान, टेक्सास की सहयोगात्मक पहल से अंतरराष्ट्रीय बहु-स्थानीय प्रभेद प्रयोग कार्यक्रम के अधीन सी सी आर आई में परीक्षण स्थानों में रोपने के लिए दो बैचों में 18 अरेबिका किस्मों के इनविट्रो उत्पन्न पौद प्राप्त किए गए । उपज क्षेत्रों में रोपण हेतु सी सी आर आई में इन पौधों को सशक्त किया जा रहा है। 2016 सीज़न में रोपण हेतु तीन प्रकार का पहला बैच कोलंबिया 1, कोलंबिया 2, ई.सी16 तैयार हैं।

2015-16 सीज़न के दौरान, 5,627 कि.ग्रा अरेबिका तथा 3,793.25 कि.ग्रा रोबस्टा को सम्मिलित करते हुए कुल 9,420.25 कि.ग्रा कॉफ़ी बीज, विस्तारण नेटवर्क के द्वारा परंपरागत क्षेत्रों में 3,144 उपजकर्ताओं को वितरित किया गया। इसके अलावा 8,004 कि.ग्रा अरेबिका तथा 2.5 कि.ग्रा रोबस्टा को सम्मिलित करते हुए कुल 8,006.5 कि.ग्रा कॉफ़ी बीज गैर-परंपरागत क्षेत्रों में शेयरधारकों को वितरित किया गया। इसके अतिरिक्त 1,887.5 कि.ग्रा अरेबिका के बीज पूर्वोत्तर क्षेत्र में वितरित किए गए।

2015-16 के दौरान रोबस्टा में क्लोनल संजनन के मापन के अग्रणी कार्यक्रम के अधीन दो अनुसंधान फार्म तथा छह प्रौ मू के से प्राप्त सी × आर के कुल 56,449 जड़ित क्लोन्स 191 उपजकर्ताओं को वितरित किए गए।

क्लॉनों के ऑन-फार्म उत्पादन पर अधिक बल दिया गया है तथा चिक्कमगलूरु, हासन, कोडगू एवं मानंतवाडी संपर्क क्षेत्रों को समनुयोजित करते हुए कुल 14 प्रशिक्षण कार्यक्रमों (4 स्टेशनों पर एवं 10 फार्मों पर) का आयोजन किया गया। सी सी आर आई के तकनीकी सहयोग से चिक्कमगलूरु के सात स्थानों में क्लॉनों का ऑन-फार्म उत्पादन प्रारंभ किया गया।

ऊतक संवर्धन एवं जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग, मैसूरु

ऊतक संवर्धन के द्वारा समूह गुणन प्रौद्योगिकी के प्रोन्नयन के लिए किण्वन हेतु सार्चिमोर, कोलम्बियन काटीमोर संकरों तथा बी बी टी सी × चंद्रगिरि के विशिष्ट श्रेणियों से कुल 6,409 पत्ती एक्सप्लांट्स का संवर्धन किया गया। सार्चिमोर तथा बी बी टी सी × चंद्रगिरि (एस.4932) में कायिक भ्रूणावस्था सफलतापूर्वक अभिप्रोरेत की गई है । एस आर ए पी संकेतक का प्रयोग करते हुए क्षेत्रों में रोपित सी × आर के ऊतक संवर्धित पौधों की आनुवंशिक सशक्तता के परीक्षण के लिए अध्ययन किए गए ऊतक संवर्धित पौधों में उच्च आनुवंशिक समानताएँ पाई गई हैं।

एस सी ए आर संकेतक (बी ए 124) द्वारा सार्चिमोर × 10 एस एल एन संकर श्रेणी के 23 पौधों में एस $_{एच}^{3}$ की जांच के लिए डी एन ए का स्क्रीन किया गया। इन संकर पौधों में से तीन पौधों में किट्ट प्रतिरोध जीन की उपस्थिति दिखाई दी है।

एस एस एच पुस्तकालय से पुनर्प्राप्त 500 बीपी से अधिक आकार के पुनःसंयोजक क्लोनों को बाँधकर पी जी ई एम टी वेक्टर में परिवर्तित किया गया। पी सी आर उत्पाद श्रेणीबद्ध करते हुए विश्लेषित किए गए हैं। अरेबिका तथा रोबस्टा दोनों पौधों पर विभिन्न अंतराल में सफेद तना छेदक की फीडिंग के बाद भिन्न-भिन्न जीन व्यंजना के अध्ययन के लिए ए सी-डी एन ए एस आर ए पी परीक्षण किया गया। नियंत्रित व उपचारित पौधों से पौधा ऊतक के सी डी एन ए का एस आई ए पी से परीक्षण किया गया तथा जीन विशिष्ट प्राइमर्स के द्वारा आर टी पी सी आर में विश्लेषण किया गया।

अनेक बीटी आइसोलैटों को पुनर्जीवित कराते हुए क्राई जींस के लिए जाँच की गई तो क्राई III जींस दो उपभेदों में प्रकट हुई । क्राई III जींस धारक बी टी उपभेदों के विभिन्न अवमिश्रणों के द्वारा डब्ल्यू एस बी लार्वे के साथ जैव-परीक्षण अध्ययन किए गए। विशिष्ट प्राइमर्स के द्वारा उत्पादनक्षम कीटनाशक प्रोटीन (विप) के लिए भी बी टी उपभेदों के स्क्रीन किए गए। स्क्रीन किए गए 40 उपभेदों में से दो उपभेदों ने वि आई पी 3 जीन विशिष्ट प्राइमर के साथ प्रवर्धन दर्शाया है।

चीटीनेस ट्रान्सजीन के वर्गानुक्रमण एवं परिस्फूर्ति के अध्ययन के लिए कॉफ़िया अरेबिका (कावेरी) के 25 ट्रांसजेनिक पौधों के जेनोमिक डी एन ए का आनुवंशिक विशिष्टता प्राइमर्स के साथ परीक्षण किया गया तथा T_2 पौधे सृजित करने के लिए T_1 ट्रांसजेनिक पौधों के बीज रोपे गए। उसके बाद कौफिया केनेफोरा (सी × आर) के 21 ट्रांसजेनिक पौधों से निस्सरित जेनोमिक डी एन ए की भी तंबाकू ओसमोटिन जीन विशिष्ट प्राइमर्स के साथ जाँच की गई और सभी पौधे सकारात्मक पाए गए। कॉफ़ीया केनेफोरा के टीओ पौधे के बीज T_1 संकर पौधे सृजित करने के लिए रोपे गए।

आर सी आर एस, थांडीगुडी से प्राप्त 14 प्रचलित पत्ती किट्ट (हेमिलिया वास्टाट्रिक्स) के डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग पर 30 एस आर ए पी संकेतकों के द्वारा इन पर अधयन किया जा रहा है आनुवंशिकी विभिन्नता का अध्ययन के लिए कूर्ग क्षेत्र से अरेबिका और रोबस्टा से सत्ताइस किट्ट प्रतिमान संगृहित किए गए।

उप-घटक 1.2: प्रवर्धित मृदा स्वास्थ्य, फसल पालन तथा यंत्रीकरण द्वारा उत्पादकता सुधार

कृषि रसायन प्रभाग

परंपरागत कॉफ़ी उपजनेवाले क्षेत्रों के मिट्टी उर्वरकता निर्धारण और मिट्टी स्वास्थ्य अनुवीक्षण पर एन बी सी एस एस एवं एल यू पी, बेंगलूरु के साथ अंतर-संगठानात्मक सहयोग परियोजना के अंतर्गत मृदा उर्वरता मूल्यांकन के लिए कुल 6,556 मिट्टी प्रतिमान संकलित किए गए।

मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड तैयार करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी आधारित टूल विकसित करने के लिए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, केरल (आई आई आई टी एम-के) के साथ सहयोगी समझौता प्रगति के पथ पर है।

अरेबिका तथा रोबस्टा कॉफ़ी के लिए "एकीकृत पोषण प्रबंधन" पर क्षेत्र परीक्षण सी सी आर आई, सी आर एस एस (चेट्टल्ली), आर सी आर एस, थांडीगुडी एवं आर सी आर एस, चुंडेल के अनुसंधान फार्मों में दूसरे वर्ष के लिए जारी रखा गया। एफ वाई एम 1.5 टन/हे. के दर पर तथा जैव-संरोपण के संयोजन के साथ जैवरहित उर्वरक के द्वारा 50% संस्तुत परिमाण पोषक प्राप्त करने वाले सी आर एस एस, चेट्टल्ली के क्षेत्र अरेबिका परीक्षण क्षेत्र में सांख्यिकीय रुप से उत्तम फसल रिकार्ड किया। आर सी आर एस, चुंडेल के रोबस्टा परीक्षण क्षेत्र में जैवरहित उर्वरकों के द्वारा 100% संस्तुत परिमाण के पोषक प्राप्त करने वाले पौधों ने अन्य उपचार प्राप्त पौधों की तुलना में सांख्यिकीय रुप से उत्तम फसल रिकार्ड किया। अधिकांश स्थानों में जैविक गुण, उपलब्ध मुख्य अनुपूरक एवं सूक्ष्म-पोषण पर

विभिन्न उपचारों का अधिक प्रभाव नहीं पडा था। तथापि, जैव-उर्वरक तथा जैव-खाद प्राप्त करने वाले उपचारों में सांख्यकीय रुप से उन्नत एंज़ाइम सक्रियता दिखाई दी है।

सी सी आर आई, सी आर एस एस (चेट्टल्ली), आर सी आर एस, थांडीगुडी तथा चुंडेल के अनुसंधान फार्मों में अरेबिका एवं रोबस्टा कॉफ़ी से संबंधित "मिट्टी तत्व, फसल तथा गुणता पर विभिन्न जैव पोषकों का प्रभाव" पर क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है। अधिकांश स्थानों में इसका परिणाम अधिक सार्थक नहीं रहा । तथापि वर्मिन कंपोस्ट प्राप्त करने वाले उपचारों में सांख्यकीय रुप से उन्नत एंज़ाइम सक्रियता दिखाई दी है।

उपजकर्ताओं को सलाहकारी सेवा समर्थन के अंतर्गत 8,557 मिट्टी प्रतिमानों के मिट्टी प्रतिक्रिया, जैव कार्बन एवं फोसफरस तथा पोटाशियम तत्वों का विश्लेषण किया गया। मिट्टी विश्लेषक आंकडों तथा क्षेत्र सूचना के आधार पर 1232 उपजकर्ताओं को चूना एवं उर्वरक के उपयोग की संस्तुति प्रदान की गई। छह उपजकर्ताओं ने सूक्ष्म पोषक विश्लेषण की सुविधा प्राप्त की तथा 247 मिट्टी प्रतिमानों के कैल्शियम, मेग्नीशियम, कॉपर, ज़िंक, लोहा एवं मैंगनीज़ तत्वों का विश्लेषण किया गया। सी सी आर आई के 5 उपजकर्ताओं से प्राप्त तिहत्तर पत्ती प्रतिमानों के पोषकों की पर्याप्तता/कमी का विश्लेषण किया गया तथा अनुवीक्षित कमी सुधारने के लिए उपचारक उपायों से अवगत कराया गया। 484 उपजकर्ताओं से प्राप्त चूनाकरण सामग्री, छिडकाव चूना, उर्वरक, जैव खाद एवं कॉपर सल्फेट से सृजित कुल 750 कृषि रसायनों की शुद्धता का विश्लेषण किया गया।

सस्य विज्ञान प्रभाग

कर्नाटक के चिक्कमगलूरु जिला के दो कॉफ़ी एस्टेटों तथा केरल के वायनाड के दो कॉफ़ी एस्टेटों से संग्रहित आंकडों से यह पाया गया कि अरेबिका कॉफ़ी के लिए स्वीकृत अधिक घनत्व रोपण ने पौधा संख्या की अधिकता के कारण अधिक स्वच्छ कॉफ़ी उपज, कम घास-पात तथा डब्ल्यू एस बी आक्रमण रिकार्ड किया गया है।

सी सी आर आई में चंद्रगिरि विभेद के द्वारा एक रोपण डिज़ाइन परीक्षण ने यह दर्शाया कि मध्य रोपण के साथ क्विनकंक्स रोपण से सकारात्मक स्वच्छ कॉफ़ी उपज (3627 कि.ग्रा/हे.) रिकार्ड किया गया है जिसमें निकट अंतराल में 3 से 4 पौधों में (1919 कि.ग्रा./हे.) तथा नियंत्रण (1311 कि.ग्रा./हे.) के साथ वैकल्पिक पंक्तियों के एक पौधे पर रॉक-एन-रोल कटाई से एकल तना पर विनयन के समतुल्य था। साइक्लिक/रॉक-एन-रोल छंटाई उपचार के साथ रोपण के हेड्ज पंक्ति पद्धति से कॉफ़ी पत्ती किट्ट एवं व्हाइट स्टेम बोरर आक्रमण अधिकांश बहुत कम पाया गया। सी आर एस एस, चेट्टल्ली में, प्रत्येक फसल कटाई (2482 कि.ग्रा./हे.) के बाद साइक्लिंग कटाई के बिना शीर्षकर्तन से बहुतायत तने पर हेड्ज पंक्ति प्रणाली से अत्यधिक स्वच्छ कॉफ़ी उपज प्राप्त हो गया है।

सी आर एस एस, चेट्टल्ली में एस एल एन 5 बी विभेद के साथ रोपण डिज़ाइन परीक्षण ने दर्शाया कि साइक्लिंग कटाई के साथ शीर्षकर्तन के बिना बहुतायत तने पर हेड्ज पंक्ति प्रणाली से स्वच्छ कॉफ़ी फसल (386 कि.ग्रा./हे.) में महत्वपूर्ण वृद्धि रिकार्ड की गई है जो रोपण डिज़ाइन के निकट अंतरण (5' × 5') + एकल तना पर विनयन

+ 3-4 फसल प्रणाली में एक बार वैकल्पिक पंक्तियों के रॉक-एन-रोल छंटाई के अलावा सभी अन्य उपचारों के समतुल्य था जिससे फसल प्राप्ति के प्रथम वर्ष के दौरान187 कि.ग्रा./हे. का फसल रिकार्ड किया गया ।

केरल के वायनाड जिला के दो एस्टेटों तथा कर्नाटक के चिक्कमगलूरु जिला के दो एस्टेटों पर किए गए सर्वेक्षण से यह पाया गया कि पुराने रोबस्टा में 1.6 लिटर/घंटे के उत्सर्जन की दर से 1.40 लाख लिटर/एकड़ की दर पर पुष्पण सिंचाई ने 2,346 कि.ग्रा./एकड़ का औसत स्वच्छ कॉफ़ी फसल रिकार्ड किया जो नियंत्रित सिंचाई में 1,250 कि.ग्रा. स्वच्छ कॉफ़ी/एकड़ था। ढलवाँ धर्ती पर खुले वातावरण में कोंटूर संरचना के अधीन पौधे रोपित करने तथा पंक्तियों के चारों ओर पोलिथिन शीट बिछाने के लिए आरंभिक निवेश लगभग ₹ 2.5 लाख/एकड़ था।

वर्ष 2014-15 के दौरान सभी क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशनों में "विकास मापदंडों पर रोपण/पुनर्रोपण आपूर्ति की स्थापना की कर्षिक कार्यप्रणाली के मानकीकरण" पर परीक्षण ने यह संकेत दिया है कि सभी उपचारों से विकास मापदंडों पर सांख्यिकी रुप से कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला है। तथापि आर सी आर एस, थांडीगुडी में अन्य उपचारों की तुलना में संस्तुत पद्धति (45 × 45 × 45 सें.मी.^{3}) + रॉक फॉस्फेट (30 ग्रा./पिट + कंपोस्ट (2 ग्रा./पिट) + पीएसबी + एज़ोस्पाइरिल्लम + वीएएम (प्रत्येक 25 ग्रा.) कंपोस्ट से समृद्ध + 10 ग्रा. फोरेट 10 जी से उर्वर प्राप्त उपचार ने एक वर्ष पुराने पौधे में सापेक्षिक रुप से प्रत्येक पौधे में अधिक लंबे जड़ तथा पार्श्व जडों की संख्या में वृद्धि रिकार्ड की गई है।

कोडगू जिला के आठ एस्टेटों पर यंत्रीकरण के अध्ययनों ने यह स्पष्ट किया है कि दो उपजकर्ताओं ने दबाव बल्लम के साथ स्प्रे घोल के प्रत्यावर्तन प्रवाह प्रणाली (इमोविली प्रणाली) सम्मिलित करते हुए वर्तमान केंद्रीकृत स्प्रेइंग प्रणाली संशोधित की है। दोनों व्यवधानों से उपजकर्ताओं को 25% तक के स्प्रे घोल बचाने में सहायता प्राप्त हुई है तथा स्प्रे होम पाइप में भी कम नुकसान पाई गई और श्रम में भी 38% की बचत हुई। घास-पात के प्रबंधन हेतु घास-पात कटाई यंत्र का प्रयोग करने वाले छ: उपजकर्ताओं से संग्रहित आंकड़ों से यह पता चला कि हस्त-कटाई की तुलना में घास-पात कटाई यंत्र ने 5-8 मानवश्रम दिवसों तक की श्रम अपेक्षिता कम कर दी है।

सी आर एस एस, चेट्टल्ली में छिड़काव तथा फार्म संचालन के लिए बहु-उपयोगिता ट्रेक्टर वाहन (एमयूटीवी) के मुल्यांकन ने 4 स्प्रे बल्लम के साथ एमयूटीवी (0.56 हे./घण्टे) की सार्थक उच्च क्षेत्र क्षमता दर्शाई जो 14 स्प्रे बल्लम वाले सी एस एस छिड़काव प्रणाली के समतुल्य था। पवर टिल्लर स्प्रे प्रणाली में निम्न क्षेत्र क्षमता देखी गई है। उच्च श्रम मूल्य (211% अधिक) की मांग के अलावा सी एस एस छिड़काव प्रणाली ने एमयूटीवी स्प्रे- प्रणाली की तुलना में 268% अधिक स्प्रे मात्रा रासायन का उपयोग किया गया। एमयूटीवी के द्वारा छोटे पौधों में प्रति दिन 350 से 1,280 पौधों (4 होस पाइप से) तक के क्षेत्र समनुयोजित किए जाते हैं जबकि एकल उप मिट्टी इंजक्टर से 170-250 पौधे/दिन ही समनुयोजित किया जा सकता है।

फार्म प्रचालनों में मशीनरियों की उपयोगिता के प्रदर्शन हेतु सी सी आर आई में रोपण के हेड्ज प्रणाली में रोबस्टा

कॉफ़ी के प्रयोग द्वारा खडे ढालू टेरेस पर यंत्रीकृत खेती प्रणाली का एक प्रदर्शन परीक्षण किया गया है।

कॉफ़ी फार्मों की विविधताओं के अध्ययनों ने दर्शाया कि नारियल (30' × 30'), सुपारी (15' × 15') तथा काली मिर्च के बीच अंतर-फसलित अरेबिका कॉफ़ी (7 × 6 अंतराल के साथ चंद्रगिरि) तथा ड्रिप सिंचाई, सामयिक कार्षिक प्रचालन तथा बिना किसी फफूँदीनाशी/कीटनाशक के प्रयोग के 8 एकड़ भूमि में प्रत्येक नारियल एवं सुपारी के पेड़ पर काली मिर्च के फसल से ₹ 66,500/- हे. के निवल वार्षिक अर्जन प्राप्त किया गया ।

सी आर एस एस, चेट्टल्ली तथा आर सी आर एस, चुंडेल में 27 उपजकर्ताओं के कॉफ़ी फार्मों की विविधता के अध्ययन से यह संकेत मिला कि रोपण के प्रारंभिक वर्षों में अधिकतर उपजकर्ता कॉफ़ी फार्मों में सिल्वर ऑक + काली मिर्च, संतरा, केला, एवोकाडो, सुपारी, कटहल, छोटे-मोटे फल, सब्जी एवं स्थिर छाया वृक्ष एवं शकरकंद, अदरक, ओल जैसे वार्षिक फसलों की खेती से कॉफ़ी क्षेत्र में विविधता लाते हैं। विभिन्न वैविध्यपूर्ण प्रणालियों को अपनाने से उन्नत निवल आय ₹ 28,400 से ₹ 8,02,000/एकड़ तक था, जबकि बिना विविधता के कॉफ़ी फार्म में यह आय ₹ 75,000 से ₹ 1,85,250/एकड़ तक था।

पौधा कायिक प्रभाग

बदलते मौसम से संबंधित फसल गतिविधियों के अनुवीक्षण के लिए विभिन्न एस्टेटों का निर्धारण किया गया गया है (कूर्ग, कर्नाटक में 16 रोबस्टा एवं 7 अरेबिका एस्टेट; वायनाड, केरल में 10 रोबस्टा एस्टेट ; थांडीगुडी, तमिल नाडू में 3 अरेबिका एस्टेट)।

सामान्यत: मार्च 2016 के द्वितीय सप्ताह में प्रथम पुष्पण बौछार, उसके बाद समर्थन बौछार तथा अप्रैल 2016 के प्रथम सप्ताह में द्वितीय पुष्पण बौछार, अप्रैल एवं मई 2016 में पर्याप्त वर्षा प्राप्त होने के फलस्वरुप दो- तीन चरणों के पुष्पण तथा विभिन्न प्रकार की फलियों का प्रजनन हुआ। अधिकतर क्षेत्रों में सूरज के तीव्र प्रकाश के साथ पर्याप्त नमीयुक्त मिट्टी की उपलब्धता कॉफ़ी के फली संवर्धन तथा उनके विकास के लिए अनुकूल थी।

पाँच वर्षों के वर्षापात की औसत की तुलना करें तो कूर्ग क्षेत्र के श्रीमंगला संपर्क क्षेत्र में विशेष रुप से अधिकतम (150.81 इंच) तथा गोनीकोप्पल संपर्क क्षेत्र में निम्नतम (61.67 इंच) वर्षापात प्राप्त हुआ था। कूर्ग क्षेत्र में रोबस्टा का पुष्पण 92% से 98% तथा अरेबिका कॉफ़ी का 80 से 85% था और रोबस्टा में फल सेट 65 से 75% तथा अरेबिका में 80 से 85% पाया गया था। कच्चे फलों के गिरने की औसत विशेषतया अरेबिका कॉफ़ी (27.56%) की तुलना में रोबस्टा में (30.28%) अधिक था। इस संबंध में विभिन्न क्षेत्रों की तुलना करें तो सोमवारपेट तथा श्रीमंगला क्षेत्र में यह अधिकतम था।

विगत कई वर्षों से वायनाड क्षेत्र के पुल्पल्ली क्षेत्र में कम वर्षा प्राप्त होती है तथा विभिन्न वर्षों के बीच महत्वपूर्ण अंतर भी देखा गया है । चालू वर्ष के दौरान पर्याप्त पुष्पण बौछार की अनुपलब्धता तथा उच्च तापमान के साथ दीर्घकालीन अनावृष्टि दिनों के कारण निम्नतम फल सृजन के अलावा पर्याप्त पुष्पण बौछार प्राप्त मीनंगाडी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों के सिंचित एस्टेटों में भी सामान्य फल सृजन पाए गए हैं।

थांडीगुडी क्षेत्र के लगभग सभी एस्टेटों में कच्चे फलों का पतन कुमारगुरु एस्टेट में अधिकतम और कीचाराम एस्टेट में निम्नतम पतन देखा गया। आरसीआरएस, थांडीगुडी के विभिन्न अरेबिका उपज क्षेत्र में ग्यारह विभिन्न प्रवरण एवं जीन प्रकारों में कच्चे फलों का पतन 1.98 से 3.07% के बीच निम्नस्तरीय रहा है।

उन्नत उन्नतांशों के क्षेत्र में अरेबिका कॉफ़ी में पकने के समय पर वर्षा के आने के कारण फ़लों के टूटने व गिरने से फसल नष्ट हुआ है तथा अधिक वृष्टि प्रदेशों में ठंडे मौसम के कारण फलों के पकने में देरी के कारण भी नष्ट हुआ। अधिक छायादार क्षेत्रों में फलों का कम पतन तथा छायारहित क्षेत्रों में यह अधिक पाया गया था। पुराने पौधों की तुलना में नए पौधों में फलों के टूटना व गिरना कम पाए गए हैं । पकने के समय पर वर्षा के आने के कारण संपूर्ण फसल नष्ट का प्रतिशत केवल 5 से 10% के बीच में था।

सीआरएसएस, चेट्टल्ली में विकास एवं उपज घटकों के आधार पर किए गए मूल्यांकन से एस.4877 एवं एचडीटी × 5बी कायिक रुप से सशक्त तथा अन्य संकरों की तुलना में अनावृष्टि के अधिक प्रतिरोधी भी पाया गया।

कोलंबियन काटीमोर में अधिकतम तथा उसके बाद चंद्रगिरि में क्लोरोफिल एस पी ए डी रीडिंग पाया गया था। सामान्यतया वर्षा के मौसम में मिट्टी में नमी की वृद्धि के साथ एस पी ए डी रीडिंग घट जाता है तथा मानसून की चरम सीमा में यह न्यूनतम हो जाता है।

सफेद तना छेदक के विरुद्ध लोबिया से निस्सारित कच्चा प्रोटीन निरोधक का परीक्षण (सी सी आर आई में कीट विज्ञान प्रभाग के साथ संयुक्त रुप से) किया गया तथा प्रभावहीन पाया गया।

उप–घटक 1.3 : प्रमुख नाशिकीट एवं रोगों से उत्पन्न नष्ट की घटाव हेतु परिस्थिति की सुरक्षित हस्तक्षेप का विकास

पौधा रोग विज्ञान प्रभाग

सी सी आर आई फार्म, चिक्कमगलुरु, मूडिगेरे एवं सकलेशपुर में प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केंद्र; सी आर एस एस, चेट्टल्ली ; प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केंद्र, गोनीकोप्पल ; हंगल एस्टेट, सोमवारपेट ; आर सी आर एस, थांडीगुडी और तमिलनाडू में प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केंद्र, एरकाड जैसे दक्षिण भारत के विभिन्न दस कृषि मौसम क्षेत्रों में विभिन्न कार्षिक वातावरण में रस्ट रेस फ़्लोरा की उपस्थिति के अनुवीक्षण के लिए कॉफ़ी किट्ट प्रजाति तथा 'ए' टाइप पौधे रोपित किए गए तथा उनका अनुरक्षण एवं अनुवीक्षण किया गया।

I, VIII, XII, XVI, XVII, XXIV, XXV, XXIX, XXXI, XXXII, XXXVI, XXXVII, XXXIX, XL तथा XLI जैसे कॉफ़ी भिन्नकों तथा 'ए' विभेद पौधा किट्ट प्रजातियों और विषैले जींस के साथ वी 1,2,5,6,9 (537/18 सी आर एस एस), वी 2,5,6,7,8,9 (चुंडेल), वी 1,2,5,8 (बसवा काटीमोर), वी 2,5,6,7,8,9 (13683/18), वी 1,2,5,6,8 (एस एल एन.6 मूरिंग), वी 2,3,5,8 (एस..2581 सी सी आर आई), वी 2,5,6,8 (तेजा रोबस्टा), वी 1,2,5,6 (538/29), वी 1,2,4,5,6,7,8,9 (420/10), वी 1,3,5,6,7,8,9 (6869/2), वी 1,2,4,5,6,8 (539/8), वी 2,5,6,8,9 (कावेरी चुंडेल) और वी 1,2,5,6,7,8,9 (13683/25 गोनीकोप्पल) वी 2358 से एस.288,

वी 25679 (XXXVII) और एस.353 से वी 235689, एस.151/1 से वी 15, एस.795 से वी 245, एस एल एन. 6 से वी 1235689 और वी 1256789 जैसे नई किट्ट प्रजाति से संग्रहित बीजाणु प्रतिमान अलग करके अनुरक्षित किए गए।

सी सी आर आई में किट्ट आक्रमण से संबंधित मूल्यांकित सात एफ$_2$ पौधों में, किट्ट आक्रमण एस.4814 में न्यूनतम था, उसके बाद एस.4817, एस.4816, एस.4820, एस.4818 और एस.4819 और एस.4815 में अधिकतम था। ग्यारह एफ$_1$ पौधों में, किट्ट आक्रमण एस. 4932 में न्यूनतम था, उसके बाद एस.4933, एस.4936, एस.4934, एस.4900 एस.4937, एस.4935, एस.4897, एस.4899 और एस.4896 और एस.4898 में अधिकतम था।

अरेबिका कॉफ़ी की नई श्रेणियों के ग्यारह एफ$_2$ संकर पौधों में सबसे कम किट्ट आक्रमण एस.5040 में रिकार्ड किया गया, उसके बाद एस.5039, एस.5041, एस.5049, एस.5048, एस.5050, एस.5042, एस.5042, एस.5044 तथा एस.5051 और अधिकतम किट्ट आक्रमण एस.5043 (12.58%) में रिकार्ड किया गया। किट्ट आक्रमण के लिए मूल्यांकित बारह एफ$_1$ संकर पौधों में एस.5059 में न्यूनतम तथा एस.5060, एस.5052, एस.5056, एस.5055, एस.5049, एस.5053, एस.5057, एस.5062, एस.5058 और एस.5061 एवं एस.5063 में अधिकतम पाई गई है।

कॉफ़ी पत्ती किट्ट आक्रमण पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयोजित सर्वेक्षण से यह पाया गया है कि उस क्षेत्र में पत्ती किट्ट का आक्रमण का स्तर 25 से 86% तक था।

तीन स्थानों में एस.795 उपजक पर पत्ती किट्ट प्रबंधन पर हेक्साकोनाज़ोल 5 ईसी (0.01%), टेबुकोनाज़ोल 25 ईसी (0.02%) जैसे संस्तुत क्षेत्र सक्षम फफूँदीनाशियों तथा बोर्डेक्स मिश्रण (0.5%) की तुलना करते हुए विभिन्न सांद्रताओं (0.005, 0.075, 0.01, 0.015 और 0.02% ए आई.) पर नाटिवो 75 डब्ल्यू जी (टेबुकोनाज़ोल 50% + ट्राईफ्लोक्सिस्ट्रोबिन 25%) जैसे नई फफूँदिनाशियों की क्षेत्र निपुणता का मूल्यांकन किया गया। इनका मानसून पूर्व तथा मानसूनोत्तर अनुप्रयोग किए गए। सी सी आर आई में औसत किट्ट आक्रमण 0.02 और 0.01% पर नाटिवो 75 डब्ल्यू जी के साथ उपचार में न्यूनतम तथा अन्य फफुँदनाशी उपचार में थोड़ा अधिक पाया गया था। ऐसी ही प्रवृत्ति सी आर एस एस, चेट्टल्ली और आर सी आर एस, थांडीगुडी में भी पाई गई।

पाक्षिक अंतरालों में कॉफ़ी पत्ती किट्ट आक्रमण पर रिकार्ड किए गए मौसम मापदंडों के प्रभाव यह संकेत देते हैं कि एस एल एन.3 में पत्ती किट्ट आक्रमण तीव्रता न्यूनतम तापमान तथा सापेक्षिक आर्द्रता के साथ सकारात्मक रुप से सह-संबंद्ध था और अधिकतम तापमान एवं समुचित वर्षा के साथ नकारात्मक सह-संबंध दर्शाया। एसएलएन 5बी में न्यूनतम तापमान और समुचित वर्षा के साथ सकारात्मक सह-संबंध और अधिकतम तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता के साथ नकारात्मक सह-संबंध दर्शाया। ऐसी ही प्रवृत्ति सी × आर में पाई गई है।

सी सी आर आई में पत्तों के सिकुडन और क्लोरोसिस के लिए मूल्यांकित ग्यारह स्टेशन प्रवरणों ने पत्ते सिकुडन तथा क्लोरोसिस का अधिकतम आक्रमण एस एल एन 4 (3.76%) में और उसके बाद एस एल एन 3 (3.08%),

एस एल एन 13 (3.06%), एस एल एन 9 (2.94%), एस एल एन 6 (2.33%), एस एल एन 8 (2%), एस एल एन 10 (1.87%), एस एल एन 12 (1.67%), एस एल एन 5बी (1.58%), एस एल एन 5ए (1.27%), एस एल एन 11 (1.22%) और न्यूनतम आक्रमण एस एल एन 7.3 (0.79%) में रिकार्ड किया गया।

कीट विज्ञान प्रभाग

बोरर प्रभावित क्षेत्रों में वयस्क बोरर की जीवसंख्या कम करने के लिए कॉफ़ी उपजकर्ताओं को कम मूल्य पर 28.157 ट्रैप्स वितरित करते हुए एक विकल्प के रूप में क्रॉस वैन फेरोमोन ट्रैप्स का प्रयोग प्रोत्साहित किया गया।

कॉफ़ी सफेद तना छेदक के प्रबंधन के लिए उपलब्ध विकल्पों पर उपजकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए चार टीम, कर्नाटक में तीन (चिक्कमगलूरु, हासन व कोडगु में एक-एक) तथा तमिलनाडु (एरकाड व पलनीस के लिए एक) का गठन करते हुए सितंबर 2014 में पुन:स्थापित "मिशन मोड कार्यक्रम" के अधीन इस अवधि के दौरान भी 332 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनसे 10,832 उपजकर्ता तथा एस्टेट कामगार लाभान्वित हुए।

कर्नाटक में चिक्कमगलूरु, हासन एवं कोडगु जिलाओं में लघु, मध्यम व बडे उपजकर्ताओं तथा सुव्यवस्थित एस्टेटों में सफेद तना छेदकों के आक्रमण के प्रभाव पर किए गए परिस्थिति अध्ययनों से यह पाया गया है कि जिन एस्टेटों में व्यवस्थित छाया प्रबंधन का अनुरक्षण करते हुए नियमित ड्रेसिंग व प्रभावित पौधों के जड से निष्कासन जैसे संस्तुत प्रणालियों को अपनाया तथा कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है वहाँ सफेद तना छेदकों का आक्रमण कम था।

सफेद तना छेदकों के लार्वे के छेदन प्रक्रिया पर प्राप्त आँकडों ने यह दर्शाया है कि छेदन की कोई निर्धारित प्रणाली का अनुपालन नहीं किया जाता।

"मादा फेरोमोन के निर्धारण एवं सफेद तना छेदक द्वारा होस्ट पौधा चयन के लिए उत्तरदाई केरोमोन की पहचान के लिए उसकी भूमिका" पर मेसर्स भारतीय कीटनाशक नियंत्रण के जैव-नियंत्रण अनुसंधान प्रयोगशाला लिमिटेड, बेंगलूरु द्वारा प्रायोजित परियोजना के अधीन प्रयोगशाल एवं क्षेत्र दोनों स्तर पर नए चुग्गों का परीक्षण किया गया।

टाटा रसायनिक नवप्रवर्तन केंद्र के सहयोग से सफेद तना छेदक लिए नए अणुओं के मूल्यांकन जारी रखा गया है।

"कृषि एवं उद्यान संबंधी फसलों पर बोरर नाशिकीट पर अनुसंधान सहयोगी-संघ मंच" के अधीन विभिन्न स्थानों से सफेद तना छेदकों के प्रतिमान संगृहीत करते हुए आई आई एच आर,बेंगलूरु को विश्लेषण के लिए भेजा। छह प्राकृतिक शत्रुओं के विनिर्धारण के लिए सूचना आई आई एच आर, बेंगलूरु को भेजी गई थी । नैनो फेरोमोन सामग्रियों के लिए निम्न मात्रा का मूल्यांकन तथा ए,बी,सी,डी जैसे पौधा कैरोमोन चुग्गों का स्क्रीनिंग किया जा रहा है।

कृषि मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सार्वजनिक एवं प्राइवट अ व वि संस्थानों, प्रतिष्ठित कॉफ़ी उपजकर्ताओं और कॉफ़ी संघ को सम्मिलित करते हुए सफेद तना छेदक पर उच्च स्तरीय शिखर समिति का गठन किया गया है। अभी तक इस समिति की तीन बैठकें आयोजित की गई हैं।

'सफेद तना छेदकों के विरुद्ध अंडों का रासायनिक स्क्रीनिंग' पर अध्ययन ने क्लोरोपाइरीफोस 20 ईसी और

क्लोरोपाइरीफोस 50+ साइपर्मेत्रिन 5 ईसी के उपचार के 63 वें दिन 82% मृत्यु दर दर्शाई गई है।

प्रभावित पौधों से सफेद तना छेदक के कीटों के निवारण के उद्देश्य से परीक्षण किए गए। उपचार के अधीन मुख्य तना का आवरण (बोरे या प्लास्टिक पट्टियों से), उसके बाद कीटनाशक छिटकने या कीटनाशक से तने पर छिडकाव के बाद आवरण आदि सम्मिलित हैं। कीटों की पलायन अवधि के बाद जाँच से पाया गया है कि बोरों की पट्टियों से लपेटने तथा क्लोर्पाइरिफोस50+ साइपर्मेत्रिन 5 ईसी (1.2 मि.लि + 1 मि.लि विटिंग एजेंट/लिटर जल) छिटकने से निकास छिद्र में वयस्क कीटों की मृत्यु दर अत्यधिक थी।

तना छेदक के विरुद्ध प्रतिरोध के स्रोत पहचानने के लिए संवेदी प्रकार के तनों की तुलना में सघन तनों पर अंडे तथा लार्वे छोडते हुए प्राकृतिक अरेबिका × पेड कॉफ़ी के बीच के संकरों का स्क्रीनिंग किया गया। जाँचों से पता चला कि संवेदी प्रकारों की तुलना में संकर पौधों पर प्रारंभिक स्तर पर मृत्यु दर अधिक पाई गई।

सी बी बी के विरुद्ध स्क्रीन किए गए विभिन्न रसायनों में जल के 1.5 एम.एल/लि की दर पर क्लॉरानट्रानिपोल 8.5 एस एस में अधिकतम मृत्यु दर(86%), उसके बाद फ़िप्रोनिल 5% एससी2 मि.लि/लि (83%) की दर पर रिकार्ड किया गया। फ़्लोनिकामिड 50 ड्ब्ल्यूजी 0.2 जी.एल (23.3%) में निम्नतम मृत्यु दर पाई गई है।

कॉफ़ी बेरी बोरर के प्रबंधन के लिए कर्नाटक तथा केरल के कॉफ़ी उपजकर्ताओं को उनकी मांग पर चुग्गे के साथ 52,502 ब्रोका ट्रेप्स वितरित किए गए। उपजकर्ताओं को प्रदत्त ट्रेप्स में चुग्गे सामग्रियाँ फिर से भरने के लिए 1,94,765 के चुग्गे सामग्री वितरित की गई।

कॉफ़ी बेरी बोरर के विरुद्ध जैव नियंत्रण एजेंट के रूप में कीटरोगजनक फ़फुँदी बावेरिया बासियाना का प्रयोग ऑन-फ़ार्म उत्पादन के लिए प्रारंभिक कृषि के साथ-साथ कृषि के लिए तैयार आपूर्ति को लोकप्रिय बनाया गया। कॉफ़ी बेरी बोरर प्रबंधन के लिए तमिलनाडु एवं केरल के उपजकर्ताओं को चावल माध्यम पर 349 कि.ग्रा. बावेरिया बासियाना और 70 लि तरल कर्षण भी वितरित किए गए।

कॉफ़ी मिली बग प्रकोप के प्रबंधन के लिए पर्यावरण हितैषी उपाय के रूप में उपजकर्ताओं की मांग पर मिली बग के 18,000 पर्जीव्याम वितरित किए गए।

कर्नाटक के कुछ बागानों में पाए गए भीमाकार आफ्रिकी स्नैल के प्रकोप के प्रभावी नियंत्रण के लिए तकनीकी सलाहकार समिति की सेवा प्रदान की गई है। इनके नियंत्रण के लिए प्रयुक्त विभिन्न उपचारों से लेनैट व मेटाडीहाइड के साथ चावल भूसी की तुलना में लेनैट के साथ कच्चे पपीते का उपचार अधिक प्रभावी था। स्नैल के नियंत्रण के लिए जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया ।

उप-घटक : 1.4 कटाई पश्चात प्रौद्योगिकी तथा गुणता सुधार

कटाई पश्चात प्रौद्योगिकी विभाग

जुलाई 2014 के दौरान प्रभागीय प्रधान का पद भरते हुए सी सी आर आई में कटाई पश्चात प्रौद्योगिकी प्रभाग की

स्थापना की गई। बाद में जैवरसायनज्ञ, कृषि अभियंता तथा जैव रसायन के अनुसंधान सहायक के एक-एक पद भरते हुए प्रभाग को सशक्त किया गया।

चिक्कमगलूरु, हासन तथा कोडगु जिलाओं के 48 कॉफ़ी एस्टेटों में विभिन्न निर्माताओं के इको-पल्परों के निष्पादन का मूल्यांकन किया गया। प्रति किलोग्राम फल के पल्पिंग और गोंद हटाने के लिए अरेबिका में 0.5 से 1 लिटर और रोबस्टा में 0.6 से 1.3 लिटर के जल का उपयोग किया गया है। रूढिगत पल्पर की तुलना में इको-पल्पर का प्रयोग जल उपभोग को 80% से 90% तक कम करता है। अधिकतर एस्टेटों में गोंद को पल्पर के साथ मिलाकर कंपोस्टिंग के लिए उपयोग किया गया। आयातित इको-पल्पर की तुलना में देशज पल्पर भी समरूपी निष्पादन के लिए समर्थ पाया गया है।

'कॉफ़ी मे प्रदूषण उपशमन' पर किए गए अध्ययनों के परिणामस्वरूप यह पाया गया है कि जैव-एजेंट (यीस्ट) तथा अपश्रेणीकारक कीटनाशक, कॉफ़ी निस्सार के प्रदूषण 80-85% तक कम करने में प्रभावाशाली है।

कॉफ़ी गुणता प्रभाग

कायिक व कप गुणता मापदंडों के निर्धारण के लिए कुल 253 कॉफ़ी प्रतिमानों का निरीक्षण किया गया है (250 वाणिज्यक एवं 3 पूर्वोत्तर के हैं)।

शेयरधारकों से प्राप्त कुल 123 नमीमापन मीटर की जांच की गई है।

ओक्टाटॉक्सीन-ए (ओटी-ए) स्तर की उपस्थिति की जाँच के लिए तीन ग्रीन कॉफ़ी प्रतिमानों का परीक्षण किया गया तथा इन प्रतिमानों में ओटी-ए स्तर 2.0 से 6.5 पी पी बी था।

कैफ़ीन तत्व की जाँच के लिए व्यापारियों से प्राप्त तीन रोस्टड व ग्राइंडेड कॉफ़ी प्रतिमानों का परीक्षण किया गया।

भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों के अनुसार व्यापारियों से प्राप्त तीन रोस्टड व ग्राइंडेड कॉफ़ी प्रतिमानों का विश्लेषण किया गया। बी आई एस के निर्धारित मापदंडों के अनुसार विश्लेषणात्मक मूल्य प्राप्त हुए थे।

वर्ष 2015-16 के दौरान कॉफ़ी गुणता प्रभाग, बेंगलूरु में रोस्टिंग व ब्रूइंग पर 'कापी शास्त्र' प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 53 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया।

कर्नाटक, केरल, तमिल नाडु तथा महाराष्ट्र में कॉफ़ी उद्यमों के लिए पाँच अल्पकालीन कार्यकारी कार्यक्रम (एस टी आई पी) आयोजित किए गए, जिनमें 89 प्रशिक्षार्थियों को रोस्टिंग व फुटकर व्यापार संबंधी प्रशिक्षण दिया गया।

कॉफ़ी गुणता प्रभाग, कॉफ़ी बोर्ड, बेंगलूरु द्वारा आयोजित बारिस्ता निपुणता (एस्प्रेस्सो कॉफ़ी ब्रूइंग तकनीक) पर अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में चौदह प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

कॉफ़ी गुणता प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के 2014-15 बैच के दस विद्यार्थियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर दिया है। 2015-16 के दौरान कुल ग्यारह विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं तथा सी सी आर आई में इसका प्रथम तिमाही सत्र पूरा किया गया है और दूसरा सत्र कॉफ़ी बोर्ड के मुख्य कार्यालय, बेंगलूरु में चल रहा है।

गोथनबर्ग, स्वीडन में 15 जून 2015 को अंतरराष्ट्रीय

निर्णायकों के एक पैनल द्वारा फ़्लैवर ऑफ़ इंडिया– फ़ाइन कप पुरस्कार 2015 के अंतिम चरण के लिए चयनित कॉफ़ी प्रतिमानों का मूल्यांकन किया गया ।

मार्च 2016 के दौरान विभिन्न कॉफ़ी उपजाने वाले क्षेत्रों से 142 अरेबिका एवं 90 रोबस्टा को सम्मिलित करते हुए कुल 232 कॉफ़ी प्रतिमान कायिक मूल्यांकन एवं कप्पिंग पूर्व मूल्यांकन सत्र के लिए चुन लिए गए।

"कॉफ़ी प्रसंस्करण मशीनरी हेतु समार्थन" के अधीन उपदान प्रदान करने के लिए उद्योग/शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन अट्ठारह रोस्टिंग एककों का निरीक्षण किया गया। लाइसेंस नवीकरण के लिए दो क्यूरिंग वर्क्स का भी निरीक्षण किया गया।

कॉफ़ी बोर्ड ने दिनांक 15 एवं 16 अक्तूबर 2016 को राष्ट्रीय निर्णायकों के प्रशिक्षण तथा विश्व बारिस्ता प्रतियोगिता के नियम व विनियम का परिचय कराने के लिए कॉफ़ी बोर्ड के मुख्य कार्यालय में दो दिवसीय निर्णायक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया था। कॉफ़ी बोर्ड ने निर्णायक मंडल के सदस्यों को प्रशिक्षण देने हेतु प्रख्यात व्याख्याता श्री जो सू को आमंत्रित किया था। इस कार्यशाला में 22 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय बारिस्ता प्रतियोगिता 2016 दो चरणों में आयोजित की गई। इसका प्रथम चरण 06 से 08 दिसंबर 2015 तक नई दिल्ली में तथा प्रथम चरण का दूसरा राउंड 20 से 22 दिसंबर 2015 तक कॉफ़ी बोर्ड, बेंगलूरु के परिसर में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय बारिस्ता प्रतियोगिता के सेमी–फ़ाइनल व फ़ाइनल 25 से 27 फरवरी 2016 तक कॉफ़ी बोर्ड, बेंगलूरु के परिसर में आयोजित किए गए।

****

अध्याय V

विस्तारण तथा विकास

क) परंपरागत क्षेत्र

परंपरागत कॉफ़ी उगाने वाले क्षेत्र में तीन दक्षिणी राज्य अर्थात कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु आते हैं। कॉफ़ी के परंपरागत क्षेत्र अधीन कुल क्षेत्र 3,55,871 हेक्टर है जो देश के कुल कॉफ़ी अधीन क्षेत्र 4,34,436 हेक्टर का 82% है। परंपरागत क्षेत्र में कुल जोतों की संख्या 1,66,047 है जोकि देशभर के 3,33,527 जोतों का लगभग 50% है।

परंपरागत क्षेत्र में कॉफ़ी अधीन क्षेत्र

वर्ष 2015-16 के दौरान 3 परंपरागत कॉफ़ी उगाने वाले राज्यों में रोपित क्षेत्र,फलन क्षेत्र तथा जोतों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :-

राज्य	रोपित क्षेत्र (हे.)			फलन क्षेत्र (हे.)			जोतों की संख्या		
	अरेबिका	रोबस्टा	कुल	अरेबिका	रोबस्टा	कुल	< 10 हे	> 10 हे	कुल
कर्नाटक	111225	124213	235438	101448	116806	218254	69377	2019	71396
केरल	4217	81284	85501	3953	80782	84735	77200	275	77475
तमिलनाडु	29062	5870	34932	26787	5725	32512	16831	345	17176
परंपरागत क्षेत्र का योग	**144504**	**211367**	**355871**	**132188**	**203313**	**335501**	**163408**	**2639**	**166047**

2015-16 के दौरान मौसम परिस्थिति तथा फसल उत्पादन

मार्च-मई 2015 के दौरान हुए पुष्पण एवं समर्थन फुहारों के कारण अच्छा फसल सेट हुआ । विगत वर्ष की तुलना करें तो निम्नस्तरीय क्षेत्रों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा के कारण जलप्लावन की स्थिति आ गई। इसके फलस्वरूप पौधे काले रॉट / स्टाल्क रॉट रोगों के शिकार हुए तथा प्रभावित क्षेत्रों में हरे दाने गिरने लगे। रोगों की फैलाव नियंत्रित करने के लिए आवश्यक नियंत्रण उपाय अपनाए गए। सामान्यतः नाशिकीट व रोगों का प्रकोप मध्यम से निम्न स्तर का पाया गया है। हालाँकि, अगस्त/सितंबर 2015 के दौरान कोडगु, हासन एवं चिक्कमगलूरु जिलाओं के कॉफ़ी बागानों में बडे आफ्रिकन स्नैल नामक नाशिकीट दिखने लगे जो कॉफ़ी, काली मिर्च एवं अन्य सह-संबद्ध फसलों के लिए खतरा उपन्न करने लगे तथा कॉफ़ी बागानों के कॉफ़ी पौधों के नरम ऊतक, पत्ते तथा नरम तने को नष्ट करने लगे। इन नाश्कीटों की फैलाव रोकने के लिए उपजकर्ताओं के बीच आवश्यक नियंत्रण उपायों के बारे में अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इसे संबंधित जिलाधिकारियों के ध्यान में लाया गया और इस नाशिकीट को प्रभावात्मक रूप से नियंत्रित किया गया ।

अक्तूबर 2015 के अंत से प्रारंभ होने वाले पूर्वोत्तर मानसून के दौरान अधिक वर्षा प्राप्त हुई। इससे अरेबिका फसल के फसल कटाई तथा संसाधन में बाधा पडी। सर्दी वाले नमीयुक्त रात्रि तथा कोहरेदार सुबहों ने कॉफ़ी सुखाने की प्रक्रिया की गति धीमी कर दी। इसके कारण अरेबिका के सामान्य सुखाने की अवधि लंबी कर दी और इससे अरेबिका की गुणता पर अधिक प्रभाव पडा। अधिक मज़दूरी दर के कारण गिरे हुए दानों के न बटोरने के कारण कॉफ़ी बेरी बोरर की संख्या दुगुनी हो गई। इस अवधि के दौरान रोबस्टा पर शॉट हॉल बोरर के आक्रमण की घटना भी रिपोर्ट की गई है। विगत वर्ष 2014 की कुल वर्षापात की तुलना करें तो वह भी 2015 में कम था।

हालाँकि, वर्ष के दौरान मौसमी परिस्थिति पुष्पण व फसल सेटिंग के लिए अत्यधिक अनुकूल थी तथा इसके परिणाम स्वरूप 3,48,000 मे.ट का अत्यधिक फसल उत्पादन प्राप्त हुआ। अरेबिका की फसल कटाई के समय पर आई सक्रिय पूर्वोत्तर मानसून के कारण फसल कटाई, संसाधन व ड्राइंग प्रभावित हुए जिसके कारण कुछ हद तक अरेबिका के प्रथम बैच के अरेबिका फसल की गुणता में कमी आई।

परिणामस्वरुप, 2015-16 सीज़न के लिए परंपरागत कॉफ़ी उपजाने वाले क्षेत्रों के अंतिम फसल प्राक्कलन 3,38,405 मे.ट. है जिसमें 93,660, अरेबिका तथा 2,44,385 मे.ट. रोबस्टा सम्मिलित है। राज्यवार विवरण निम्नानुसार है

(मे.ट. में)

राज्य	उत्पादन प्राक्कलन		
	अरेबिका	रोबस्टा	कुल
कर्नाटक	78,650	1,72,870	2,51,520
केरल	2,200	67,030	69,230
तमिलनाडु	12,810	4,485	17,295
परंपरागत क्षेत्र का योग	**93,660**	**2,44,385**	**3,38,045**

नाशिकीट एवं रोग

वर्ष 2015 के मानसूनोत्तर तथा 2016 के मानसून-पूर्व अवधि के दौरान लंबी सूखी अवधि तथा मौसमी परिस्थिति के कारण अरेबिका का पर आक्रमण करने वाले प्रमुख नाशिकीट सफेद तना छेदक का आक्रमण सामन्यतया कम था। कॉफ़ी उपजाने वाले अधिकांश क्षेत्रों में कॉफ़ी बेरी बोरर का आक्रमण भी कम था। रोबस्टा पर शॉट होल बोरर जैसे अन्य नाशिकीट और चूषक नाशिकीट का आक्रमण भी सामान्यत: निम्न स्तर पर था।

रोगों में, अरेबिका के एक प्रमुख रोग कॉफ़ी पत्ती किट्ट का आक्रमण, निम्न से मध्यम स्तर पर था। ब्लैक रॉट और स्टॉक रॉट का आक्रमण मानसून समय के दौरान उच्च उन्नतांश तथा अधिक वर्षापात के क्षेत्रों में स्थित कॉफ़ी बागानों में निम्न से मध्यम स्तर पर था। कॉफ़ी पर डाइ बैक एवं जड़ संबधी रोगों का आक्रमण निम्न स्तर पर था।

विस्तारण तथा विकास संबंधी क्रियाकलापों का अनुवीक्षण एवं पुनरीक्षण

- परंपरागत कॉफ़ी उपजाने वाले क्षेत्रों में स्थित विस्तारण कार्यालय, सचिव, कॉफ़ी बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आते हैं।

- गैर–परंपरागत कॉफ़ी उपजाने वाले क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्थित कार्यालय अनुसंधान निदेशक, सी सी आर आई के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आता है।
- सचिव, कॉफ़ी बोर्ड, विकास समर्थन योजनाओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करते हैं।
- हासन स्थित संयुक्त निदेशक (विस्तारण), कर्नाटक के चार उप निदेशक (विस्तारण), सात वरिष्ठ संपर्क अधिकारी तथा सभी कनिष्ठ संपर्क अधिकारियों के विस्तारण /विकास क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते हैं।
- कल्पट्टा स्थित संयुक्त निदेशक (विस्तारण) दो उप निदेशक (विस्तारण), आठ वरिष्ठ संपर्क अधिकारी तथा केरल एवं तमिल नाडु के सभी कनिष्ठ संपर्क अधिकारियों के विस्तारण क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते हैं।

विस्तारण गतिविधियाँ

कॉफ़ी कृषि के वैज्ञानिक पद्धतियों के ज्ञान एवं कुशलता में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी के अंतरण हेतु बोर्ड के विस्तारण कार्मिकों ने कॉफ़ी उपजकर्ताओं के साथ आपसी संपर्क बनाए रखा। सामान्यतः उपजकर्ता तथा विशेषकर छोटे उपजकर्ताओं को प्रौद्योगिकी के अंतरण हेतु विविध व्यक्तिगत एवं सामूहिक विस्तारण दृष्टिकोण और साधनों का प्रयोग किया गया । इसके साथ–साथ कॉफ़ी के उत्पादन, उत्पादकता तथा गुणता के प्रोन्नयन के लिए विकास समर्थन भी प्रदान किए गए।

इस अवधि के दौरान कॉफ़ी उपजकर्ताओं एवं कामगारों के ज्ञान तथा दक्षता का स्तर सुधारने के लिए क्रियान्वित कार्यकलाप तथा ध्यानकेंद्रित संपर्क सिद्धांतों में व्यक्तिगत संपर्क, कॉफ़ी जोतों का दौरा, अनुवीक्षण एवं सुझावों के पुष्टीकरण हेतु सलाहकारी पत्र निर्मोचन, संक्रियाओं को प्रभावी रूप से निपटाने हेतु कुशलता में सुधारण के लिए पद्धति निरूपण/फार्म पर निरूपण का आयोजन, ग्राम स्तरीय/सामूहिक बैठकें एवं सेमीनार, समूह संचार/संपर्क कार्यक्रम, मीडिया अभियान तथा अन्य उल्लेखनीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

विस्तारण कार्मिकों ने फसल का सावधिक मूल्यांकन, नाशिकीट एवं रोगों के आक्रमण के अनुवीक्षण एवं प्रबंधन, कॉफ़ी बीज के प्रापण एवं वितरण आदि गतिविधियों का क्रियान्वयन भी किया।

वर्ष 2015–16 के दौरान क्रियान्वित विभिन्न विस्तारण गतिविधियों का विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	गतिविधियाँ	उपलब्धियाँ (सं.)
1.	एस्टेट दौरा	28,358
2.	क्षेत्र निदर्शन	7,754
3.	सलाहकारी पत्र	2,913
4.	सामूहिक बैठकें/सेमीनार/ग्राम स्तरीय बैठकें	99
5.	सामूहिक संचार/संपर्क कार्यक्रम	21
6.	मीडिया अभियान	103
7.	प्रौ.मू.केन्द्रों में कॉफ़ी की कृषि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	30
8.	महिला कामगारों/उपजकर्ताओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	41

सामूहिक संचार कार्यक्रम

प्रमुख नाशिकीट तथा रोगों के एकीकृत प्रबंधन पर लघु कॉफ़ी उपजकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए कुल 15 समूह संचार कार्यक्रम आयोजित किए गए । पारंपरिक कॉफ़ी उपजाने वाले क्षेत्र के विभिन्न आंचलों में इन कार्यक्रमों के तहत लगभग 960 लघु उपजकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया ।

सामूहिक संपर्क कार्यक्रम

परंपरागत क्षेत्र के विभिन्न कॉफ़ी उगाने वाले प्रदेशों में कॉफ़ी कृषि के सुधारित पद्धतियों के बारे में लघु उपजकर्ता समूह को प्रशिक्षित करने के लिए छः सामूहिक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए । इन कार्यक्रमों में विभिन्न एस्टेटों से मिट्टी प्रतिमान का संकलन, प्रतिमानों का विश्लेषण, मिट्टी विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर मिट्टी के सुधारण उपाय तथा खाद प्रयोग की मात्रा निर्धारण की योजना आदि बहुत से क्रियाकलाप सम्मिलित किए गए । इसके अलावा, वैज्ञानिकों एवं विस्तारण कर्ताओं की एक टीम ने एस्टेटों का दौरा किया तथा कॉफ़ी जोतों के समग्र प्रोन्नयन हेतु मूल्यांकन करते हुए परामर्श दिए। कार्यक्रम के एक भाग के रुप में उस क्षेत्र के उपजकर्ताओं के साथ संवादात्मक बैठक आयोजित की गई। इससे कुल 744 उपजकर्ता लाभान्वित हुए।

प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केंद्र (टी ई सी)

परंपरागत क्षेत्रों के विभिन्न कृषि जलवायवीय आँचलों में संस्थापित बोर्ड के दस प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केंद्रों (टी ई सी) ने उत्पादन तथा उत्पादकता के प्रोन्नयन के लिए प्रत्येक टी ई सी के लिए बनाए गए वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार समय पर सांस्कृतिक प्रचालन का प्रकार्य जारी रखा। ये प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केंद्र (टी ई सी), क्षेत्र/स्थान विशिष्ट कार्षिक प्रणालियों द्वारा विभिन्न पौधा सामग्रियों के निष्पादन मूल्यांकन केंद्र, प्रशिक्षण तथा बीज उत्पादन केन्द्रों के रूप में कार्य करते रहते हैं।

परंपरागत क्षेत्रों में कॉफ़ी के लिए विकास समर्थन

बोर्ड के विस्तारण कार्मिकों ने विकास समर्थन स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपदान आवेदन पत्रों/दावों के पंजीकरण, जाँच-पड़ताल, संसाधन का कार्य किया। कॉफ़ी के उत्पादन, उत्पादकता और गुणता के प्रोन्नयन के लिए पुनःरोपण, विस्तारण, जल आवर्धन, गुणता प्रोन्नयन, पर्यावरण-प्रामाणीकरण, प्रदूषण उपशमन कार्यों को संचालित करने की दिशा में पारंपरिक क्षेत्र के कॉफ़ी उपजकर्ताओं को उपदान दिए गए।

2015-16 के दौरान विभिन्न घटकों से संबंधित विवरण तथा उपदान का विवरण निम्नानुसार है :

1. **पुनःरोपण एवं विस्तारण**

   निगमित तथा सहकारी जोतों को सम्मिलित करते हुए जोतों के आकार पर ध्यान दिए बिना उपदान के लिए पात्र कॉफ़ी उपजकर्ताओं को उपदान दिया गया। योजना के प्रयोजनार्थ विचार किए गए एकक लागत अरेबिका के मामले में ₹ 1,75,000/- प्रति हेक्टर तथा रोबस्टा के मामले में ₹ 1,25,000/- प्रति हेक्टर था। उपदान के लिए मानदंड जोत के आकार के अनुसार परिवर्तित हो जाता था; कॉफ़ी क्षेत्र के (i) 2 हेक्टर तक के जोत आकार के उपजकर्ता को एकक लागत का 40% (ii) जोत का आकार 2 हेक्टर से अधिक हो तथा 10 हेक्टर तक हो तो उपजकर्ता को एकक लागत का 30% और (iii) 10 हेक्टर से अधिक जोत के उपजकर्ता को एकक लागत का 25% देने का प्रावधान है।

2. **जल प्रवर्धन**

कॉफ़ी क्षेत्र के 20 हेक्टर तक जोत के योग्य उपजकर्ता तथा साझेदारी फार्म को सम्मिलित करते हुए संयुक्त स्वामित्व वाले जोतों को जल प्रवर्धन उप घटक के तहत भिन्न कार्यों के लिए एकक लागत के 25% की दर बशर्ते कि सभी कार्यों को मिला कर प्रति लाभानुभोगी को ₹ 2,50,000/- तक की सीमा तक उपदान दिया जाता है। विभिन्न क्रियाकलापों के लिए निर्धारित एकक लागत, जोत के आकार के अनुसार परिवर्तित होती है तथा प्रति जोत ₹ 43,000/- से ₹ 10,00,000/- के बीच रहती है।

3. **गुणता प्रोन्नयन**

कॉफ़ी क्षेत्र के 20 हेक्टर तक जोत के उपजकर्ता तथा उपदान के लिए पात्र उपजकर्ताओं और साझेदारी फर्मों को शामिल कर संयुक्त स्वामित्व वाले जोतों को गुणता प्रोन्नयन उप-घटक के तहत विभिन्न कार्यों के लिए एकक लागत के 20% की दर से उपदान दिया जाता है। विभिन्न क्रिया कलापों के लिए निर्धारित की गई एकक लागत जोत के आकार के अनुसार परिवर्तित होती है और प्रति जोत ₹ 16,000/- से ₹ 12,50,000/- के बीच रहती है।

4. **पर्यावरण प्रमाणीकरण**

कॉफ़ी क्षेत्र के 20 हे. तक के स्वामित्व वाले उपजकर्ताओं तथा लघु उपजकर्ताओं के समूह (स्वसस,सामूहिक) जो विभिन्न धारणीयता एवं गुणता मानकों हेतु उनके बागानों के लिए प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर उपदान दिया जाता है।

जैविक प्रमाणीकरण के लिए : प्रत्येक उपजकर्ता तथा उपजकर्ताओं के समूह, प्रमाणीकरण मूल्य के 50% के दर पर उपदान के पात्र हैं बशर्ते कि वह प्रति लाभार्थी/समूह के लिए अधिकतम सीमा ₹ 50,000/- है। योजना अवधि के दौरान एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए ₹ 50,000/- का संपूर्ण समर्थन उपलब्ध होगा।

अन्य पर्यावरण प्रमाणीकरण के लिए : क) प्रत्येक उपजकर्ता, प्रमाणीकरण मूल्य के 50% की दर पर उपदान के पात्र है बशर्ते कि केवल एक वर्ष की अवधि के लिए वह अधिकतम ₹ 50,000/- हो। ख) लघु उपजकर्ताओं के समूह.प्रमाणीकरण के 50% की दर पर उपदान के पात्र होगें बशर्ते कि प्रति समूह के लिए यह अधिकतम ₹ 50,000/ हो। योजना अवधि के दौरान एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए ₹ 50,000/- का संपूर्ण समर्थन उपलब्ध होगा।

5. **प्रदूषण उपशमन**

इको-पल्पर्स का संस्थापन या अविशिष्ट उपचार संयत्र (ई.टी.पी' स) के संस्थापन जैसे दो वैकल्पिक गतिविधियों में से किसी एक विकल्प के लिए समर्थन विस्तारित किया गया है ।

पर्यावरण हितैषी क्रियाकलापों को अपनाते हुए एकक लागत के 40% की दर से 10 हे. और उससे अधिक जोतों के निगमित और सहकारिता को सम्मिलित करते हुए उपजकर्ता के सभी श्रेणियों को उपदान दिया जाता है। विभिन्न क्रियाकलापों के लिए निर्धारित एकक लागत जोतों के आकार के अनुसार विभिन्न होती है तथा यह प्रति जोत ₹ 22,000/- से ₹ 15,20,000/- के बीच रहती है।

वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न कार्यों के अधीन भौतिक उपलब्धियाँ निम्नानुसार है:

क्र.सं.	घटक/प्रकार्य	लाभार्थियों/एककों की संख्या	लाभान्वित क्षेत्र (हे.में)
1.	पुनःरोपण/विस्तारण	2,082	3,163
2.	जल प्रवर्धन	4,109	7,390
3.	गुणता प्रोन्नयन	2,198	3,770
4.	प्रदूषण उपशमन	22	427

कॉफ़ी एस्टेट प्रचालनों के यंत्रीकरण हेतु समर्थन

कॉफ़ी उत्पादकता के सुधारण तथा महत्वपूर्ण फार्म प्रचालनों में दक्षता प्राप्त करने हेतु विशेषकर फार्म श्रमिकों की कमी के समय फार्म मशीनरियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कॉफ़ी उपजकर्ताओं को समर्थन देना इस योजना का उद्देश्य है।

विभिन्न आकार के जोतों तथा स्व स स/उपजकर्ता समष्टियों के लिए प्रयोज्य उपदान के मानदंड निम्नानुसार हैं:

जोतों की श्रेणी	उपदान का मानदंड
20 हे. तक के उपजकर्ता	2.00 लाख रूपयों की सीमा के साथ 50%
20 हे. से अधिक के उपजकर्ता	4.50 लाख रूपयों की सीमा के साथ 25%
स्व स स/उपजकर्ता समष्टि	5.00 लाख रूपयों की सीमा के साथ 50%

इस योजना के अधीन 2015-16 के दौरान, 7,539 मशीनरियों के लिए समर्थन दिया गया जिससे 6,876 उपजकर्ता लाभान्वित हुए।

सफेद तना छेदक से संयोधन हेतु कार्ययोजना

नवंबर 2013 से अनावृष्टि तथा उच्च तापमान के कारण सफेद तना छेदक का आक्रमण बढ़ गया और मई 2014 के अंत तक कर्नाटक के प्राय: सभी अरेबिका कॉफ़ी क्षेत्रों में इसका आक्रमण चरम सीमा पर पहुँच गया। मई-जून 2014 के दौरान कर्नाटक के सभी अरेबिका क्षेत्रों में बोर्ड द्वारा आयोजित सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हो गया कि सर्वेक्षित क्षेत्रों में इसके आक्रमण का स्तर 48% से भी अधिक पाया गया (प्रति एकड़ 25 पौधों से अधिक)। वर्ष के दौरान प्रवर्धित वातावरणिक तापमान के साथ दक्षिण-पश्चिम मानसून की अत्यधिक कमी से सफ़ेद तना छेदक के बढने के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त हो गया । कॉफ़ी उपजकर्ता समुदाय से प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर बोर्ड ने, पकडो और मारो, दरार/रिक्त भरण, समुदाय नर्सरी आदि जैसे घटकों से सफेद तना छेदक के आक्रमण से समाधान प्राप्त करने के लिए एक कार्य-योजना बनाई है तथा इसे अनुमोदन हेतु वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया है।

भारत सरकार ने अगस्त 2014 के दौरान कॉफ़ी के क्षेत्र में सफेद तना छेदक से लडने के लिए कार्य-योजना के अधीन समूह नर्सरी तथा रिक्ति भरने हेतु कॉफ़ी बोर्ड के प्रस्ताव की स्वीकृति से अवगत कराया। प्रस्तावित कार्यक्रम दो वर्ष की अवधि के लिए है। अत: बोर्ड ने उपरोक्त कार्ययोजना को प्रभावी रुप से कार्यान्वित करने की योजना बनाई है। इस कार्यक्रम का विवरण निम्न प्रकार है:

समूह नर्सरी

सफेद तना छेदक प्रभावित क्षेत्रों में रिक्ति भरने का कार्यक्रम प्रभावी रुप से क्रियान्वित करने के लिए समुदाय कॉफ़ी नर्सरियाँ सृजित करने तथा स्व स स के निर्धारण द्वारा सदस्यों एवं उपजकर्ताओं को आवश्यकतानुसार पौधा वितरित करने के लिए कर्नाटक तथा तमिलनाडू राज्यों के विभिन्न अरेबिका उपजानेवाले क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों की पहचान की जाती है। प्रति पौद का प्रयोजित एकक मूल्य ₹ 5/- था। उपदान मापक, एकक मूल्य का 50% है अर्थात् प्रति पौद ₹ 2.50 है।

रिक्ति भरण

सफेद तना छेदक के आक्रमण से उत्पन्न संत्रास के कारण कॉफ़ी उपजकर्ताओं को हुई समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष प्रावधान के रुप में, परंपरागत क्षेत्रों में रोपण सीज़न 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भरे गए पौधांतर/रिक्तियों के लिए वित्तीय समर्थन दिए गए। निगम एवं सहकारिता से संबद्ध सभी श्रेणियों के उपजकर्ता यह समर्थन पाने के लिए पात्र हैं। उपदान का मानदंड संबंधित एस्टेट में भरे गए पौधांतर/रिक्तियों की कुल संख्या (बशर्ते कि संबंधित ब्लॉक की रिक्ति न्यूनतम 25% हो) के आधार पर है तथा परंपरागत क्षेत्र के लिए घटक विकास समर्थन के अधीन XII वीं योजना के पुनर्रोपण उप-घटक के मानकों के अनुसार उपदान का परिकलन किया जाएगा।

वर्ष के दौरान, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के उपजकर्ताओं को पौधांतर/रिक्ति भरण के लिए सहायिकी दर पर क्रमश: 34,34,405 व 10,00,000 पौद वितरित किए गए।

अंकरुपण

कॉफ़ी शेयरधारकों के अधिकतम उपदान भुगतान को सम्मिलित करते हुए XII वीं योजना की "एकीकृत कॉफ़ी विकास परियोजना" का पूर्णत: अंकरूपण करने के बाद कॉफ़ी बोर्ड की वेबसाइट में डाला गया है।

सॉफ़्टवेर मोड्यूल के अधीन निम्न घटक समनुयोजित हैं:

क) यंत्रीकरण

ख) पुनर्रोपण

ग) विस्तारण

घ) जल प्रवर्धन

ङ) गुणता प्रोन्नयन

च) प्रदूषण उपशमन

इसका परीक्षण अंतिम चरण पर हैं तथा शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा।

ख. गैर-परंपरागत क्षेत्र (एन टी ए) - (आंध्र प्रदेश एवं उडिशा)

आंध्र प्रदेश (एपी) एवं ओडिशा राज्यों में कॉफ़ी कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्रों के विनिर्धारण के लिए 1950 के प्रारंभिक वर्षों में कॉफ़ी बोर्ड ने एक तकनीकी-साध्यता सर्वेक्षण आयोजित किया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर, आंध्र प्रदेश के वन विभाग ने 1961 में विशाखपट्टनम के एजेंसी क्षेत्रों में प्रथम बार वाणिज्यिक कॉफ़ी की कृषि प्रारंभ की

थी । बाद में, इन बागानों के समुचित अनुरक्षण हेतु आंध्र प्रदेश वन विकास निगम लि.(ए पी एफ डी सी) को सौंप दिया गया। 1976 में, एकीकृत जनजाति विकास अभिकरण (आई टी डी ए) ने "पोडू" या अंतरण कृषि की प्रथा समाप्त करने के लिए वहाँ के जनजातीय समूह के विकास की पहल के रुप में कॉफ़ी कृषि की शुरुआत की। गैर-पारंपरिक क्षेत्र में कॉफ़ी फार्मिंग की संभाव्यता समझते हुए, कॉफ़ी बोर्ड ने IX वीं पंचवर्षीय योजना से ही आंध्र प्रदेश तथा उडिशा में कॉफ़ी विकास के लिए अपना समर्थन प्रदान किया था।

गैर-परंपरागत क्षेत्र में वितरण

आंध्र प्रदेश तथा उडिशा में कॉफ़ी के अधीन क्षेत्र एवं जोतों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

संपर्क क्षेत्र	रोपित क्षेत्र (हे)			फलन क्षेत्र (हे)			जोतों की संख्या		
आंध्र प्रदेश	अरेबिका	रोबस्टा	कुल	अरेबिका	रोबस्टा	कुल	< 10 हे	> 10 हे	कुल
मिनुमुलूरू	29423.23	0.52	**29423.75**	24177.43	0.52	**24177.95**	**77014**	1	**77015**
चिंतापल्ली (पू)	11401.58	181.4	**11582.98**	8862.23	181.4	**9043.63**	**23411**	2	**23413**
चिंतापल्ली (प)	15636.33	85.29	**15721.62**	12757.49	85.29	**12842.78**	**27110**	2	**27112**
अरकुवैली	10627.6	0	**10627.6**	8979.6	0	**8979.6**	**26344**	1	**26345**
कुल	**67088.74**	**267.21**	**67355.95**	54776.75	267.21	55043.96	153879	6	153885
उडिशा	4191.13	0	**4191.13**	3605.79	0	**3605.79**	3905	20	**3925**
महायोग	**71279.87**	**267.21**	**71547.08**	**58382.54**	**267.21**	**58649.75**	**157784**	**26**	**157810**

मौसम परिस्थिति तथा फसल उत्पादन

2015-16 सीज़न के दौरान आंध्र प्रदेश में मौसम कॉफ़ी के विकास के लिए संतोषजनक तथा अनुकूल रहा है। अप्रैल 2015 के दौरान पुष्पण फुहार प्राप्त हुई तथा उसके बाद मई 2015 के दौरान समर्थन फुहारें भी हुई, जिससे संतोषजनक पुष्पण एवं फलों की सेटिंग हुई। जून 2015 में मानसून सेट हुआ और यह काफी सक्रिय रहा। संपूर्ण सीज़न के दौरान संतोषजनक मृदा नमी स्तर बनाए रखने के लिए संतोषजनक वर्षापात का वितरण प्राप्त हुआ था।

2015-16 सीजन के दौरान उडिशा में भी कॉफ़ी के विकास के लिए मौसम संतोषजनक एवं अनुकूल था। उडिशा के अधिकांश कॉफ़ी उपजाने वाले क्षेत्रों में अप्रैल 2015 के दौरान पुष्पण फुहार प्राप्त हुई। संपूर्ण क्षेत्र में कॉफ़ी पुष्पण सामान्य रहा तथा फसल सेटिंग भी सशक्त हुई है। जून 2015 कई दौरान मानसून सेट हुआ तथा पूरे सीजन में वर्षापात का वितरण संतोषजनक रहा था।

संपूर्ण परिस्थिति तथा फसल प्राप्ति पर विचार करें तो 2015-16 सीजन के दौरान गैर-परंपरागत क्षेत्र से संबंधित कॉफ़ी का अंतिम प्राक्कलन 9,800 मे.टन था जिसमें 9,750 मे.टन अरेबिका तथा 50 मे.टन रोबस्टा सम्मिलित हैं।

नाशिकीट एवं रोग

वर्ष 2015-16 के दौरान नाशिकीट एवं रोग के किसी महत्वपूर्ण प्रकोप की रिपोर्ट नहीं की गई है। कावेरी (एस एल एन 12), एस एल एन7, एस एल एन 4 (ए), एस एल एन

4(टी) जैसे किट्ट संवेदी श्रेणियों में आंशिक पतझड तथा टहनियों के नाश की घटनाएँ पाई गई हैं। उडिशा में, कावेरी जैसे संवेदी श्रेणी में मध्यम स्तरीय पत्ती किट्ट आक्रमण पाया गया है।

कॉफ़ी बीज का वितरण

वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार के अरेबिका तथा रोबस्टा के 8006.50 कि.ग्रा. कॉफ़ी बीज संकलित करने के बाद आंध्र प्रदेश एवं उडिशा के जनजातीय कॉफ़ी उपजकर्ता और अन्य एजेंसियों को वितरित किया।

विस्तारण गतिविधियाँ

आंध्र प्रदेश तथा उडिशा के विस्तारण कार्मिकों द्वारा क्रियान्वित विस्तारण गतिविधियाँ जनजातीय क्षेत्र की कॉफ़ी के उत्पादन, उत्पादकता एवं गुणता में सुधारण के लिए आवश्यक संपर्क एवं कॉफ़ी जोतों के अनुवर्ती दौरों के माध्यम से प्रौद्योगिकी का अंतरण, क्षेत्र निदर्शन व्याख्यानों का आयोजन, सामूहिक विचार विमर्श, सलाहकारी पत्र निर्मोचन आदि कार्यों पर केंद्रित थीं।

वर्ष 2015-16 के दौरान गैर-परंपरागत क्षेत्र में क्रियान्वित विभिन्न विस्तारण गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	गतिविधियाँ	उपलब्धियां (सं)
1	एस्टेट दौरा (सं)	3,322
2	क्षेत्र निदर्शन (सं)	1,394
3	संबोधित सामूहिक बैठकें (सं)	248
4	परंपरागत कॉफ़ी उपजाने वाले क्षेत्रों में अध्ययन दौरा (सं)	36
5	गुणता जागरुकता अभियान (सं)	484

प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केंद्र (टी ई सी)

गैर-परंपरागत क्षेत्र में दो प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केंद्र कार्यरत हैं, एक मिनुमुल्लूरू (आंध्र प्रदेश) तथा दूसरा कोरापुट(उडिशा) में है। ये फार्म कॉफ़ी बीज के उत्पादन केंद्रों के अलावा निदर्शन-सह प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

मिनी कॉफ़ी क्यूरिंग वर्क्स

2004-05 के दौरान आंध्र प्रदेश के चिंतापल्ली में स्थापित मिनी कॉफ़ी क्यूरिंग वर्क्स ने आंध्र प्रदेश के जन जातीय उपजकर्ताओं के लिए का असंस्कृत कॉफ़ी के संसाधन का कार्य जारी रखा ।

गैर- परंपरागत क्षेत्र में कॉफ़ी का विकास कार्यक्रम

वर्ष 2015-16 के लिए गैर-परंपरागत क्षेत्र में कार्यान्वित विभिन्न उपदान उप-घटकों के अधीन भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है :

गतिविधियाँ	क्षेत्र/एकक
कॉफ़ी विस्तारण/समेकन (क्षेत्र हे.में) (आ.प्र4,400.00हे.+ओडिशा49.44हे.)	4,449.44
गुणता प्रोन्नयन	
क) ड्राइंग यार्ड (एककों की सं.) (आ.प्र 1,552 + ओडिशा 70 एकक)	1,602
ख) बेबी पल्पर्स (एककों की सं.) (आ.प्र 927 + ओडिशा 10)	937

ग. पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन ई आर)

वर्ष 1953 में असम के कचर जिले में कॉफ़ी कृषि का आरंभ किया गया। प्रारंभ में कॉफ़ी विस्तारण कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के निगमों/विभागों द्वारा किया गया था। चूँकि कॉफ़ी कृषि प्रोत्सहजनक पाया गया तो कॉफ़ी बोर्ड ने 1982-1990 के दौरान एक विस्तृत सर्वेक्षण आयोजित किया तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में कॉफ़ी कृषि हेतु उपयुक्त क्षेत्रों का विनिर्धारण किया।

इसके बाद, IX वीं योजना की अवधि (1997-2002) से पूर्वोत्तर क्षेत्र के कॉफ़ी विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन सीधे बोर्ड से जुड़ गया।

पूर्वोत्तर राज्यों में कॉफ़ी के अधीन क्षेत्र तथा जोतों की संख्या संबंधी विवरण निम्नानुसार है :

वितरण क्षेत्र

क्र. सं.	संपर्क क्षेत्र/ राज्य	रोपित क्षेत्र (हे)			फलन क्षेत्र (हे)			जोतों की संख्या		
		अरेबिका	रोबस्टा	कुल	अरेबिका	रोबस्टा	कुल	< 10 हे	> 10 हे	कुल
1	अरूणाचल प्रदेश	13.00	240.40	**253.40**	0.00	153.50	**153.50**	226	2	228
2	असम	726.62	392.17	**1,118.79**	387.75	318.72	**706.47**	1,226	3	1,229
3	मणिपुर	231.85	7.00	**238.85**	22.00	0.00	**22.00**	231	0	231
4	मेघालय	408.79	500.89	**909.68**	281.65	257.85	**539.50**	1,496	0	1,496
5	मिजोरम	2,196.06	3.50	**2,199.56**	667.65	3.50	**671.15**	4,013	3	4,016
6	नागालैंड	1,637.55	212.50	**1,850.05**	600.00	50.00	**650.00**	1,601	1	1,602
7	त्रिपुरा	381.25	66.90	**448.15**	204.00	49.00	**253.00**	868	0	868
	कुल	**5,595.12**	**1,423.36**	**7,018.48**	**2,163.05**	**832.57**	**2,995.62**	**9,661**	**9**	**9,670**

मौसम परिस्थिति एवं फसल उत्पादन

पूर्वोत्तर राज्यों में सामान्य मौसम अधिकतर अपनी विशेषताओं के साथ उष्णकटिबंधीय एवं उप- उष्णकटिबंधीय थी जिसमें लंबे दिन, उन्नत वर्षापात, दैनिक तापमान परिवर्तन इत्यादि अनुभूत होता है। तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफ़ी कृषि में वर्षा का सीमित प्रभाव ही पडता है।

नाशिकीट तथा रोग

सामान्यतः कुछ स्थानों में सफेद तना छेदक एवं पत्ती किट्ट के हल्के आक्रमण को छोडें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के कॉफ़ी एस्टेटों में किसी भी नाशिकीट एवं रोग का अधिक प्रकोप नहीं पाया गया।

विस्तारण गतिविधियाँ

क्र सं	गतिविधियाँ	उपलब्धियां (सं. में)
1	एस्टेट दौरा (सं)	2,707
2	क्षेत्र निदर्शन (सं)	1,385
3	संबोधित सामूहिक बैठकें (सं)	234
4	गुणता जागरुकता अभियान	73

प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केंद्र (टी ई सी)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में चार प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केन्द्र कार्यरत हैं। ये दिओमाली (अरूणाचल प्रदेश), हफलांग (एन सी हिल्स, असम), बुआलपुई (मिजोरम), तुलाकोना (अगरतला, त्रिपुरा) में स्थित हैं। टी ई सी, बुआलपुई, मिजोरम, कॉफ़ी बीज के उत्पादन केंद्र के साथ-साथ

निदर्शन-सह प्रशिक्षण केंद्र के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफ़ी विकास कार्यक्रम के अधीन समर्थन

वर्ष के दौरान, कॉफ़ी के उत्पादन एवं गुणता के सुधारण के समग्र उद्देश्य से बोर्ड ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफ़ी विकास कार्यक्रम के अधीन कॉफ़ी विस्तारण, समेकन एवं गुणता प्रोन्नयन जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की । वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रदत्त समर्थन संबंधी भौतिक उपलब्धि का विवरण नीचे दिया गया है :

गतिविधियाँ	क्षेत्र/एकक
कॉफ़ी विस्तारण (हे.में)	405.24
कॉफ़ी का समेकन (हे.में)	81.2
गुणता प्रोन्नयन	
क) पल्पर्स (एककों की संख्या)	-
ख) ड्राइंग यार्ड (एककों की संख्या)	66
ग) जल प्रवर्धन (एककों की संख्या)	38

उपरोक्त गतिविधियों के लिए प्रदत्त वित्तीय समर्थन के अलावा, कॉफ़ी विस्तारण एवं समेकन कार्यों को सहायता प्रदान करने के लिए समूह नर्सरियों के द्वारा कॉफ़ी पौदों तथा छाया वृक्ष के पौदों को उगाकर वितरित करने के लिए भी बोर्ड ने समर्थन दिया।

बोर्ड ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में उत्पादित कॉफ़ी से संबंधित जनजातीय उपजकर्ताओं से असंस्कृत कॉफ़ी का संग्रहण, संसाधन, परिवहन एवं निपटान आदि की लागत संबंधी वित्तीय समर्थन जारी रखा है।

मिनी कॉफ़ी क्यूरिंग वर्क्स

बोर्ड द्वारा बुआलपुई में स्थापित मिनी कॉफ़ी क्यूरिंग वर्क्स में मिजोरम तथा त्रिपुरा के उपजकर्ताओं द्वारा पूल की गई असंस्कृत कॉफ़ी का संसाधन कार्य किया जा रहा है ।

घ. शेयरधारकों के लिए क्षमता निर्धारण

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, कॉफ़ी उद्योग के शेयरधारकों के क्षमता निर्धारण के एक भाग के रूप में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:

- भारतीय बागान प्रबंधन संस्थान, बेंगलूरु के सहयोग से देश के विभिन्न कॉफ़ी उपजाने वाले क्षेत्रों के 148 कॉफ़ी उपजकर्ताओं के लिए 7 संपर्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन संपर्क कार्यक्रमों के अधीन समनुयोजित प्रमुख विषय ये हैं: (i) उभरते हुए कॉफ़ी बाज़ार: कॉफ़ी उपजकर्ताओं/एस एच जी के लिए कार्यनीतियाँ (ii) कनिष्ठ संपर्क अधिकारियों के लिए विस्तारण प्रबंधन के लिए सहभागिता दृष्टिकोण तथा (iii) उपजकर्ताओं/एस एच जी/संसाधकों के लिए लाभ एवं धारणीयता हेतु प्रमाणित कॉफ़ी।

- भारतीय बागान प्रबन्धन संस्थान, बेंगलूरु द्वारा (i) सी सी आर आई के वैज्ञानिकों के लिए कॉफ़ी आर डी हेतु अनुप्रयुक्त सांख्यकी तथा (ii) विस्तारण प्रशिक्षण: नविनीकरण के प्रसार के लिए विषय पर कॉफ़ी बोर्ड के 42 कार्मिकों के लिए दो अल्पकालीन कार्यपालक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

- कॉफ़ी बोर्ड के प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केंद्रों में 5913 कॉफ़ी उपजकर्ताओं, एस्टेट कामगारों तथा पर्यवेक्षकीय स्टाफ के लाभ हेतु कॉफ़ी कृषि की विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्धारण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- कृषि विश्वविद्यालय/आई सी ए आर के कृषि विज्ञान केन्द्र के सहयोग से 901 महिला उपजकर्ता/ कामगारों के लाभ हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- कापी शास्त्र के तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कॉफ़ी रोस्टिंग, ग्राइडिंग एवं फुटकर विक्रय पर चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनसे क्रमश: 53 तथा 91 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।

ङ) कार्य पूँजी ऋणों पर कॉफ़ी उपजकर्ताओं को ब्याज उपदान

कॉफ़ी की विकास समर्थन योजना के एक भाग के रुप में, बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों पर किसी वाणिज्यक बैंक, आर.आर.बी एवं सहकारी बैंकों से फसल ऋण लेने हेतु 20 हे. तक के बागानों के स्वामित्व वाले उपजकर्ताओं को 5% तक सीमित समरूपी दर पर ब्याज उपदान दिया :

(i) प्रति अरेबिका कॉफ़ी उपजकर्ता को ₹80,000/- तथा प्रति रोबस्टा कॉफ़ी उपजकर्ता को ₹60,000/- की सीमा तक परिसीमित ब्याज उपदान दिया जाएगा।

(ii) ब्याज उपदान की स्वीकृति के बाद, ब्याज दर 4% से कम नहीं होनी चाहिए।

वर्ष के दौरान, 1,102 उपजकर्ताओं को ₹ 136 लाख तक के ब्याज उपदान का लाभ प्राप्त हुआ।

****

अध्याय VI

बाज़ार विकास तथा संसाधन हेतु समर्थन

एक सशक्त एवं धारणीय स्वदेशी कॉफ़ी बाज़ार में स्वदेशी कॉफ़ी के उपभोग के संवर्धन तथा निम्न अंतरराष्ट्रीय मूल्यों की अवधियों में उपजकर्ताओं, विशेषतया लघु उपजकर्ताओं को अच्छा लाभ प्रदान करवाने की दृष्टि से और मूल्य संवर्धन के लिए अवसर प्रदान करने हेतु भारत सरकार ने निम्नलिखित दो घटकों को अनुमोदित किया है :

क. बाज़ार विकास

ख. मूल्य संवर्धन हेतु समर्थन

क. बाज़ार विकास

इस घटक के तीन उप-घटक हैं- यथा

(i) बाज़ार अनुसंधान एवं आसूचना (ii) स्वदेशी कॉफ़ी प्रोन्नयन एवं (iii) लघु उपजकर्ता समूह/स्व.स.स/कॉफ़ी विपणन हेतु सहकारी समितियों को समर्थन

(i) बाज़ार अनुसंधान तथा आसूचना

यह घटक उपजकर्ताओं को वेब के द्वारा बाज़ार प्रवृत्ति का विश्लेषण संकलन तथा बोर्ड के विस्तरण नेटवर्क के द्वारा इस विश्लेषण का मूल्यांकन करने पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि उपजकर्ता बाज़ार से अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकें। बाज़ार आसूचना एकक द्वारा किए गए कार्यों में वार्षिक फसल का प्राक्कलन करते हुए आपूर्ति प्राक्कलन, बाज़ार विश्लेषण, कॉफ़ी पर डेटा बेस का अनुरक्षण, स्वदेशी सूचकांक मूल्य रिपोर्ट, स्वदेशी उपभोग और मनोवृत्ति सर्वेक्षण एवं साथ ही आवधिक अनुसंधान रिपोर्ट प्रस्तुत करना भी सम्मिलित है।

(ii) स्वदेशी प्रोन्नयन

कॉफ़ी बोर्ड के प्रोन्नयन विभाग वर्ष 2015-16 के दौरान भी बाह्य/आंतरिक कार्यक्रमों में सहभागिता, चयनित मुद्रण माध्यम के द्वारा भारतीय कॉफ़ी का प्रचार-प्रसार, तथा भारत के विभिन्न स्थानों पर स्थित प्रोन्नयन एककों के द्वारा कॉफ़ी प्रोन्नयन के क्रियाकलापों को जारी रखा है।

स्वदेशी प्रोन्नयन गतिविधियाँ

बोर्ड नियमित रूप से देश के विभिन्न भागों में आयोजित स्वदेशी प्रदर्शनियों में भाग लेते हुए प्रदर्शक सामग्रियों के द्वारा कॉफ़ी की विभिन्न श्रेणियों का प्रदर्शन एवं जनसाधारण में कॉफ़ी सेवन के लाभ के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करता है। कॉफ़ी बोर्ड कॉफ़ी के क्षेत्र में सृजित कैरियर के अवसरों से भी आम जनता को जागरूक कराता है।

सावधिक अध्ययनों के द्वारा स्वदेशी कॉफ़ी उपभोग की माँग तथा प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है जो विपणन कार्यनीति की रुपरेखा तैयार करने के लिए हमें उपयोगी इनपुट प्रदान करता है तथा बोर्ड इसके आधार पर ऐसे क्षेत्रों को विनिर्धारित करते हुए प्रदर्शनियों में भाग लेता है। वर्ष 2015-16 के दौरान बोर्ड ने कॉफ़ी सेवन के प्रोन्नयन के लिए उत्तर,पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण भारत जैसे संभाव्य क्षेत्रों के निर्धारण के बाद 44 प्रतिष्ठित प्रदर्शनियों में भाग लिया।

2015-16 के दौरान स्वदेशी कार्यक्रमों में बोर्ड की सहभागिता का विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	कार्यक्रमों का नाम व स्थान	कार्यक्रम की तिथि
1	निम्हान्स,बेंगलूरु में इंस्टेंट खाद्य एक्स्पो	10-12 अप्रैल 2015
2	वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी, ऊटी	15-17 मई 2015
3	पूर्वोत्तर शिखर सम्मेलन 2015, गुवाहाटी	26-27 मई 2015
4	अतिथि-सत्कार संसार 2015, बेंगलूर, कर्नाटक	11-13 जून 2015
5	अग्रिलिन्टेक्स एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला कोडीशिया- कोयंबत्तूर, तमिलनाडु	17-20 जुलाई 2015
6	11 वाँ आहार टेक एक्स्पो 2015, नई दिल्ली	29-31 जुलाई 2015
7	बनारस अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला-2015, वारणासी	16-13 अगस्त 2015
8	आहार- अंतरराष्ट्रीय फुड एवं अतिथि-सत्कार मेला, के टी पी ओ परिसर, ई पी आई पी पार्क, बेंगलूरू	18-20 आगस्त 2015
9	14 वाँ फ़ूड टेक इंडिया एक्स्पो 2015, कोलकाता	21-23 आगस्त 2015
10	7 वाँ फ़ूडेक्स 2015, बी आई ई सी, बेंगलूर	21-23 आगस्त 2015
11	भारतीय अतिथि-सत्कार व एफ बी प्रो एक्स्पो, पनजी, गोवा	25-27 अगस्त 2015
12	पी ए टी ए ट्रेवल मार्ट 2015, बेंगलूर	06-08 सितम्बर 2015
13	अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फुड 2015, मुंबई	14-16 सितम्बर 2015
14	122 वाँ यू पी ए एस आई 2015, कूनूर, तमिलनाडु	23-24 सितंबर 2015
15	कापी शास्त्र 2015, चित्रकला परिषद, बेंगलूर	25-27 सितंबर 2015
16	चौथा विज्ञान एक्स्पो 2015, दामन व दिऊ	28-30 सितंबर 2015
17	अंतरराष्ट्रीय कॉफ़ी फ़ेस्टीवल, 1 अक्तूबर 2015	01 अक्तूबर 2015
18	वर्ल्ड टी व कॉफ़ी, गुडगाँव, मुंबई	01 - 03 अक्तूबर 2015
19	स्वाश्रय भारत, कालीकट, केरल	15 - 21 अक्तूबर 2015
20	बेस्ट ऑफ़ इंडो-पाक, देहरादून, उत्तरप्रदेश	17 - 22 अक्तूबर 2015
21	जीवंत भारत एन एन एस मेरी दिल्ली उत्सव, नई दिल्ली	31 अक्तूबर से 02 नवंबर 2015 तक
22	गुज फ़ूड 2015, अहमदाबाद, गुजरात	30 अक्तूबर से 02 नवंबर 2015 तक
23	ग्लोबल अग्री कनेक्ट -2015, नई दिल्ली	02 - 03 नवंबर 2015
24	बयो फ़ैक इंडिया 2015, कोचीन, केरल	05 - 07 नवंबर 2015
25	सी आई आई एस चंडीगड मेला, चंडीगड	06 - 09 नवंबर 2015
26	आई आई टी एफ़- आई टी पी ओ कार्यक्रम, नई दिल्ली	14 - 27 नवंबर 2015
27	कृषि मेला, बेंगलूरु, कर्नाटक	19-22 नवंबर 2015
28	इंन्फ़ोकॉम 2015, कोलकोत्ता, पश्चिम बंगाल	03-05 दिसंबर 2015

क्र.सं.	कार्यक्रमों का नाम व स्थान	कार्यक्रम की तिथि
29	अप्पर क्रस्ट फ़ूड शो, मुंबई	04-06 दिसंबर 2015
30	पीएचडी इंटेक्स 2015, अमृतसर	04-07 दिसंबर 2015
31	7 वाँ हिमालयन एक्स्पो, सिलिगुडी, पश्चिम बंगाल	05-13 दिसंबर 2015
32	अन्नम- राष्ट्रीय जैवविविधता एक्स्पो, कोचीन	10-14 दिसंबर 2015
33	क्रेता सुरक्षा मेला, कोलकोत्ता, पश्चिम बंगाल	11-13 दिसंबर 2015
34	राष्ट्रीय जोखिम प्रबंधन कनवेंशन, बेंगलूरु	18 दिसंबर 2015
35	8 वाँ ऑनाट्टुकरा फ़ेस्टिवल, केरल	19-23 दिसंबर 2015
36	तीसरा आहार व स्वास्थ्य एक्स्पो, भोपाल, मध्यप्रदेश	29-31 दिसंबर 2015
37	101 वाँ भारतीय विज्ञान काँग्रेस, मैसूरु	06-08 जनवरी 2016
38	तीसरा असम अंतरराष्ट्रीय अग्री-होर्टी शॉ, गुवाहाटी, असम	06-09 जनवरी 2016
39	विंटेज कार रैली 2015, कोलकोत्ता, पश्चिम बंगाल	11 जनवरी 2016
40	आई सी सी एफ़, 2016, मुंबई	19-23 जनवरी 2016
41	इनवेस्ट कर्नाटक, बेंगलूरु	02-05 फ़रवरी 2016
42	कर्नाटक उत्सव, कोलकोत्ता	12-14 फ़रवरी 2016
43	कर्नाटक हब्बा, बेंगलूरु	26-28 फ़रवरी 2016
44	आहार- आई टी पी ओ, नई दिल्ली	15-19 मार्च 2016

माध्यम कार्यनीति

कॉफ़ी सेवन के बारे में जागरुकता के द्वारा ही कॉफ़ी का उपभोग बढ़ाया जा सकता है तथा इसे टी.वी. परिचर्चा, पुस्तिका, जर्नल्स जैसे मुद्रण माध्यम अभियान, जैसे सामूहिक माध्यमों के सामान्य सामूहिक अभियान से ही कार्यान्वित किया जा सकता है तथा कॉफ़ी सेवन के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इन अभियानों का प्रभावी प्रयोग किया जा रहा है। कॉफ़ी के क्षेत्र में कैरियर सृजन के लिए युवा पीढी का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोर्ड ने विज्ञापन भी प्रकाशित किए हैं जिससे कप्पर, रोस्टर या बैरिस्ता से अधिकतम अवसर प्राप्त हो जाएँगे तथा सामान्य उपभोक्ता को कॉफ़ी की सकारात्मक पहलुओं के ज्ञान प्रदान करने के अलावा प्रतिष्ठित पत्रिकाओं द्वारा ऑक्सीकरण प्रतिरोधी, टाइप 2 डायबेटीज़ तथा अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी सन्देशों भी प्रदान किए जाते हैं।

स्वदेशी प्रोन्नयन के भाग के रूप में कॉफ़ी बोर्ड ने अप्रैल 2015 के दौरान जे एन यू परिसर, नई दिल्ली में इंडिया कॉफ़ी हाउस का एक आउटलेट खोला है जिससे इस लब्धप्रतिष्ठित संस्था के प्राचार्यों तथा विद्यार्थियों में कॉफ़ी सेवन की आदत उत्पन्न हो जाएगी तथा गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में कॉफ़ी प्रोन्नयन का अवसर प्राप्त होगा।

अंतरराष्ट्रीय कॉफ़ी फ़ेस्टिवल 2016 (आई आई सी एफ़ 2016)

अंतरराष्ट्रीय कॉफ़ी फ़ेस्टिवल का छठा संस्करण **अंतरराष्ट्रीय कॉफ़ी फ़ेस्टिवल** -2016, 23 जनवरी 2016 को मुंबई में आयोजित किया गया जो विश्व धरातल पर भारतीय कॉफ़ी

की बढती लोकप्रियता का सशक्त प्रमाण था। अंतरराष्ट्रीय कॉफ़ी फ़ेस्टिवल के छठे संस्करण के आयोजन के बाद हम आत्मबल के साथ यह कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य सफल हो रहा है। फ़ेस्टिवल के दौरान देश व विदेश से 3,500 व्यापारी आगंतुकों तथा 270 से अधिक कॉफ़ी शौकीन के पदार्पण हुए। 45 से अधिक कॉफ़ी प्रदर्शकों ने कॉफ़ी क्षेत्र के सर्वोत्तम तथा अत्याधुनिक कॉफ़ी प्रदर्शित की। यक कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 477 से अधिक प्रतिनिधि, 44 राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता तथा क्षमता निर्धारण कार्यशालाओं में 70 उत्साही प्रतिभागियों की सहभागिता के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समाप्त हुआ। कॉफ़ी बोर्ड के समर्थन के साथ भारतीय कॉफ़ी न्यास ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। कॉफ़ी बोर्ड ने कार्यक्रम के दौरान फ़्लैवर ऑफ़ इंडिया फ़ाइन कप पुरस्कार तथा 2014-15 के निर्यात पुरस्कार वितरित किए तथा नई कॉफ़ी टेबल बुक ''कॉफ़ी ब्रेक'' का विमोचन भी किया।

मेक्सिको के स्वतंत्र कॉफ़ी पत्रकार मज़ा वेल्लेंग्रन ने कॉफ़ी बोर्ड तथा कॉफ़ी बागनों का दौरा किया। उन्होंने चाय व कॉफ़ी व्यापार पत्रिका के साथ-साथ वैश्विक कॉफ़ी रिपोर्ट में भारतीय कॉफ़ी के बारे में 4 लेख लिखे। भारतीय कॉफ़ी के प्रोन्नयन की अंतरराष्ट्रीय यात्रा बहुत लंबी दूरी पार कर चुकी है।

गुणता नियंत्रण प्रभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

2015-16 के दौरान, कॉफ़ी बोर्ड ने बैरिस्ता कुशलता (एस्प्रेस्सो ब्रूइंग तकनीक) पर अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कापी शास्त्र प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया तथा कॉफ़ी क्षेत्र के उद्यमों के विकास के लिए सी आई ई-आई आई पी एम ले सहयोग से विस्तारित कार्यक्रमों का आयोजन भी किया ।

बैरिस्ता कुशलता (एस्प्रेस्सो कॉफ़ी ब्रूइंग तकनीक) पर अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	स्थान	विवरण	सहभागियों की सं.
1	मुख्य कार्यालय, बेंगलूरू	20 से 24 अप्रैल 2015 तक पाँच दिवस	14
		कुल	**14**

कापी शास्त्र प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	स्थान	विवरण	सहभागियों की सं.
1	मुख्य कार्यालय, बेंगलूरु	20 से 24 जुलाई 2015 तक पाँच दिवस	15
2	मुख्य कार्यालय, बेंगलूरु	10 से 14 अगस्त 2015 तक पाँच दिवस	11
3	मुख्य कार्यालय, बेंगलूरु	07 से 11 सितंबर 2015 तक पाँच दिवस	27
		कुल	**53**

बाह्य सी आई ई प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	स्थान	विवरण	सहभागियों की सं.
1	एम पी ई डी ए हाउस, पनम्पल्लि एवेन्यू, पनम्पल्लि नगर, कोचीन	06 से 08 जुलाई 2015 तक आई आई पी एम द्वारा 3 दिवसीय स्टेप प्रशिक्षण कार्यक्रम	14
2	एम एस एम ई विकास संस्था, भारत सरकार, एम एस एम ई मंत्रालय, रामनगर, कोयम्बत्तूर	28 सितंबर से 01 अक्तूबर 2015 तक आई आई पी एम द्वारा 3 दिवसीय स्टेप प्रशिक्षण कार्यक्रम	19
3	उद्यमी विकास कार्षिक कॉलेज परिसर-महाराष्ट्र केंद्र, शिवाजी नगर, पुणे	19 से 21 नवंबर 2015 तक आई आई पी एम द्वारा 3 दिवसीय स्टेप प्रशिक्षण कार्यक्रम	11
4	मुख्य कार्यालय, बेंगलूरु		33
क)	होटल अतिथि, साँताक्रुज़ हवाई अड्डे के पास, नेहरू रोड, विले पार्ले, मुंबई	08 जनवरी 2016	
ख)	थि एकर्स बैंक्वेस्ट, हेमुकलानी मार्ग, चेंबूर, मुंबई	09 जनवरी 2016	
ग)	होटल कृष्णा पेलस, स्लीटर रोड, नाना चौक, मुंबई	10 जनवरी 2016	
		कुल	**77**

(iii) कॉफ़ी विपणन के लिए लघु उपजकर्तासम ष्टियों/स्व स स/सहकारी समितियों को समर्थन

कॉफ़ी बोर्ड ने समुदाय आधारित पद्धति द्वारा उत्पादित कॉफ़ी के विपणन के लिए समुचित वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए लघु एवं अतिलघु उपजकर्ताओं की उपजकर्ता समष्टियों/स्वयं सहायता समूहों/सहकारी समितियों के लिए XII योजना में एक नए उप-घटक का प्रारंभ किया है। यह न केवल कॉफ़ी की गुणता सुधारता है बल्कि उनके द्वारा उत्पादित तथा विपणित कॉफ़ी के लिए उत्तम मूल्य भी प्रदान करता है। यह योजना गुनता प्रोन्नयन के साथ-साथ समष्टिक मोल-भाव दोनों से उत्पन्न समूह के लिए उत्तम मूल्य प्राप्ति हेतु एक निश्चित प्रक्रिया प्रदान करता है।

इस घटक के अंतर्गत भारतीय कॉफ़ी व्यापार संघ (आई सी टी ए) या प्रत्यक्ष निर्यात या मान्यता प्राप्त वस्तु विनिमय जैसे लोक नीलामी मंच के द्वारा कॉफ़ी विपणन किया जाना चाहिए, जहाँ कॉफ़ी का भौतिक वितरण होता है वहँ से बाद में प्रतिपूर्ति के लिए बोर्ड के पास दावा प्रस्तुत की जाती है। कॉफ़ी बोर्ड द्वारा विपणित स्वच्छ कॉफ़ी के लिए ₹ 4.00 प्रति कि.ग्रा.की दर से उपदान प्रदान किया जाएगा।

ख) मूल्य संवर्धन हेतु समर्थन

मूल्य संवर्धन की दिशा में एक कदम

विश्व कॉफ़ी श्रृंखला में अर्थ व्यवस्था का 40% कॉफ़ी उत्पदाक देशों के लिए है जबकि शेष 60% का अधिग्रहण उपभोक्ता देश कर लेते हैं। विगत कई वर्षों से उत्पादक देशों ने अंतस्थ उत्पाद के रुप में कॉफ़ी के प्रसंस्करण, विनिर्माण तथा विपणन का स्तर सुधारा है। कॉफ़ी मूल्य श्रृंखला एवं बाज़ार के निरंतर विकास के लिए रोस्टिंग, ग्राइंडिंग तथा पैकेजिंग के क्षेत्रों में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी को स्वीकारना अति आवश्यक है। स्वदेशी बाज़ार में कॉफ़ी का प्रसंस्करण, पैकेजिंग तथा विपणन विशेषतया लघु एवं मध्यम उद्यमों के द्वारा रोजगार के अनेक अवसर प्रदान करेगा। चूँकि कॉफ़ी रोस्टिंग, ग्राइंडिंग तथा पैकेजिंग के क्षेत्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकी पूँजी पर आधारित है और इससे लघु एवं मध्यम उद्यमियों (एस एम ई एस) को कॉफ़ी मूल्य संवर्धन क्रियाकलापों से पीछे हटने की प्रेरणा मिलती है। अत: उत्तम गुणता के कॉफ़ी पाउडर के तैयारीकरण एवं पैकेजिंग के लिए उपयोगी प्रौद्योगिकी स्वीकारने हेतु उद्यमियों को समुचित समर्थन देना आवश्यक पाया गया है।

कॉफ़ी बोर्ड ने XII वीं योजना स्कीम घटक 10: मूल्य संवर्धन हेतु समर्थन के अधीन उपदान देते हुए भुनाई व पिसाई एकक तथा कॉफ़ी क्यूरिंग एककों को समर्थन दिया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क) रोस्टिंग एवं ग्राइंडिंग एककों को समर्थन

इस योजना का मुख्य उद्देश्य कॉफ़ी रोस्टिंग, ग्राइंडिंग तथा पैकेजिंग के क्षेत्र में सुधारित प्रौद्योगिकी के समावेशन के द्वारा कॉफ़ी उत्पाद की गुणता का संवर्धन तथा मूल्य संवर्धन प्राप्त करना है जिससे कॉफ़ी क्षेत्र, विशेषतया गैर-परंपरागत क्षेत्रों में स्वदेशी कॉफ़ी के उपभोग एवं उद्यमों को प्रोत्साहन मिलें।

एकल एकक, सहभागी संस्था, स्वयं सहायक समूह (एस. एच.जी)/उपजकर्ता समष्टियां/सहकारी समितियाँ तथा निगम जो कॉफ़ी भुनाई एकक की स्थापना के लिए इच्छुक हैं तथा जो वर्तमान एककों को स्वचालित/ऊर्जा संरक्षक/पर्यावरण हितैषी मशीनरी से आधुनिकीकृत करना चाहते हैं।

- 25 कि.ग्रा./बैच से अधिक की क्षमता वाले बडे रोस्टिंग एकक ₹ 50 लाख की सीमा के साथ मशीनरी मूल्य के 25 % के उपदान सहायता के लिए हकदार है।
- 25 कि.ग्रा.से कम क्षमता के लघु रोस्टिंग एकक ₹ 50 लाख की अधिकतम सीमा के साथ मशीनरी मूल्य के 35 % उपदान की सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
- स्व स स के महिला उद्यमी तथा अ जा/अ ज जा लाभार्थी उपदान समर्थन की अधिकतम सीमा ₹ 50 लाख के साथ मशीनरी मूल्य के 40 % के लिए पात्र हैं।
- 10 कि.ग्रा. से कम क्षमता के लघु वाणिज्यिक गोर्मेट रोस्टिंग एकक ₹ 10 लाख प्रति एकक की अधिकतम सीमा के साथ मशीनरी मूल्य के 35 % उपदान समर्थन के लिए पात्र हैं।

उपदान के लिए पात्र घटक

नए एकक

निम्नलिखित संयोजनों के साथ कोई भी रोस्टिंग, ग्राइंडिंग तथा पैकेजिंग मशीनरी उपदान के लिए पात्र हैं :-

क) रोस्टिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन एवं पैकेजिंग मशीन

ख) रोस्टिंग मशीन एवं पैकेजिंग मशीन

ग) ग्राइंडिंग मशीन एवं पैकेजिंग मशीन

वर्तमान एकक

गुणता सुधारने के लिए प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन हेतु उपरोक्त संयोजनों में किसी एक या सभी मशीनरियों की पुन: स्थापना या प्रोन्नयन के लिए बशर्ते कि XI योजना के अंतर्गत एक ही एकक में उसी मशीन के लिए उपदान प्राप्त नहीं किया गया हो। पैकेजिंग मशीन पर तभी विचार किया जाएगा जब रोस्टिंग तथा ग्राइंडिंग मशीन पहले से ही एकक में उपलब्ध हो।

वर्ष के दौरान, 9 रोस्टिंग व ग्राइंडिंग एककों का निरीक्षण करने के बाद इस घटक के अधीन उपदान दिया गए।

ख) कॉफ़ी क्यूरिंग वर्क्स के लिए समर्थन

क्यूरिंग स्तर पर कॉफ़ी के संसाधन में आधुनिक प्रौद्योगिकी को स्वीकारते हुए कॉफ़ी उत्पाद की गुणता का प्रवर्धन तथा मूल्य संवर्धन एवं कार्य क्षमता सुधारण और रंग चयन, श्रेणीकरण एवं सुखाने जैसी संक्रियाओं के द्वारा निपुणता कमी का संवर्धन तथा स्थिरता का सुधारण इसका मुख्य उद्देश्य है।

भारतीय कॉफ़ी बोर्ड द्वारा निर्गमित वैध कॉफ़ी क्यूरिंग लाइसेंस प्राप्त सभी वर्तमान कॉफ़ी क्यूरिंग वर्क्स समर्थन के पात्र हैं चाहे उसका स्वामित्व किसी भी प्रकार का हो। बशर्ते कि प्रति क्यूरिंग वर्क्स 50.00 लाख की अधिकतम सीमा के साथ क्रीत तथा स्थापित मशीनरी के मूल्य का 25% के लिए पात्र है। मशीनरी मूल्य के 25% की दर पर उपदान में मूल लागत, शुल्क, सरकारी करारोपण (मूल्य संवर्धित कर सम्मिलित) पैकिंग, परिवहन, बीमा, स्थापना और कमीशनिंग प्रभार आदि सम्मिलित हैं।

क्यूरिंग वर्क्स की सुविधाओं के प्रोन्नयन हेतु उपदान के लिए योग्यताप्राप्त मशीनरियाँ :

क्र.सं.	योग्यताप्राप्त मशीनरियाँ
1.	प्री-क्लीनर / वाइब्रो क्लीनर
2.	डी-स्टोनर
3.	डी-स्टोनर के लिए वातशोषण प्रणाली
4.	हल्लर
5.	पीलर कम पॉलिशर
6.	कैसकेड वातशोषक
7.	वाईब्रो ग्रेडर
8.	ग्रेविटी विघटक
9.	ऑन-लाइन सिलो ग्रेडड कॉफ़ी हैंडलिंग सिस्टम
10.	केंद्रीय वातशोषण प्रणाली
11.	उपस्कर सहित रंग छँटनी मशीन
12.	कॉफ़ी ड्रायर
13.	हस्क सिलो
14.	तोलन व बैगिंग सिस्टम
15.	बल्किंग एवं कंटेनर लोडिंग सिस्टम
16.	आर्द्रता मापक

वर्ष के दौरान, 2 क्यूरिंग एककों का निरीक्षण किया गया तथा घटक के अधीन उपदान दिया गया।

****

अध्याय VII

निर्यात संवर्धन

कॉफ़ी निर्यात

निर्यातक पंजीकरण तथा नवीनीकरण

31 मार्च 2016 को यथास्थिति कॉफ़ी बोर्ड में पंजीकृत निर्यातकों की कुल संख्या 686 थी जब कि 31 मार्च 2015 को यथास्थिति इनकी संख्या 607 थी। इसमें वर्ष 2015-2016 के 79 नए पंजीकरण सम्मिलित हैं।

निर्यात परमिट तथा आई सी ओ मूल प्रमाणपत्र

कॉफ़ी बोर्ड द्वारा कॉफ़ी अधिनियम की धारा 20 के अधीन कॉफ़ी निर्यात के लिए निर्यात परमिट जारी किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन, लंदन के मानदंडों के अनुसार कॉफ़ी बोर्ड, कॉफ़ी के पंजीकृत निर्यातकों को उनके द्वारा विनिर्दिष्ट आवेदन पत्र में अनुरोध करने पर कॉफ़ी के निर्यात के लिए मूल प्रमाणपत्र भी जारी करता है।

निर्यात : ई परमिट सिस्टम

ऑन-लाइन या व्यक्तिगत रूप से आवेदन प्रस्तुत करने वालों को निर्यात परमिट तथा आई सी ओ मूल प्रमाण पत्र जारी की जा रही है। ऑन लाइन द्वारा प्रयोगकर्ता आई डी एवं पास वर्ड के माध्यम से निर्यात परमिट प्रस्तुत करने की सुविधा भारतीय कॉफ़ी के सभी पंजीकृत निर्यातकों को प्रदान की गई है।

वर्ष 2015-16 के दौरान कॉफ़ी के 177 पंजीकृत निर्यातकों को कुल 11,051 निर्यात परमिट तथा आई सी ओ मूल प्रमाण पत्र जारी किए गए जबकि 2014-15 के दौरान 9,695 निर्यात परमिट जारी किए गए थे । 11,051 परमिटों में से, 9,361 परमिट भारतीय मूल कॉफ़ी के निर्यात के लिए और 1,690 परमिट कॉफ़ी के पुन: निर्यात के लिए जारी किए गए।

निर्यातकों के साथ संवाद

वर्ष के दौरान कॉफ़ी निर्यातकों तथा निर्यातक संघ/ विशिष्ट कॉफ़ी संघ के साथ बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों में निर्यात संवर्धन योजना, अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों, व्यापार मेलाओं में सहभागिता, गुणता संबंधी मामले, वित्तीय सहायता आदि से संबद्ध विभिन्न शेयरधारकों से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। सभी संबंधित विषयों पर समुचित हस्तक्षेप एवं समर्थन हेतु मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

रिपोर्ट एवं विवरणियाँ

निर्यातक समुदाय को उनके क्रियाकलापों में सहायता प्रदान करने के लिए सूचना के प्रसार के अलावा, कॉफ़ी निर्यात के बारे में मंत्रालय तथा अंतरराष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन को भेजने के लिए सावधिक रिपार्ट एवं विवरणी तैयार करके प्रस्तुत की हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान सृजित प्रमुख रिपोर्ट एवं विवरणियों का विवरण निम्नानुसार है :-

- बोर्ड की वेबसाईट तथा बोर्ड के अधिकारियों के निर्यात निष्पादन पर दैनिक रिपोर्ट
- गंतव्य-वार निर्यातों पर मंत्रालय को मासिक रिपोर्ट
- कॉफ़ी के प्राथमिक निर्यात पर अंतरराष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन (आई सी ओ) को गंतव्य-स्थान के अनुसार मात्रा तथा मूल्य के आधार पर मासिक रिपोर्ट
- भारत से निर्यातित कॉफ़ी से संबंधित आई सी ओ द्वारा निर्गमित मूल प्रमाणपत्र के बारे में उपलब्ध सांख्यिकीय आँकडों का मासिक आधार पर अंतरराष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन को प्रेषण

उपरोक्त के अलावा, निर्यात-निर्यातकवार, देशवार, प्रकार एवं श्रेणीवार निर्यात इत्यादि की रिपोर्टें तैयार की गई हैं।

कॉफ़ी के निर्यातयोग्य प्रकार तथा श्रेणियाँ

अंतरराष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन (आई सी ओ) के कॉफ़ी गुणता सुधार कार्यक्रम के अनुसार संकल्प संख्या 420 तथा परिपत्र सं.विप/निर्यात/33.बी/2010-10/790 दि: 18.08.2010 के अधीन परिचालित मानसूनीकृत कॉफ़ी के विद्यमान मानकों में तदनुरूप संशोधन के अंतर्गत कॉफ़ी बोर्ड द्वारा निर्धारित कॉफ़ी के निर्यातयोग्य प्रकार व श्रेणियों का विवरण निम्नानुसार है:

कॉफ़ी के निर्यातयोग्य प्रकार तथा श्रेणियाँ

प्रकार	प्रीमियम श्रेणी	व्यावसायिक श्रेणी	विशिष्ट कॉफ़ी
हरी कॉफ़ी अरेबिका पार्चमेंट (प्लांटेशन) (धुली अरेबिका)	पी बी बोल्ड ए ए	पी बी, ए,बी, सी* बल्क	मैसूर नग्गेट्स ईबी
अरेबिका चेरी (अनधुली अरेबिका)	पी बी बोल्ड एए, ए	पी बी, ए बी, सी** बल्क***	मानसूनीकृत मलबार ए.ए मानसूनीकृत बसनल्ली अरेबिका ट्रिएज #
रोबस्टा पार्चमेंट (धुली रोबस्टा)	पी बी बोल्ड ए	पी बी, ए बी, सी, बल्क	रोबस्टा कापी रोयाल
रोबस्टा चेरी (अनधुली रोबस्टा)	पी बी बोल्ड ए ए ए, ए ए, ए	पी.बी, ए.बी, सी, बल्क, क्लीन बल्क	मानसूनीकृत मलबार रोबस्टा- ए.ए मानसूनीकृत मलबार रोबस्टा ट्रिएज #
विविध श्रेणी लिबेरिया एक्सलसिया		 बल्क## बल्क##	
इंस्टेन्ट कॉफ़ी			
रोस्टेड कॉफ़ी बीज			
रोस्टेड एवं ग्राउंड कॉफ़ी			

* प्लान्टेशन-सी के लिए अपवाद-आई सी ओ के संकल्प 407/420 के पाद टिप्पणी में वर्णित समतुल्य में सूचित के अनुसार

** अरेबिका चेरी "सी" को ब्लैक्स, ब्राउन्स एवं बिट्स रहित होना चाहिए

*** अरेबिका चेरी बल्क में 10% से कम ब्लैक्स, ब्राउन्स एवं बिट्स होना चाहिए

मानसूनीकृत अरेबिका ट्रिएज व मानसूनीकृत रोबस्टा ट्रिएज में ब्लेक्स, ब्राउन्स व बिट्स रहित होना चाहिए

रोबस्टा की तरह समान त्रुटि संख्या में

टिप्पणी : मानसूनीकृत कॉफ़ी के लिए नमी स्तर 13.0-14.5% है ।

कॉफ़ी का निर्यात

2015-16 के दौरान 3,18,238 मे.ट. (पुन:निर्यात के 67,305 मे.ट. सम्मिलित) की मात्रा के लिए निर्यात परमिट जारी किए गए। इसका मूल्य ₹ 5,178.93 करोड है जो 792.21 यू एस मिलियन डॉलर्स के समतुल्य है तथा इसका एकक मूल्य ₹ 1,62.737 प्रति मे.ट है। वर्ष 2014-15 के दौरान, कॉफ़ी का निर्यात 2,86,516 मे.ट था जिसका मूल्य 809.98 यू एस मिलियन डालर्स है जो ₹ 4,946.52 करोड के समतुल्य है तथा इसका एकक मूल्य ₹ 1,72,644 प्रति मे.ट है।

2015-16 के दौरान 108 देशों को कॉफ़ी के निर्यात के लिए निर्यात परमिट जारी किए गए जो विगत वर्ष 109 देशों के लिए जारी किया गया था जिनमें से इटली, जर्मनी, रुस संघ, बेल्जियम एवं तुर्की 5 प्रमुख आयातक देश हैं।

निर्यातित कॉफ़ी के प्रकार

कॉफ़ी के प्रकार	परिमाण (मेट्रिक टन में)	कुल निर्यात का प्रतिशत
अरेबिका पार्चमेंट	35,965	11.3
अरेबिका चेरी	10,830	3.4
रोबस्टा पार्चमेंट	32,862	10.3
रोबस्टा चेरी	1,42,497	44.8
रोस्टड कॉफ़ी बीन्स तथा ग्राइंडड कॉफ़ी ह.फ.स में *	650	0.2
इंस्टेंट/घुलनशील कॉफ़ी ह.फ.स में *	95,434	30.0
कुल	**3,18,238**	**100.0**

* ग्रीन बीन समतुल्य

टिप्पणी : निर्यात परमिट के आधार पर

कॉफ़ी निर्यातों का श्रेणीवार विवरण

क्र सं	श्रेणी	परिमाण टन में	भारतीय ₹ (लाख में)	यू एस डालर (लाख में)	एकक मूल्य	
					₹ /प्रति टन	यूएसडी/ टन
1	अरेबिका चेरी ए	255.33	494.73	7.56	1,93,759	2,961
2	अरेबिका चेरी एए	210.14	408.15	6.2	1,94,228	2,950
3	अरेबिका चेरी ए बी	3,992.01	6,637.6	102.98	1,66,272	2,580

क्र सं	श्रेणी	परिमाण टन में	भारतीय ₹ (लाख में)	यू एस डालर (लाख में)	एकक मूल्य	
					₹ /प्रति टन	यूएसडी/ टन
4	अरेबिका चेरी बल्क	217.04	310.89	4.92	1,43,244	2,267
5	अरेबिका चेरी सी	520.3	601.18	9.13	1,15,545	1,755
6	अरेबिका चेरी पी बी	75.6	138.24	2.15	1,82,857	2,844
7	अरेबिका चेरी पी बी बोल्ड	9.5	23.93	0.36	2,51,895	3,789
8	इन्स्टेन्ट कॉफ़ी	95,433.94	1,69,904.02	2,593.12	1,78,033	2,717
9	लिबेरिया बल्क	266.24	433.21	6.72	1,62,714	2,524
10	मानसून्ड अरे- ट्रिएज	49.04	105.44	1.62	2,15,008	3,303
11	मानसून्ड बासनल्ली	261.74	574.48	8.73	2,19,485	3,335
12	मानसून्ड मलबार ए ए	5,239.66	14,512.28	219.96	2,76,970	4,198
13	मानसून्ड रोबस्टा ट्रिएज	10.00	12.43	0.20	1,24,300	2,000
14	मानसून्ड रोबस्टा ए ए	906.10	1,651.15	24.74	1,82,226	2,730
15	मैसूर नग्गेटस ई बी	1,754.09	4,772.84	72.53	2,72,098	4,135
16	प्लांटेशन पी बी बोल्ड	7.98	23.48	0.37	2,94,236	4,637
17	प्लांटेशन -ए	12,910.70	33,197.05	506.57	2,57,128	3,924
18	प्लांटेशन -ए ए	9,768.36	25,138.48	383.54	2,57,346	3,926
19	प्लांटेशन बी	7,040.22	14,512.99	221.17	2,06,144	3,142
20	प्लांटेशन बल्क	1,041.27	2,904.59	44.54	2,78,948	4,277
21	प्लांटेशन सी	2,427.84	3,931.03	60.02	1,61,915	2,472
22	प्लांटेशन पी बी	1,013.91	1,904.59	28.5	1,87,846	2,811
23	रोस्टड व ग्राइंडड कॉफ़ी	519.22	1,816.4	28.05	3,49,834	5,402
24	रोस्टड कॉफ़ी बीज	130.82	398.63	6.18	3,04,714	4,724
25	रोबस्टा चेरी ए ए ए	4,140.98	5,369.08	81.9	1,29,657	1,978
26	रोबस्टा चेरी ए	32,848.45	44,051.87	676.72	1,34,106	2,060
27	रोबस्टा चेरी ए ए	23,693.59	30,741.57	470.62	1,29,746	1,986
28	रोबस्टा चेरी ए बी	60,153.32	75,874.67	1,160.91	1,26,135	1,930
29	रोबस्टा चेरी बल्क	3,012.78	3,645.29	56.08	1,20,994	1,861
30	रोबस्टा चेरी सी	231.72	295.26	4.51	1,27,421	1,946
31	रोबस्टा चेरी पी बी	3,511.56	4,368.99	66.99	1,24,417	1,908
32	रोबस्टा चेरी क्लीन बल्क	13,722.45	16,711.93	255.96	1,21,785	1,865
33	रोबस्टा कापी रोयाल	7,883.33	12,599.11	193.31	1,59,820	2,452
34	रोबस्टा पार्चमेन्ट -ए	513.25	814.51	12.35	1,58,697	2,406

क्र सं	श्रेणी	परिमाण टन में	भारतीय ₹ (लाख में)	यू एस डालर (लाख में)	एकक मूल्य	
					₹ /प्रति टन	यूएसडी/ टन
35	रोबस्टा पार्चमेन्ट ए बी	13,301.08	21,175.03	325.77	1,59,198	2,449
36	रोबस्टा पार्चमेन्ट सी	1,422.65	1,919.45	29.55	1,34,921	2,077
37	रोबस्टा पार्चमेन्ट पी बी	1,961.64	2,934.7	45.37	1,49,604	2,313
38	रोबस्टा पी एम टी बल्क	7,741.53	12,911.35	201.08	1,66,780	2,597
39	रोबस्टापार्चमेन्ट-पीबीबोल्ड	38.4	72.78	1.14	1,89,531	2,969
	कुल	**3,18,237.78**	**5,17,893.40**	**7,922.12**	**1,62,737**	**2,489**

2015 – 2016 के दौरान कॉफ़ी निर्यात का देशवार विवरण

(भारतीय व पुन:निर्यातित कॉफ़ी दोनों) (अनंतिम)

क्र सं	देश का नाम	परिमाण (मे.टन में)	मूल्य (₹ लाखों में)
1	इटली	79,691.7	1,14,027.3
2	रुस संघ	27,858.2	47,117.7
3	जर्मनी	27,599.5	46,323.0
4	बेल्जियम	16,599.9	30,585.5
5	तुर्की	14,306.7	24,331.8
6	स्लोवेनिया	10,885.8	13,465.1
7	जोर्डन	10,076.4	21,830.2
8	आस्ट्रेलिया	6,740.7	12,732.0
9	ग्रीस	6,645.6	8,614.0
10	पोलैंड	6,506.8	9,221.7
11	लिबिया	6,383.4	8,511.9
12	स्पेन	6,296.9	8,196.9
13	मलेशिया	5,957.1	8,533.1
14	सं.रा.अ	5,697.9	9,532.5
15	कुवैत	5,546.5	11,999.4
16	यूक्रेन	4,049.8	6,960.8
17	फिनलैंड	4,039.0	7,706.9

क्र सं	देश का नाम	परिमाण (मे.टन में)	मूल्य (₹ लाखों में)
18	इज़राएल	3,991.1	5,667.3
19	फ्रांस	3,889.2	7,302.0
20	सउदी अरब	3,866.1	8,311.3
21	इंडोनेशिया	3,651.9	5,340.7
22	पुर्तगल	3,417.9	4,149.7
23	ताइवान (चीन की रियासत)	2,841.5	3,947.5
24	इंग्लैंड	2,658.3	4,935.7
25	स्विटज़रलैंड	2,636.9	5,290.6
26	टुनीशिया	2,384.4	2,901.8
27	दक्षिण कोरिया गणराज्य	2,241.5	3,703.1
28	उत्तर कोरिया जन गणराज्य	2,182.5	2,819.3
29	म्यांमार	2,166.3	2,663.0
30	संयुक्त अरब अमीरात	2,080.8	4,933.8
31	माली	1,882.9	4,047.0
32	मिस्र	1,693.1	2,384.8
33	मोंटेनेग्रो	1,687.2	2,052.0
34	नाइगर	1,662.7	3,592.5
35	सिरियन अरब गण राज्य	1,636.3	2,194.1
36	रोमानिया	1,501.2	2,139.4
37	सिंगपुर	1,428.8	2,680.9
38	जापान	1,275.5	2,593.6
39	नीदरलैंड्स	1,220.2	2,183.5
40	वियतनाम	1,207.7	1,591.9
41	बेलारूस	1,171.7	2,080.5
42	बुरकिन फासो	1,147.3	7,711.1
43	कनाडा	1,044.4	1,428.8
44	सेनेगल	1,022.0	2,074.5
45	डेनमार्क	952.2	1,130.6
46	अलबेनिया	943.2	1,249.0
47	नाइजीरिया	904.1	1,601.0
48	ईरान इस्लामी गणराज्य	890.6	1,376.1

क्र सं	देश का नाम	परिमाण (मे.टन में)	मूल्य (₹ लाखों में)
49	लात्विया	853.7	1,563.8
50	ओमान सल्तनत	802.1	1,335.1
51	टोगो	639.1	1,298.2
52	मोरोक्को	598.8	731.2
53	एस्टोनिया	597.7	1,066.7
54	अलजीरिया	574.7	713.4
55	बेनिन	560.8	1,179.8
56	मौरिटानिया	552.7	1,127.4
57	क्रोएशिया	528.5	639.0
58	चीन	429.0	616.1
59	दक्षिण अफ्रीका	421.8	817.1
60	हंगरी	394.1	529.7
61	बंगलादेश	353.9	652.5
62	कोंगो	327.3	776.0
63	जार्जिया	314.3	597.6
64	लिथुआनिया	300.0	501.5
65	तुर्कमेनिस्तान	285.5	574.4
66	न्यूज़ीलैंड	280.3	477.0
67	नेपाल	263.7	1,017.4
68	नार्वे	257.0	515.5
69	आस्ट्रिया	232.5	288.6
70	घाना	212.8	502.3
71	स्वीडन	181.1	445.7
72	कैमरुन	178.2	366.4
73	लेबनन	176.7	225.5
74	चेक गणराज्य	156.2	358.6
75	खत्तर	142.7	401.4
76	बोसनिया व हर्जेगोविना	134.4	159.3
77	कोटे डी' आइवोर	120.8	219.8
78	अरमेनिया	117.4	230.6
79	ईराख	116.7	226.3

क्र सं	देश का नाम	परिमाण (मे.टन में)	मूल्य (₹ लाखों में)
80	कज़ाखस्तान	115.0	211.0
81	गांबिया	102.4	218.7
82	बलगेरिया	76.7	111.5
83	उजबेकिस्तान	66.6	93.5
84	श्रीलंका	66.5	174.5
85	केनिया	63.3	108.4
86	गिनी	58.0	126.1
87	एल साल्वेडोर	38.2	63.1
88	मल्डोवा	36.5	72.0
89	हांगकांग	36.2	89.9
90	ताहिती	33.7	66.4
91	दुबई	32.2	93.2
92	मंगोलिया	30.6	49.6
93	पेरू	24.0	29.3
94	बहरीन	22.5	77.1
95	चाड़	20.3	52.4
96	आयरलैंड	19.2	34.3
97	न्यू कलेडोनिया	19.2	30.3
98	स्लोवाकिया	19.2	29.3
99	गैबॉन	19.1	49.1
100	पाकिस्तान	15.5	51.2
101	सेशल्स	12.1	39.2
102	फ्रेंच पॉलिनेशिया	11.2	21.6
103	मालडीव्स	10.2	29.8
104	सियारा लियोन	9.4	20.4
105	मध्य आफ्रिका गण राज्य	9.0	22.7
106	थाइलैंड	5.2	7.7
107	त्रिनिदाद और टोबैगो	0.0	0.1
108	किर्गि स्तान	0.0	0.0
	कुल	**3,18,237.9**	**5,17,893.2**

टिप्पणी : शून्य एक टन /₹ लाख के परिमाण का प्रतिनिधि

2015 – 2016 के दौरान कॉफ़ी निर्यात का देशवार विवरण

(पुन:निर्यातित कॉफ़ी) (अनंतिम)

क्र सं	देश का नाम	परिमाण (मे. टन में)	मूल्य (₹ लाखों में)
1	रूसी संघ	18,943	32,174.6
2	तुर्की	13,102.6	22,496.0
3	मलेशिया	3,226.7	4,527.6
4	सं. रा. अ	3,103.2	4,961.4
5	इंडोनेशिया	2,977.5	4,239.8
6	फिनलैंड	2,347.4	4,759.5
7	म्यांमार	1,722.4	2,060.9
8	फ्रांस	1,662.2	3,735.7
9	पोलैंड	1,543.9	2,165.3
10	नाइगर	1,298.1	2,684.6
11	यूक्रेन	1,214.7	2,118.9
12	माली	1,135.1	2,483.2
13	बेलारूस	1,121.6	2,011.1
14	ताइवान (चीन की रियासत)	1,079.9	1,697.5
15	वियतनाम	993.2	1,285.0
16	जर्मनी	987.6	1,415.6
17	सिरियन अरब गणराज्य	912.1	1,224.1
18	सिंगपुर	837.3	1,387.6
19	बुरकिन फासो	650.4	1,393.2
20	इटली	636.4	1,580.8
21	लात्विया	617.9	1,093.1
22	नाइजीरिया	561.1	833.8
23	इंग्लैंड	517.0	1,084.0
24	जापान	480.0	834.8
25	टोगो	419.2	840.2
26	अस्ट्रेलिया	410.7	973.5
27	सेनेगल	351.6	629.8
28	चीन	323.7	472.9
29	कोरिया जन गणराज्य	303.6	479.0
30	बेलजियम	295.8	475.3
31	एस्तोनिया	293.4	568.3
32	रोमानिया	257.5	404.9

क्र सं	देश का नाम	परिमाण (मे. टन में)	मूल्य (₹ लाखों में)
33	दक्षिण अफ्रीका	221.8	422.5
34	मौरिटानिया	212.3	487.3
35	ईरान इस्लाम गणराज्य	205.2	389.7
36	बेनिन	192.6	377.3
37	स्पेन	183.5	296.2
38	लिथुआनिया	151.8	209.3
39	दक्षिण कोरिया गणराज्य	146.4	217.3
40	कांगो	137.9	317.6
41	कैमरुन	128.7	261.7
42	घाना	128.7	276.4
43	कोटे डी आइवोर	120.8	219.8
44	जार्जिया	105.2	193.4
45	गांबिया	90.7	197.4
46	कज़ाखस्तान	87.5	155.7
47	मिस्र	85.4	146.3
48	साऊदी अरब	68.1	108.7
49	किनिया	63.3	108.4
50	इराख	63.1	132.2
51	संयुक्त अरब अमीरात	50.7	83.8
52	टुनीशिया	49.2	102.2
53	उज़बेकिस्तान	47.1	73.7
54	गिन्नी	43.0	90.8
55	एल साल्वडॉर	38.2	63.1
56	तुर्कमेनिस्तान	38.1	76.8
57	बलगेरिया	36.5	59.5
58	ताहिती	33.7	66.4
59	बांगलादेश	32.5	48.6
60	नीदरलैंड्स	31.8	109.0
61	मंगोलिया	30.6	49.6
62	हांगकांग	20.3	46.0
63	ग्रीस	19.5	43.1
64	अरमेनिया	19.2	32.2
65	अलजेरिया	17.9	45.7
66	क्रोएशिया	17.9	29.9
67	पाकिस्तान	14.3	47.0

क्र सं	देश का नाम	परिमाण (मे. टन में)	मूल्य (₹ लाखों में)
68	फ्रेंच पालिनेशिया	11.2	21.6
69	गैबान	9.7	27.5
70	सियारा लियोन	9.4	20.4
71	मध्य आफ्रिका गण राज्य	9.0	22.7
72	थाइलैंड	5.2	7.7
73	श्रीलंका	0.1	0.1
	कुल	**67,305.6**	**1,14,776.6**

विशिष्ट एवं मूल्य संवर्धित कॉफ़ी का निर्यात 2015–16
(भारतीय व पुन:निर्यातित कॉफ़ी दोनों) (अनंतिम)

क्र.सं.	कॉफ़ी के प्रकार	परिमाण (मे. टन में)	मूल्य (₹ लाखों में)
1	विशिष्ट ग्रीन कॉफ़ी	16,102	34,227.6
2	घुलनशील, रोस्टड व ग्राउंड कॉफ़ी	96,082	1,72,119.0
3	ग्रीन कॉफ़ी	2,06,054	3,11,546.4
	कुल	**3,18,238**	**5,17,893.0**

2015–16 के दौरान प्रमुख 10 निर्यातकों द्वारा कॉफ़ी निर्यात
(भारतीय व पुन:निर्यातित कॉफ़ी दोनों) (अनंतिम)

क्र.सं.	निर्यातक का नाम	परिमाण (मे. टन में)	मूल्य (₹ लाखों में)
1.	सी सी एल प्रोडक्टस् (इंडिया) लिमिटेड	36,920.5	63,841.2
2	अल्लानासन्स प्राइवेट लिमिटेड	28,582.4	48,457..1
3	एन के जी इंडिया कॉफ़ी प्राइवेट लिमिटेड	24,337.4	36,166.8
4	टाटा कॉफ़ी लिमिटेड	23,625.4	41,762.8
5	रुचि सोया इंडस्ट्रीस लिमिटेड	23,493.8	30,765.2
6	एस एल एन कॉफ़ी प्राइवेट लिमिटेड	19,281.5	29,671.3
7	ओलम एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	19,083.9	29,690.3
8	आई टी सी लिमिटेड	15,860.0	25,276.0
9	कॉफ़ी डे ग्लोबल लिमिटेड	14,613.1	23,429.2
10	नेस्ले इंडिया लिमिटेड	12,129.5	21,282.8
11	अन्य	1,00,310.6	1,97,550.2
	कुल	**3,18,238.1**	**5,17,892.9**

निर्यात प्रोत्साहन

XIIवीं योजना अवधि (2012-17) के "समेकीकृत कॉफ़ी विकास परियोजना" स्कीम के अंतर्गत "निर्यात संवर्धन योजना" घटक के अधीन उत्तम मूल्य कॉफ़ी एवं मूल्य संवर्धित कॉफ़ी के निर्यात हेतु निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने पत्र सं 04/01/2013 प्लांट-बी दिनांक 18.12.2014 के अधीन अनुमोदन की सूचना प्रदान की गई है।

महत्वपूर्ण उत्तम मूल्याधिष्टित अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में मूल्य संवर्धित कॉफ़ी तथा उत्तम मूल्य विभेदीकृत कॉफ़ी बाज़ार के शेयर संवर्धन से निर्यात अर्जन का प्रवर्धन इस योजना का उद्देश्य है।

यह XI वीं योजना की अवधि के दौरान प्रारंभित नैरंतरिक योजना है तथा XII वीं योजना की संशोधित प्रणाली के अनुक्रम के साथ इसे बोर्ड की वेबसाइट में उपलब्ध कराया गया है।

प्रोत्साहन का मानदंड

i) "इंडिया ब्रैंड" के रुप में निर्यातित रीटेल उपभोक्ता पैक में मूल्य संवर्धित कॉफ़ी के निर्यात के लिए प्रति कि.ग्रा. ₹ 3/- इंस्टेंट/घुलनशील कॉफ़ी के लिए 2.6 कि.ग्रा. तथा रोस्टड कॉफ़ी बीज एवं रोस्टड व ग्राइंडेड कॉफ़ी के लिए 1.19 कि.ग्रा. की अधिकतम दर पर उसके निर्माण/तैयारीकरण के लिए प्रयुक्त ग्रीन कॉफ़ी पर अनुमानित किया जाता है।

ii) सं रा अ, कनाडा, जापान, आस्ट्रेलिया,न्यूज़ीलैंड, दक्षिण कोरिया, फिनलैंड तथा नार्वे जैसे दूरवर्ती उत्तम मूल्य बाज़ारों को उत्तम मूल्य ग्रीन कॉफ़ी के निर्यात के लिए प्रति किलो ₹ 2/- का निर्यात प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है।

वर्ष 2015-16 के दौरान उपरोक्त गतिविधियों के अधीन प्राप्त भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों का विवरण निम्नलिखित है :

क्र.सं.	घटक	परिमाण (मे. टन में)	मूल्य (₹ लाखों में)
1.	दूरवर्ती बाज़ारों पर उत्तम मूल्य की ग्रीन कॉफ़ी के निर्यात के लिए प्रदत्त प्रोत्साहन	11,723.08	229.80
2.	"इंडिया ब्रैंड" के रुप में रिटेल पैक में मूल्य संवर्धित कॉफ़ी के निर्यात के लिए प्रदत्त प्रोत्साहन	6,373.64	186.13
	कुल	18,096.72	415.93

भारतीय कॉफ़ी के ब्रैंडिंग के लिए लॉगो

भारतीय कॉफ़ी बोर्ड, इंडिया ब्रैंड्स के रुप में मूल्य संवर्धित कॉफ़ी के निर्यात के प्रवर्धन तथा छाया में उगती, धारणीय व चमकीली भारतीय कॉफ़ी चित्रित कॉफ़ीज़ ऑफ़ इंडिया लॉगो के द्वारा भारतीय कॉफ़ी की पहचान के सशक्तीकरण का कार्य कर रहा है। इससे प्रतीकात्मक रुप से यह सत्य प्रतिपादित किया जाता है कि भारतीय कॉफ़ी छाया में उगाई जाती है तथा भारत के कॉफ़ी क्षेत्र संसार के 25 जैव-विविधतायुक्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है और भारत की वैविध्यपूर्ण कॉफ़ी की झाँकी भी प्रस्तुत की जाती है।

फ़्लैवर ऑफ़ इंडिया 2015

दिनांक 16 से 18 जून तक गोथेनबर्ग, स्वीडन में आयोजित होनेवाली एस सी ए ई विश्व कॉफ़ी सम्मेलन -2105 के पूर्व ही गोथेनबर्ग, स्वीडन में फ़्लैवर ऑफ़ इंडिया फ़ाइन कप पुरस्कार कप्पिंग प्रतियोगिता 2015 के कप्पिंग के अंतिम चरण के लिए कुल 40 प्रतिमान चुने गए जिन पर 16-18 जून 2015 को गोथेनबर्ग, स्वीडन में आयोजित "एस सी ए ई कॉफ़ी सम्मेलन" से पूर्व अंतरराष्ट्रीय निर्णायकों के पैनल द्वारा निर्णय लिया गया। फ़्लैवर ऑफ़ इंडिया 2015 के पुरस्कार विजेताओं के लिए पुरस्कार वितरण समारोह आई आई सी एफ के साथ मुंबई के ललित में आयोजित हुआ था।

फ़्लैवर ऑफ़ इंडिया 2016

फ़्लैवर ऑफ़ इंडिया फ़ाइन कप पुरस्कार कप्पिंग प्रतियोगिता 2016 के नियम एवं विनियम आवेदन पत्र के साथ ही मुद्रित करके वितरित किया गया है। 4 मार्च 2016 को शाम 6 बजे से पहले ही विभिन्न कॉफ़ी उपजाने वाले क्षेत्रों से अरेबिका के 142 तथा रोबस्टा के 90 प्रतिमानों के साथ कुल 232 कॉफ़ी के प्रतिमान प्राप्त हुए। कोडीकरण समिति द्वारा प्रतिमानों के कोडीकरण कप्पिंग प्रतियोगिता के लिए प्राप्त अरेबिका एवं रोबस्टा कॉफ़ी प्रतिमानों को कोडीकरण किया गया। दिनांक 08 मार्च 2016 को कॉफ़ी गुणता प्रभाग के प्रभागीय प्रधान के पर्यवेक्षण में अरेबिका एवं रोबस्टा कॉफ़ी के प्राप्त प्रतिमानों का भौतिक मूल्यांकन किया गया। दिनांक 15 से 17 मार्च 2016 तक कॉफ़ी गुणता प्रभाग के प्रभागीय प्रधान के पर्यवेक्षण में अरेबिका एवं रोबस्टा कॉफ़ी प्रतिमानों की पूर्व-ज्यूरी कप्पिंग भी पूरी की गई।

राष्ट्रीय बारिस्ता प्रतियोगिता

कॉफ़ी व्यवसाय में तकनीकी रुप से निपुण तथा सर्वोत्तम बारिस्ता को पहचानने के लिए 2014 से राष्ट्रीय बारिस्ता प्रतियोगिता (एन बी सी) वार्षिक रुप से आयोजित किया जाता है और इस प्रतियोगिता से मुख्यत: कॉफ़ी की मूल्य श्रृंखला में उत्कृष्ठता, सुदृढ़ता के प्रोन्नयन तथा कौशल विकास के प्रोत्साहन के साथ-साथ भारत में केफ़े संस्कृति के प्रोन्नयन पर भी ध्यान केंन्द्रित किया जाता है।

कॉफ़ी बोर्ड ने दिनांक 15 एवं 16 अक्तूबर 2016 को राष्ट्रीय निर्णायकों के प्रशिक्षण तथा विश्व बारिस्ता प्रतियोगिता के नियम व विनियम का परिचय कराने के लिए कॉफ़ी बोर्ड के मुख्य कार्यालय में दो दिवसीय निर्णायक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया था। कॉफ़ी बोर्ड ने निर्णायक मंडल के सदस्यों को प्रशिक्षण देने हेतु प्रख्यात व्याख्याता श्री जो सू को आमंत्रित किया था। इस कार्यशाला में 22 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

विश्व बारिस्ता प्रतियोगिता के निम्न नियम व विनिमय के अनुपालन में एन बी सी का आयोजन किया गया। स्वाद मूल्यांकन, पेय प्रस्तुतीकरण, बारिस्ता तकनीक तथा वैयक्तिक प्रस्तुतीकरण जैसे चार मापदंडों के आधार पर प्रतियोगियों का मूल्यांकन किया गया। प्राथमिक तथा अंतिम चरणों के दो स्तरों पर एन बी सी आयोजित की जाती है। राष्ट्रीय राजधानी के बारिस्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए एन बी सी 2016 का प्रथम चरण 06 से 08 दिसंबर 2015 तक दिल्ली होटल प्रबंधन संस्थान, लाजपत नगर, नई दिल्ली, में आयोजित किया गया। प्रथम चरण का दूसरा राउंड 20 से 22 दिसंबर 2015 तक कॉफ़ी बोर्ड, बेंगलूरु के परिसर में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय बारिस्ता प्रतियोगिता के सेमी-फ़ाइनल व फ़ाइनल 25 से 27 फरवरी 2016 तक कॉफ़ी बोर्ड, बेंगलूरु के परिसर में आयोजित किया गया।

कॉफ़ी बोर्ड के माननीय अध्यक्ष द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, तायवान से श्री जो सू को प्रधान निर्णायक के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया। एन बी सी 2016 के विजेता श्री पारस बिंद्रा, 22 से 25 जून 2016 तक डबलिन, आयरलैंड में आयोजित विश्व बारिस्ता प्रतियोगिता (डब्ल्यू बी सी) में भाग लेंगे ।

कॉफ़ी बोर्ड – पुरस्कार

निर्यात पुरस्कार

कॉफ़ी निर्यातकों को विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्थानों में उनकी विशिष्ट, रोस्टड एवं घुलनशील कॉफ़ी जैसे मूल्य वर्धित क्षेत्रों में निर्यात प्रदर्शन हेतु उन्हें प्रेरित व प्रोत्साहित करने तथा प्रोन्नयन के लिए सर्वोत्तम निष्पादन पहचानकर सम्मानित करने के लिए वर्ष 1999-2000 में भारतीय कॉफ़ी बोर्ड ने निर्यात पुरस्कार योजना प्रारंभ की । 2011 के दौरान, प्रथम तथा द्वितीय सर्वश्रेष्ठ निर्यातक पुरस्कार के अतिरिक्त तीसरे स्थान के लिए कांस्य पुरस्कार भी दिए जाने लगे।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के निर्यात प्रदर्शन के लिए दिनांक 7 जनवरी, 2016 को बेंगलूरु के ललित अशोक में 15वीं भारत निर्यात पुरस्कार का आयोजन किया गया था तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 के निर्यात प्रदर्शन के लिए दिनांक 22 जनवरी, 2016 को मुंबई के ललित में भारत अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी फेस्टिवल (आई आई सी एफ) के साथ 16 वाँ भारत निर्यात पुरस्कार का आयोजन किया गया। ग्रीन, विशिष्ट,इंस्टेंट/घुलनशील एवं रोस्टड कॉफ़ी जैसे प्रत्येक श्रेणी में तथा संयुक्त राज्य अमरिका, कनाडा, यूरोप, रूस एवं सी आई एस, मध्य पूर्व व उत्तरी आफ्रिका (एम इ एन ए) तथा सुदूरवर्ती पूर्व जैसे प्रत्येक क्षेत्र में स्वर्ण, रजत, कांस्य पुरस्कार प्रदान किए गए। इंस्टेंट/घुलनशील एवं रोस्टड कॉफ़ी के लिए मूल्य संवर्धित क्षेत्र के निष्पादन के लिए तथा अन्य सभी क्षेत्रों में निर्यातित परिमाण के निष्पादन के आधार पर निर्यात पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

विगत दो वर्षों अर्थात 2013-13 व 2014-15 के दौरान सोलह कंपनियों ने 54 निर्यात पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मेसर्स सी सी एल प्रोडक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, हैदराबाद ने सबसे अधिक स्वर्ण पुरस्कार अर्थात 8 पुरस्कार प्राप्त किए हैं जबकि मेसर्स अल्लनसन्स लिमिटेड, मुंबई ने सबसे अधिक पुरस्कार, 2 स्वर्ण तथा 7 रजत प्राप्त किए हैं।

54 निर्यात पुरस्कार जीतने वाले 16 कंपनियों का विवरण निम्म प्रकार है:

क्र. सं.	निर्यातक का नाम मेसर्स	पुरस्कार	श्रेणी
1	सी सी एस प्रोडक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, हैदराबाद	आठ स्वर्ण पुरस्कार	इंस्टेंट कॉफ़ी के सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2013-14 एवं 2014-15) रूस एवं सी आई एस देशों पर कॉफ़ी का सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2013-14 एवं 2014-15) संयुक्त राज्य अमरिका एवं कनाडा देशों पर कॉफ़ी का सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2013-14 एवं 2014-15) सुदूरवर्ती पूर्व प्रदेशों पर कॉफ़ी का सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2013-14 एवं 2014-15)

क्र. सं.	निर्यातक का नाम मेसर्स	पुरस्कार	श्रेणी
2	अल्ब्रनसन्स प्राईवेट लिमिटेड, मुंबई	दो स्वर्ण पुरस्कार	ग्रीन कॉफ़ी का सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2013-14)
			एम ई एन ए प्रदेश पर कॉफ़ी का सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2013-14)
			विशिष्ट कॉफ़ी का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2013-14 एवं 2014-15)
		सात रजत पुरस्कार	रूस एवं सी आई एस देशों पर कॉफ़ी का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2013-14 एवं 2014-15)
			यूरोप को कॉफ़ी का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2013-14)
			ग्रीन कॉफ़ी का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2014-15)
			एम ई एन ए प्रदेश को कॉफ़ी का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2014-15)
3	आई टी सी लिमि टेड सिकंदराबाद	दो स्वर्ण पुरस्कार	ग्रीन कॉफ़ी का सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2014-15)
			यूरोप पर कॉफ़ी का सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2014-15)
		दो कांस्य पुरस्कार	एम ई एन ए प्रदेश पर कॉफ़ी का तीसरे सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2014-15)
			ग्रीन कॉफ़ी का तीसरे सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2013-14)
4	ऑस्पिनवाल व कं लिमिटेड, मंगलूरू	दो स्वर्ण पुरस्कार	विशिष्ट कॉफ़ी का सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2013-14 2014-15)
5	नेस्ले इण्डिया लिमिटेड, गुड़गांव	एक स्वर्ण पुरस्कार	एम ई एन ए प्रदेश पर कॉफ़ी का सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2014-15)
		चार रजत पुरस्कार	इंस्टेंट कॉफ़ी के दूसरे सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2013-14 2014-15)
			रूस एवं सी आई एस देशों पर कॉफ़ी का दूसरे सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2013-14)
		एक कांस्य पुरस्कार	एमईएनए प्रदेश पर कॉफ़ी का दूसरे सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2013-14)
			रूस एवं सी आई एस देशों पर कॉफ़ी का तीसरे सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2014-15)
6	टाटा कॉफ़ी लिमि टेड, बेंगलूरू	एक स्वर्ण पुरस्कार	भुने कॉफ़ी बीज व पिसे कॉफ़ी का सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2013-14)
		तीन रजत पुरस्कार	सुदूरवर्ती पूर्व प्रदेशों पर कॉफ़ी का दूसरे सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2013-14)
			रूस एवं सी आई एस देशों पर कॉफ़ी का दूसरे सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2014-15)
			भुने कॉफ़ी बीज और पिसे कॉफ़ी का दूसरे सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2014-15)
			इंस्टेंट कॉफ़ी के तीसरे सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2013-14 2014-15)
		पाँच कांस्य पुरस्कार	रूस एवं सी आई एस देशों पर कॉफ़ी का तीसरे सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2013-14)
			विशिष्ट कॉफ़ी का तीसरे सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2014-15)
			सुदूरवर्ती पूर्व प्रदेशों पर कॉफ़ी का तीसरे सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2014-15)

क्र. सं.	निर्यातक का नाम मेसर्स	पुरस्कार	श्रेणी
7	एन.के.जी इंडिया कॉफ़ी प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूरू	एक स्वर्ण पुरस्कार एक रजत पुरस्कार दो कांस्य पुरस्कार	यूरोप पर कॉफ़ी का सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2013-14) ग्रीन कॉफ़ी का दूसरे सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2013-14) विशिष्ट कॉफ़ी का तीसरे सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2013-14) यूरोप को कॉफ़ी का तीसरे सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2014-15)
8	फ्रेश एवं हॉनेस्ट कफ़े, चेन्नई	एक स्वर्ण पुरस्कार	भुने कॉफ़ी बीज और पिसे कॉफ़ी का सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2014-15)
9	रूचि सोया इंडस्ट्रीस लिमिटेड, मुंबई	एक रजत पुरस्कार एक कांस्य पुरस्कार	यूरोप को कॉफ़ी का दूसरे सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2014-15) ग्रीन कॉफ़ी का तीसरे सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2014-15)
10	वायहान कॉफ़ी लिमिटेड, सिकंदराबाद	एक रजत पुरस्कार एक कांस्य पुरस्कार	सुदूर पूर्व प्रदेशों पर कॉफ़ी का दूसरे सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2014-15) सुदूरवर्ती पूर्व प्रदेशों पर कॉफ़ी का तीसरे सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2013-14)
11	जय केशव एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, बेंगलूरू	एक रजत पुरस्कार	भुने कॉफ़ी बीज और पिसे कॉफ़ी का दूसरे सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2013-14)
12	यूनिलिवर इंडिया एक्सपोर्ट्स लिमि टेड, बेंगलूरू	दो कांस्य पुरस्कार	भुने कॉफ़ी बीज और पिसे कॉफ़ी का तीसरे सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2013-14) संयुक्त राज्य अमरिका एवं कनाडा प्रदेशों को कॉफ़ी का तीसरे सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2013-14)
13	ओलम एंटरप्राइसेस इंडिया लिमिटेड, बेंगलूरू	एक कांस्य पुरस्कार	एम ई एन ए प्रदेश को कॉफ़ी का तीसरे सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2013-14)
14	कॉफ़ी डे ग्लोबल लिमिटेड, बेंगलूरू	एक कांस्य पुरस्कार	यूरोप को कॉफ़ी का तीसरे सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2013-14)
15	लूईस ड्रेफस कमॉडिटीस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, बेंगलूरू	एक कांस्य पुरस्कार	संयुक्त राज्य अमरिका एवं कनाडा प्रदेशों को कॉफ़ी का तीसरे सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2014-15)
16	कोतास कॉफ़ी कंपनी, बेंगलूरू	एक कांस्य पुरस्कार	भुने कॉफ़ी बीज और पिसे कॉफ़ी का तीसरे सर्वश्रेष्ठ निर्यातक (2014-15)

बाहय प्रोन्नयन

निर्यात संवर्धन के अंतर्गत क्रियान्वित मुख्य क्रियाकलाप निम्नलिखित पर केन्द्रित थे:

1. चयनित अंतरराष्ट्रीय खाद्य व पेय मेलाएँ, कॉफ़ी संगोष्ठियों एवं प्रदर्शनी आदि में प्रत्यक्ष रुप से एवं भारत व्यापार प्रोन्नयन संगठन (आई टी पी ओ) के द्वारा नियमित प्रतिभागिता
2. इंडिया ब्रैंडिंग के समर्थन के लिए कार्यक्रमों में भारत के कॉफ़ी निर्यात लॉगो का प्रदर्शन
3. अंतरराष्ट्रीय व्यापार उप्लब्धता प्रबल करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया शो में भी कॉफ़ी बोर्ड तथा कॉफ़ी उद्योग ने भाग लिया।
4. चयनित समुद्रपारीय कॉफ़ी संबंधित व्यापारिक पत्रिकाओं में विज्ञापन एवं लेखों का निर्मोचन
5. विदेशी क्रेता, भारतीय निर्यातक, दूतावास कर्मचारी आदि को सम्मिलित करते हुए कॉफ़ी स्वादन सत्र, क्रेता-विक्रेता बैठक आदि का आयोजन
6. अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भारतीय कॉफ़ी पर विभिन्न प्रचार-प्रसार एवं प्रोन्नयन साहित्य, डी वी डी, फिल्म आदि का परिचालन

वर्ष 2015-16 की वार्षिक कार्य-योजना के भाग के रूप में निम्न 12 समुद्रपारीय मेलाओं में बोर्ड ने भाग लिया :-

क्र सं	कार्यक्रमों के नाम तथा स्थान	कार्यक्रमों की तारीख
1.*	27 वीं एस सी ए ए वार्षिक प्रदर्शनी, सीटल, डब्ल्यू ए यू एस ए	09-12 अप्रेल 2015
2.	हनोवर मेस्सी वार्षिक वैश्विक प्रदर्शनी, हनोवर, जर्मनी	13-17 अप्रेल 2015
3.	कॉफ़ी एक्स्पो 2015 अंतरराष्ट्रीय कॉफ़ी उद्योग एक्स्पो, गुअंगज़ौ, चीन	04-06 जून 2015
4.	**फ़्लैवर ऑफ़ इंडिया** के साथ एस सी ए ई वर्ल्ड आफ कॉफ़ी 2015 प्रदर्शनी एवं सम्मेलन, गोथेनबर्ग, स्वीडन	16-18 जून 2015
5.	एस सी ए जे विश्व कॉफ़ी सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2015, टोक्यो, जापान - **विशेष कार्यक्रम के साथ**	30 सितम्बर 02 अक्तूबर 2015
6.	अनुगा खाद्य मेला, कॉलोन, जर्मनी,	10-14 अक्तूबर 2015
7.	आतिथेय,फ़ियारा मिलानो अंतरराष्ट्रीय आतिथ्य-सत्कार प्रदर्शनी, मिलान ईटली	23-27 अक्तूबर 2015
8.	**विशेष कार्यक्रम के साथ** सियोल अंतरराष्ट्रीय केफे शो, सियोल, कोरिया,	12-15 नवम्बर 2015
9.	गल्फ खाद्य, दुबई **बी एस एम के साथ**	21-25 फरवरी 2016
10.	इंग्रीडिएंट्स रुस, मोस्को, रुस,	01-04 मार्च 2016
11.	मेलबोर्न अंतरराष्ट्रीय कॉफ़ी एक्स्पो, मेलबोर्न, आस्ट्रेलिया	17-19 मार्च 2016
12.	एन.सी.ए वार्षिक कॉफ़ी सम्मेलन, सैंटियागो, सी ए, संयुक्त राज्य अमरिका	17-19 मार्च 2016

* हितधारकों के माध्यम से सहभागिता

****

अध्याय VIII

बाज़ार अनुसंधान एवं आसूचना

2015-16 के दौरान बोर्ड के बाज़ार अनुसंधान एवं आसूचना एकक द्वारा निम्नलिखित प्रकार्य निष्पादित किए गए:

- एकक ने बाज़ार विश्लेषण के लिए मूल्य, आपूर्ति, मांग तथा अन्य मूलभूत एवं तकनीकी घटकों पर महत्वपूर्ण बाज़ार सूचना (वैश्विक एवं भारतीय दोनों) के संकलन एवं समेकन का कार्य जारी रखा। ये सूचनाएँ उद्योग के विभिन्न क्षेत्र के साथ-साथ सरकार को भी अग्रेषित किया। वर्ष 2015-16 के दौरान कुल 246 दैनिक बाज़ार रिपोर्टें तैयार करके प्रसारित की गईं।
- रिपोर्ट की अवधि के दौरान दैनिक बाजार विश्लेषण प्रदान किए जाने वाली दैनिक ई-मेल सूचना सेवा सतत की। यह सुविधा विस्तारण विभाग के द्वारा उपजकर्ताओं को प्रदान की गई तथा वेबसाइट www.indiacoffee.org में पोस्ट की गई और एस एम एस सेवा के द्वारा भी संदेश भेजे गए।
- वर्ष के दौरान एकक ने जून 2015, दिसंबर 2015, और मार्च 2016 के महीनों के लिए कॉफ़ी पर व्यापक डेटा बेस के तीन अंक प्रकाशित किए। यह डेटा बेस, नीति निर्धारक एवं शेयरधारकों के लिए उपयोगी है।
- सीज़न 2014-15 तथा 2015-16 के लिए जोतों की विभिन्न श्रेणी एवं कॉफ़ी प्रांचल/क्षेत्रों में स्तरित सांयोगिक नमूनाकरण तकनीक के द्वारा फसल प्राक्कलन किए गए।
  - 2015-16 के लिए मानसूनोत्तर प्राक्कलन 3,50,000 मे.ट.है। (अरेबिका1,07,800 मे.ट. एवं रोबस्टा 2,41,200 मे.ट.)
  - 2015-16 के लिए अंतिम प्राक्कलन 3,48,000 मे.ट है (अरेबिका, 1,03,500 मे.ट. और रोबस्टा 2,44,500 मे.ट.)
  - 2016-17 के लिए मानसूनोत्तर प्राक्कलन 3,20,000 मे.ट. है (अरेबिका 1,00,000 मे.ट. और रोबस्टा 220,000 मे.ट.
- डब्ल्यू टी ओ और कॉफ़ी की व्यापार नीति से संबंधित मामलों पर आर्थिक एवं विश्लेषणात्मक समर्थन प्रदान किया।
- एकक द्वारा निर्यात अनुभाग के क्रियाकलापों का समन्वयन किया गया।
- एकक ने बोर्ड की वेबसाइट www.indiacoffee.org के अनुरक्षण का काम जारी रखा।
- एकक ने इंडियन कॉफ़ी पत्रिका के अंकों में नियमित "मार्केट वाच" कॉलम में योगदान दिया।

- एकक ने स्वदेशी नीलामी केंद्र आई सी टी ए को कॉफ़ी के सभी श्रेणियों के साप्ताहिक प्राक्कलित सूचकांक मूल्य प्रदान किया।
- एकक ने वर्ष 2016 –17 के लिए कॉफ़ी हेतु पूर्व बजट प्रस्ताव तैयार करते हुए कॉफ़ी बागान क्षेत्र के लिए विशिष्ठ मशीनरी हेतु रियायती उत्पाद शुल्क का विस्तारण मांगते हुए सरकार को प्रस्तुत किया।
- एकक ने "कॉफ़ीज ऑफ़ इंडिया" पर लघु फिल्म एवं टी वी सी के निर्माण जैसे क्रियाकलापों का समन्वय किया तथा इस परियोजना को मेसर्स. एन डी टी वी को दिया गया। फिल्म एवं टी वी सी का शूटिंग निर्माण के अन्तिम चरण पर है।
- विभिन्न विपणन संस्थाओं को सम्मिलित करते हुए कृषि बीमा कंपनी ऑफ़ इंडिया लि. के माध्यम से कर्नाटक, केरल एवं तमिल नाडू में 2015–16 के दौरान कॉफ़ी के लिए वर्षापात बीमा योजना का कार्यान्वयन किया गया। 2015–16 के दौरान, इस योजना के अधीन 751 हेक्टेयर भूमि को समाकलित करते हुए केवल 236 उपजकर्ताओं ने भाग लिया।

****

अध्याय IX

लेखा एवं वित्त

कॉफ़ी बोर्ड के लेखा एवं वित्त विभाग को निम्नलिखित कार्यों का दायित्व सौंपा गया है:

- बजट प्राक्कलनों के तैयारीकरण तथा बोर्ड के विभिन्न एककों को बजट का आबंटन
- निधि आदि के निर्मोचन से संबंधित विषयों पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वित्त प्रभाग से संपर्क कार्य
- बोर्ड के विभिन्न विभागों की लेखा के संकलन तथा अनुरक्षण
- संसाधनों के मूल्य दक्ष उपयोग सुनिश्चित करते हुए बोर्ड के नकद एवं अन्य वित्तीय संव्यवहार पर प्रभावी नियंत्रण
- वित्तीय आशय से जुडे सभी मामलों पर सलाह प्रदान करना
- बोर्ड के कार्यालयों की आंतरिक लेखा परीक्षा करना
- विक्रय कर, भुगतान जैसे पूल विपणन से संबंधित लंबित मामलों का निपटान

प्राप्तियाँ एवं भुगतान, आय एवं व्यय तथा तुलन पत्र जैसे तीन सेटों में बोर्ड की लेखा तैयार की गई है। 2014-15 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा प्रत्येक लेखा शीर्ष के अधीन अनंतिम व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

(रुपए करोड़ में)

लेखा शीर्ष	प्राप्त अनुदान	अनंतिम व्यय
सामान्य योजना सहायता अनुदान	38.00	48.47**
योजना – पूँजी परिसंपत्तियों का सृजन (ओएनईआर)	2.00	2.09
योजना अनुदान – उपदान (ओएनईआर)	40.00	40.00
एस सी उप-योजना	0.80	0.78
उ पू क्षे सामान्य योजना सहायता अनुदान	10.99	10.99
उ पू क्षे उपदान	4.00*	2.52
उ पू क्षे- पूँजी परिसंपत्तियों का सृजन	0.01	0.01
कुल योजना अनुदान	95.80	104.86
योजनेतर अनुदान सामान्य	30.40	69.06**
योजनेतर अनुदान – वेतन	16.14	
कुल योजनेतर अनुदान	46.54	69.53

* उपदान दावों की कमी के कारण मंत्रालय को ₹ 1.50 करोड़ वापस किए गए हैं।

** निर्मोचित रकम से अधिक व्यय की राशि आई ई बी आर से ली गई है।

पेंशन

कॉफ़ी अधिनियम 1942 के अनुसार पेंशन कार्पस के 82.44 करोड़ रुपए ब्याज अर्जन के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेशित किए गए हैं। वर्ष में अर्जित कुल ब्याज 7.22 करोड रूपए थे। 2,755 पेंशनधारियों तथा वर्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान सेवानिवृत्त हुए लोगों का पेंशन लाभ योजनेतर अनुदान से दिया गया।

वर्तमान में 01.01.2004 के बाद 31.03.2015 तक बोर्ड की सेवा में नियुक्त 138 कर्मचारी नई पेंशन योजना के सदस्य हैं।

भविष्य निधि

वर्ष के दौरान, ₹ 7,58,85,185.00 की राशि भविष्य निधि के अंशदान के रूप में प्राप्त हुई जिसमें ₹ 10,11,02,953.00 की राशि भविष्य निधि अग्रिम / आंशिक अंतिम निकासी तथा अंतिम निकासी के रूप में वितरित की गई। कॉफ़ी अधिनियम 1942 के अनुसार ब्याज अर्जन के लिए 32 करोड़ रूपए की अधिशेष निधि विभिन्न राष्ट्रीकृत बैंकों में निवेश की गई है।

पूल निधि

कॉफ़ी पूलिंग युग के दौरान, कॉफ़ी उपजकर्ताओं द्वारा पूल की गई कॉफ़ी के विक्रय से प्राप्त राशि से पूल निधि सृजित की गई है तथा पूल की गई कॉफ़ी के विपणन तथा उपजकर्ताओं को उसके भुगतान का दायित्व कॉफ़ी बोर्ड पर है। इस गतिविधि के अधीन कॉफ़ी के प्रोन्नयन के प्रचार-प्रसार तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कॉफ़ी के विपणन के लिए स्थापना का अनुरक्षण सम्मिलित हैं। वर्ष 1995 में बोर्ड ने कॉफ़ी के डी-पूलिंग करने का निर्णय लिया, जिससे पूलिंग गतिविधियों में कार्यरत अधिशेष कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी पडी। तदनुसार, पूल निधि से सेवानिवृत्ति लाभ तथा अनुग्रह-पूर्वक राशि दी गई तथा बकाया राशि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन के भुगतान के लिए संचित निधि में अंतरित की गई है। ₹ 5,60,00,000.00 की अधिशेष पूल निधि की राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश की गई है।

लेखापरीक्षा अनुच्छेद: वर्ष के दौरान पूल निधि अनुच्छेदों का निपटान

पूल निधि से संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट संबंधी 78 बकाया अनुच्छेद निपटान के लिए लंबित हैं। अब इनमें से प्रस्तुत किए गए उत्तर के आधार पर 18 अनुच्छेदों का समाधान निकाला गया तथा 31.03.2016 को बाकी 60 अनुच्छेद लंबित हैं।

2015-16 के दौरान योजना स्कीम के भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

क्र.सं.	योजनाओं/कार्यक्रमों के नाम	भौतिक	
		लक्ष्य	उपलब्धियाँ
I	**धारणीय कॉफ़ी उत्पादन के लिए आर & डी**		
	कॉफ़ी उत्पादन (मे.टन में)	310000	348000
II	**कॉफ़ी में प्रौद्योगिकी का अंतरण व क्षमता निर्धारण कार्यक्रम**		
	क) एस्टेट दौरों की संख्या	20000	28358
	ख) क्षमता निर्धारण (लाभार्थियों की सं.)	4500	8852
	ग) श्रमिकों के लिए कल्याण समर्थन (सं.)	6000	6575
III	**परंपरागत क्षेत्रों में विकास समर्थन**		
	क) पुन: रोपण/विस्तारण (हे.में)	2500	3163
	ख) जल संवर्धन, गुणता प्रोन्नयन व प्रदूषण उपशमन (यूनिटों में)	3800	6329
	ग) ब्याज उपदान (लाभार्थियों की सं.)	1000	1102
IV	**गैर-परंपरागत क्षेत्रों में कॉफ़ी विकास कार्यक्रम**		
	i) विस्तारण/ समेकन (हे.में)	3500	4449
	ii) पल्पर्स/ड्राइंग यार्ड/ ट्रेस (सं.)	1250	2539
V	**पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कॉफ़ी विकास कार्यक्रम**		
	i) विस्तारण/ समेकन (हे.में)	500	486.44
	ii) पल्पर्स/ड्राइंग यार्ड/ ट्रेस (सं.)	200	66
VI	**कॉफ़ी के लिए वर्षापात बीमा योजना (आरआईएससी)**		
	< 10 हे. के अधीन प्रस्तावित लघु कॉफ़ी उपजकर्ताओं की सं.	500	236
VII	**कॉफ़ी एस्टेट प्रचालन के लिए यंत्रीकरण हेतु समर्थन**		
	मशीनरियों की सं.	7500	7539
VIII	**निर्यात प्रोन्नयन**		
	क) कॉफ़ी निर्यात (मे.टन में)	265000	318238
	ख) इंडियन ब्रैंड्स के रूप में मूल्य संवर्धित कॉफ़ी का निर्यात (मे.टन में)	7000	8448
	ग) दूरवर्ती बाज़ारों में मूल्य संवर्धित कॉफ़ी का निर्यात (मे.टन में)	9000	11723
	घ) समुद्रपारीय व्यापार मेलाओं में सहभागिता (सं.)	12	12
	ङ) क्रेता-विक्रेता सम्मेलन	5	5
IX	**बाज़ार समर्थन**		
	स्वदेशी मेलाएँ (सं.)	40	44
X	**मूल्य संवर्धन समर्थन**		
	क) आर & डी एकक	28	18
	ख) क्यूरिंग वर्क्स का आधुनिकीकरण	2	2

****

संकेताक्षर

AIC	भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.
BCRL	जैव नियंत्रण अनुसंधान प्रयोगशाला
BIS	भारतीय मानक ब्यूरो
BIEC	बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र
BSM	क्रेता-विक्रेता बैठक
Bt	बासिलस थुरिंगेंसिस
CODISSIA	कोयंबत्तूर जिला लघु उद्योग संगठन
cDNA	मानार्थ डीएनए
CBB	कॉफ़ी बेरी बोरर
CCRI	केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान
CDRP	कॉफ़ी ऋण राहत पैकेज
CFC	सामान्य वस्तु निधि
CIFC	सेंट्रो डे इन्वेस्टिगाको ड़ास फेरूजिनस ड़ो केफेरो (कॉफ़ी किट्ट अनुसंधान केंद्र)
CIE	नविनीकरण एवं उद्यमिता केंद्र
CFU	कॉलनी फार्मिंग एकक
CIS	कैरियर सुधारण योजना
CRSS	कॉफ़ी अनुसंधान उप स्टेशन
C x R	कांजेनसिस रोबस्टा
CST	केंद्रीय विक्रय कर
DBT	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग
DGFT	विदेश व्यापार महानिदेशक
DNA	डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड
DVDs	डिजिटल वीडियो डिस्क
EU	यूरोपियन यूनियन
EC	इमाल्सिफाइंग कांसेंट्रेशन

FSSAI	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
FYM	फार्म यार्ड मैन्यूर
GBE	ग्रीन बीन इक्वीवलंट
HDT	हाइब्रिडो डे टिमोर
IAP	आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टी
IAS	भारतीय प्रशासनिक सेवा
IARI	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
ICAR	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्
ICH	भारतीय कॉफ़ी हाउस
ICO	अंतरराष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन
ICTA	भारतीय कॉफ़ी व्यापार संगठन
IDAS	भारतीय रक्षा लेखा सेवा
INM	एकीकृत पोषण प्रबंधन
IPM	एकीकृत नाशिकीट प्रबंधन
IICF	इंडिया इंटरनेशनल कॉफ़ी फेस्टिवल
IIHR	भारतीय बागबानी अनुसंधान संस्थान
IIPM	भारतीय बागान प्रबंध संस्थान
ITDA	एकीकृत जनजाति विकास अभिकरण
ITPO	भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन
IT	सूचना प्रौद्योगिकी
ITS	भारतीय दूरसंचार सेवा
IEBR	आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन
JNU	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय
Kg/Ha	किलोग्राम/हेक्टर
KGST	केरल जनरल बिक्री कर
MACP	संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन
MFCS	माडिफाइड फ्लेक्सिबल कांम्पलीमेंटरी स्कीम
MAS	मार्कर समर्थित चयन
MENA	मध्य पूर्व एवं उत्तरी आफ्रिका

MPEDA	समुद्री उद्योग निर्यात विकास प्राधिकरण
MT	मेट्रिक टन
MTS	बहु–कार्य कार्मिक
MUTV	बहु–उपयोगी ट्रैक्टर वाहन
NBAII	राष्ट्रीय कार्षिक प्रभावी कीट ब्यूरो
NBC	राष्ट्रीय बारिस्ता प्रतियोगिता
NBSS & LUP	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो व भूमि उपयोग योजना
NCA	राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन
NER	पूर्वोत्तर क्षेत्र
NIMHANS	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान
NTA	गैर–पारंपरिक क्षेत्र
NPK	नाईट्रोजन, फॉस्फेरिस, पोटासियम
NRCB	राष्ट्रीय कदली अनुसंधान केंद्र
PB	वेतन बैंड
PCR	पोलीमरेज़ श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया
PF	भविष्य निधि
PFA	आहार अपमिश्रण निवारण
P & K	फोसफरस व पोटाशियम
PSB	फोसफैट विलेयक बैक्टीरिया
PSFT	मूल्य स्थिरीकरण निधि न्यास
RCRS	क्षेत्रीय कॉफ़ी अनुसंधान स्टेशन
RTI	सूचना का अधिकार
RT PCR	यथार्थ कालीन पोलीमरेज़ श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया
SC	अनुसूचित जाति
SCAA	स्पेशियालिटी कॉफ़ी असोसिएशन ऑफ अमेरिका
SCAE	स्पेशियालिटी कॉफ़ी असोसिएशन ऑफ यूरोप
SCAR	आनुक्रमिक विशिष्ट प्रवर्धित क्षेत्र
SEC	सामाजिक आर्थिक वर्ग
SHG	स्वयं सहायता आर्थिक समूह

Sln	चयन
SLP	विशेष छुट्टी याचिका
SPAD	मृदा पादप वैश्लेषिक विकास
SSP	सिंगल सूपर फॉस्फेट
ST	अनुसूचित जन जाति
SRAP	आनुक्रमिक संबद्ध प्रवर्धित पॉलीमर
STAT	विक्रय कर अपील प्राधिकरण
STEP	अल्पकालीन कर्यकारी कार्यक्रम
RAPD	सांयोगिक प्रवर्धित पॉलीमर डॉलीमोर्फिक
R&D	अनुसंधान व विकास
RCMC	पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र
R&G	रोस्टड एण्ड ग्राउण्ड
RISC	कॉफ़ी वर्षापात बीमा योजना
TEC	प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केंद्र
TV	दूरदर्शन
TVCs	वाणिज्यक दूरदर्शन
UAS	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय
UNO	संयुक्त राष्ट्र संगठन
UPASI	दक्षिण भारतीय संयुक्त उपजकर्ता संगठन
US cents/lb	यू एस सेंट्स / एलबी
VAM	वेसिक्युलर आरबस्क्युलर माइकोरिज़ा
WA	रिट अपील
WBC	विश्व बारिस्ता प्रतियोगिता
WP	वेटेबल पाउडर
WSB	सफेद तना छेदक
WTO	विश्व व्यापार संगठन

****